डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, 16-22 दिसम्बर 2023 से 24-12-2023 | वर्ष-40 | अंक-5 | मूल्य ₹ 10.00

डॉ. मोहन यादव बने मध्यप्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री

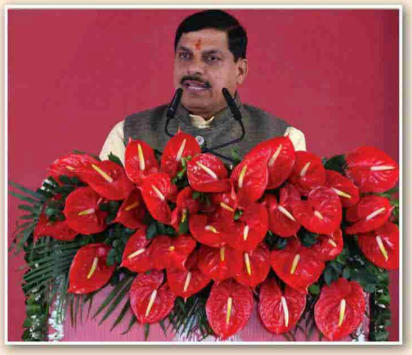

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री पटेल ने श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेन्द्र पटेल, मुख्यमंत्री मणिपुर श्री एन. बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। समारोह का संचालन मध्यप्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने किया। समारोह में देश के प्रमुख साधु संत भी सम्मिलित हुए।

संक्षिप्त खबर

श्री गोपाल भार्गव ने ली प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने श्री गोपाल भार्गव को राजभवन में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का गरिमामय आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी मौजूद थे। शपथ विधि कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधानसभा श्री अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर विधायकगण, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी. पी. आहूजा, विधानसभा के अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने किया कार्यभार ग्रहण

भोपाल, डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने भोपाल के श्यामला हिल्स मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचकर अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. कुसमरिया को राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। डॉ. कुसमरिया ने आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आयोग प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिये हितप्रहरी के रूप में कार्य करता है। आयोग राज्य की सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जातियों की सूचियों में जातियों को जोड़ने एवं विलोपित करने की अनुशंसा राज्य शासन को भेजता है।

भीतर के पृष्ठों पर

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना

विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के वर्चुअल शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए

उज्जैन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। यह यात्रा मध्यप्रदेश सहित अन्य चार राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम से निकाली गई। मध्यप्रदेश में यात्रा का शुभारंभ उज्जैन से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यात्रा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मैंने दिखाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं।

आमजन के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम

प्रदेश में यात्रा के लिये 366 रथ (वैन) केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह यात्रा कर्मकांड न होकर, आमजन के हित के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सभी जिलों में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से संबंधित श्रेष्ठ कार्य करने वाले अमले को प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह यात्रा 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसानों को उन्नत कृषि के लिए प्रेरित करने, हर घर जल, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना सहित 19 योजनाओं के विषय में जनता को विशेष रूप से जानकारी देकर हितलाभ प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

विकसित भारत में हमारे शहरों की भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए एक महीना पूरा हो चुका है। इस एक महीने में यह यात्रा हजारों गांवों के साथ-साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ, उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन हम देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैंकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं।

उप निर्वाचन संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

भोपाल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और पंचायातों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। उप निर्वाचन का कार्यक्रम 6 दिसम्बर को घोषित किया गया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि नगरीय निकायों में भोपाल के वार्ड 41, कटनी के 9, 36, खण्डवा के 41, रतलाम के 31, सीहोर के 6, धनपुरी के 28, सारणी के 14, करेली के 5, श्योपुर के 3, विजयपुर के 4, मानपुर के 2, पटेरा के 14, बम्हनी बेंजर के 5, खुजनेर के 3, सतवास के 4, न्यू रामनगर के 2, 11, डही के 5 एवं 12 और माण्डव के वार्ड 9 में उप निर्वाचन प्रस्तावित हैं। नगरीय निकायों में मतगणना दिनांक 9 जनवरी तक और पंचायतों में 11 जनवरी तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी।

प्रचार-प्रसार के निर्देश

श्री अभिषेक सिंह ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।

संकल्प पत्र-2023

मिशन मोड में होगा योजनाओं का क्रियान्वयन - मुख्यमंत्री

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार कर जनता की जिन्दगी बदलना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जन-सामान्य ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित नवगठित सरकार के संकल्प पत्र से संबंधित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को संकल्प पत्र-2023 के अनुरूप पूरा करना हमारा उद्देश्य है। सभी विभाग संकल्प पत्र के सभी वायदों, संकल्पों और घोषणाओं की पूर्ति का काम मिशन मोड में आरंभ कर समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा सहित समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभिन्न निगम मंडलों के महाप्रबंधक उपस्थित थे।

संवेदनशील शासन व्यवस्था हो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में किया जाए। सरकार के लिए सुशासन सर्वोपरि है। विकास और जनकल्याण के लक्ष्यों को सुशासन के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन केवल शब्द न रहे, हमें इसे चरितार्थ करके दिखाना है।

मुख्य सचिव करेंगे मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र-2023 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। इसके लिए पृथक पोर्टल भी बनाया जाए और जानकारी की ऑनलाइन फीडिंग, मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

संकल्प पत्र के प्रमुख भाग

संकल्प पत्र के दस प्रमुख भाग हैं। इनमें सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, सबका साथ-सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन शामिल हैं। यह सरकार का अगले पांच साल का विजन डाक्यूमेंट है। सभी विभाग इनके क्रियान्वयन में तत्काल कार्रवाई शुरू करें।

09 दिसंबर

इटली ने जीता भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप

● मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो के

नेतृत्व में उतरी इटली की टीम ने एडमिरल कप 2023 जीत लिया। वहीं भारतीय टीम इस प्रतियोगिता की उपविजेता रही। मिडशिपमैन पीपीके रेड्डी और कैडेट जीवाई रेड्डी के प्रतिनिधित्व में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रिटेन टीम की कमान ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी कैडेट लुसी बेल और मिडशिपमैन आरोन मिडलटन ने संभाली। जर्मनी का नेतृत्व जर्मनी के कैडेट बेकमैन कार्ल और कैडेट हिंज एंटोन ने किया। इन दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। रूस के सीमैन गोर्कुनोव पेट्र ने पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया।

● भारत एक वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर कर आया है। भारत दुनिया को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 96वीं वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय विकास की कहानी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में एक अरब से अधिक भारतीयों की कड़ी मेहनत और योग्यता का परिणाम है। सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों और कार्यक्रमों ने भारतीय विकास की कहानी को बल प्रदान किया है। जिसके विभिन्न पक्ष आज के विश्व को आकार दे रहे हैं।

10 दिसंबर

'ऑनर रन - इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन' आयोजित

● भारतीय सेना ने दिल्ली में 'ऑनर रन - इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन' दौड़

का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों एवं कर्मियों तथा जनता, विशेषकर युवाओं के बीच आपसी जुड़ाव को सशक्त करना था। 'ऑनर रन' दौड़ को चार श्रेणियों के तहत आयोजित किया गया था। पहली श्रेणी में 21.1 किलोमीटर की दौड़ को उपयुक्त रूप से करगिल रन नाम दिया गया था। अन्य तीन श्रेणियों में पहली 10 किलोमीटर दौड़ थी, जिसे टाइगर हिल रन नाम दिया गया; दूसरी 05 किलोमीटर की दौड़ थी, जिसका नाम टोलोलिंग रन रखा गया; और इसके बाद अंतिम 3 किलोमीटर की दौड़ हुई, जिसका नाम बटालिक रन था।

● केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही प्राचीन काल से आज तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे प्रयोग हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूर्वी क्षेत्र के बच्चे ही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है। आज़ादी से पहले और बाद में इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्र भक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र खनिज संपदा और पानी से संपन्न है।

11 दिसंबर

इस खरीफ सीजन में दो लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार

● सरकार बाजार में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध कराने के लिए इस खरीफ सत्र के

दौरान 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्याज के मौजूदा उत्पादन और वैश्विक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्याज की कीमतें कम होंगी। श्री सिंह ने बताया कि पिछले महीनों में प्याज की उपभोक्ता खुदरा कीमत में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

● सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर बना दिये थे। मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था और राष्ट्रपति को उसे निरस्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को बरकरार रखा।

12 दिसंबर

सीबीएसई ने घोषित की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख

● केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी कर दी। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएंगी। 12वीं

की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। सीबीएसई का कहना है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं दो पारी में आयोजित की जाएंगी। पहली पारी साढ़े दस बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और दूसरी पारी सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक आयोजित की जाएंगी।

● लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्रशासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ाना है। केंद्रशासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 में पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।

13 दिसंबर

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता मंजूर

● केंद्र सरकार ने गुजरात को तीन सौ 38 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की है। हाल में बिपरजॉय चक्रवात से राज्य को भारी नुकसान हुआ था। गृह मंत्रालय ने बादल फटने, बाढ़ और भू-स्खलन से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए भी राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से छह सौ 34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। वहीं इस वर्ष अगस्त में तात्कालिक राहत प्रबंधों के लिए हिमाचल प्रदेश को दो सौ करोड़ रुपये जारी किये गये थे। केन्द्र ने पहले एसडीआरएफ के लिए अपने हिस्से की दोनों किस्तों के रूप में कुल तीन सौ साठ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की थी।

● लोकसभा ने वर्ष 2023-24 के लिए पूरक मांगों के अनुदान और वर्ष 2020-21 के

लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के पहले भाग को मंजूरी दे दी है। अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और राजकीय घाटे को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों और गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2023-24 के लिए कुल एक लाख 29 हजार करोड़ रुपये पूरक मांगों में से मनरेगा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि इस आपूर्ति अनुदान के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

14 दिसंबर

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व बैंक ने लगातार तीसरी बार नहीं बढ़ाई ब्याज दरें

● अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व ने लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर बरकरार रखी है। बैंक ने अपनी न्यूनतम मानदंड दर लगभग 5 दशमलव प्रतिशत पर कायम रखी, जो 22 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है। फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष जेरोम एच. पॉवेल ने कहा कि वे अगले साल अपनी बेंचमार्क दर में तीन चौथाई अंक की कटौती कर सकते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति फेडरल रिज़र्व के 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, लेकिन अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से इसमें गिरावट आई है। यही कारण है कि दरों को अपरिवर्तित रखा गया है।

● कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर वैश्विक भागीदारी शिखर

सम्मेलन ने नई दिल्ली घोषणा को लागू करने पर स्वीकृति दे दी है। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस घोषणा को अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सहयोग के लिए विकसित करने के साथ-साथ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।

15 दिसंबर

ऋण माफी से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान न दें

● भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों को आगाह किया कि वे प्रिंट मीडिया और सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान न दें। रिज़र्व बैंक ने कहा कि ऋण माफी की पेशकश करके कर्जदारों को लुभाने वाले कुछ भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि ऐसी संस्थाएं बिना किसी अधिकार के 'ऋण माफी प्रमाणपत्र' जारी करने का प्रलोभन देकर शुल्क की मांग कर रही हैं। रिज़र्व बैंक के बयान के अनुसार ऐसी संस्थाएं गलतबयानी कर रही हैं कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने आगाह किया है कि ऐसी संस्थाओं के प्रलोभन में आने से लोगों को वित्तीय नुकसान हो सकता है।

● इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अगले महीने से श्रीलंका रेलवे की उत्तरी लाइन की मरम्मत का काम शुरू करेगा। रेलवे विभाग ने कोलंबो और जाफना के बीच ट्रैक ठीक करने के कारण अन्तरिम सेवाओं के बाधित रहने की घोषणा की है। इस वर्ष से पहले, इरकॉन ने पहले चरण में उत्तरी लाइन के अनुराधापुरा-ओमानथाई 48 किलोमीटर भाग को ठीक करने का काम पूरा किया था।

● वित्त मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 79 लाख से अधिक लोग अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित किए गए हैं। कुल मिलाकर इस योजना से अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार की यह योजना मई 2015 में शुरू की थी जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और वृद्धों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से एक हजार से पांच हजार रुपये की आजीवन मासिक पेंशन उनके योगदान के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर-474002 (म.प्र.)

No./IPRO/DRS/International Conference/Tender/2023-24/2195 Date : 15/12/2023

//निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में दिनांक 28-29 दिसम्बर, 2023 के दौरान आयोजित हो रहे **"International Conference on One Health - One World"** में भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फॉर्म शर्तों के साथ दिनांक 15-12-2023 से दिनांक 21-12-2023 तक कार्यालय निदेशालय अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर से रुपये 1000/- जमा करके क्रय किये जा सकेंगे। दिनांक 22-12-2023 सुबह 11:00 बजे तक बयाना राशि रुपये 20,000/- के डिमांड ड्राफ्ट सहित निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके टैक्नीकल एवं वित्तीय बिड के दस्तावेजों को दिनांक 22-12-2023 को सुबह 11:00 बजे तक व्यक्तिगत/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय निदेशालय अनुसंधान सेवाऐं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर में जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

निदेशक अनुसंधान सेवाऐं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

R-49272/2023

वर्ष 40, अंक 51 18.12.2023 से 24.12.2023

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - मनीष सिंह
- सम्पादक - रंजना चितले
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011

फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने के लगभग 10 दिन में प्रदेश को डॉ. मोहन यादव के रूप में नये मुख्यमंत्री मिल गये हैं। इसके साथ ही लगभग 20 वर्ष बाद प्रदेश में दो उप-मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और श्री जगदीश देवड़ा बनाये गये हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 54 वर्ष बाद अपनी सरकार में एक नहीं बल्कि दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ उपरांत पदभार ग्रहण किया। डॉ. मोहन यादव को राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उप-मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और श्री जगदीश देवड़ा ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मध्यप्रदेश के राजनैतिक इतिहास पर नजर डालें तो प्रदेश में पूर्व में स्व. श्री सुभाष यादव और स्व. श्रीमती जमुना देवी उप-मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। जबकि मध्यप्रदेश को पहले उप-मुख्यमंत्री देने का श्रेय जनसंघ (वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी) को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री गोविंद नारायण सिंह की सरकार में 1967 से लेकर 1969 तक श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा उप-मुख्यमंत्री थे। मध्यप्रदेश के दूसरे उप-मुख्यमंत्री श्री शिवभानु सिंह सोलंकी थे, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री अर्जुन सिंह की 1980 में बनी सरकार में यह जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 1993 में श्री प्यारेलाल कंवर को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया था। समारोह के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की कमान अपने हाथ में संभाली और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा कर निर्णय लिये। काम के प्रति सक्रिय और समर्पित मुख्यमंत्री ने बगैर देरी किये मंत्रालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर कई फैसले लिये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला धार्मिक स्थलों पर उपयोग होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर था। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए चिन्हित महाविद्यालयों को 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन किया जाएगा।

अगले कई वर्षों तक बनी रहेगी जलवायु परिवर्तन की स्थिति

विगत कुछ वर्षों से जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जलवायु में आये इस परिवर्तन के कारण ही मौसम चक्र बदलने लगे हैं। बेमौसम बारिश, बाढ़, बवंडर, भू-स्खलन जैसी गतिविधियां बढ़ गई हैं। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे प्राकृतिक आपदाओं ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित किया जा सके। हाल ही में हुए एक नये शोध में सामने आया है कि मौसम में हो रहे यह बदलाव अगले 50 हजार वर्षों तक ऐसी ही स्थिति में रहेंगे। दरअसल फरवरी सन् 2000 में वैज्ञानिक पॉल क्रूजेन ने इंटरनेशनल जियोस्फीयर-बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैक्सिको में यह बात कही थी और उन्होंने भू-वैज्ञानिक के बारे में बताया। यह एक भू-वैज्ञानिक युग बताया जा रहा है जो कि इंडस्ट्रीयल अप्रोच के हद से ज्यादा बढ़ जाने के कारण धरती का रूप बदलना शुरू कर चुका है। अभी जो इंडस्ट्रीयलाइजेशन चल रहा है, इसका असर हम और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी ही नहीं, बल्कि न जाने कितनी ही पीढ़ियां भुगतने वाली हैं। शायद मानवता के खत्म होने के बाद भी। क्रूजेन ने इसके पीछे कई कारण भी बताए हैं जिनमें जंगलों का तेजी से काटा जाना, दुनियाभर में बड़ी नदियों पर बन रहे बांध, मछलियों का हद से ज्यादा दोहन, फसलों के लिए खाद का होने वाला बहुत अधिक इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी जैसी कुछ चिंताजनक बातें हैं जो एंथ्रोपोसीन की शुरुआत का सबूत दे रही हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 21वीं शताब्दी तक ग्लोबल तापमान आधे डिग्री बढ़ गया। अब यह तापमान आधे डिग्री और बढ़ चुका है। इसलिए क्लाइमेट चेंज दुनियाभर में चिंता का विषय बन गया है।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड हुए हैं। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हीटवेव, जंगलों की आग, बाढ़, सूखा आदि जैसी स्थिति बन रही है। इसका कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना बताया जा रहा है। मनुष्य ऊर्जा के लिए अभी अधिकतर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। वैज्ञानिक पॉल क्रूजेन ने मैक्सिको में जब इस युग के बारे में बात की थी तब वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 370 पार्ट्स प्रति मिलियन थी। अत: हवा और समुद्रों में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना होगा। एमिशन कम से कम करना होगा।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

शांत सरल एवं दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्तित्व के धनी

डॉ. मोहन यादव ने संभाला मध्यप्रदेश का दायित्व

मध्यप्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगतप्रताप नड्डा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिन्दे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केन्द्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित विभिन्न विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने पद दायित्व और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। उनके साथ श्री राजेन्द्र शुक्ल और श्री जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ नयी सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प के साथ अपना कार्य आरंभ कर दिया है।

इस गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय परंपराओं और संवैधानिक प्रावधान दोनों की झलक थी। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल का आगमन और शपथ ग्रहण समापन राष्ट्रगान से हुआ और जब शपथ ग्रहण के लिये डॉ. मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई तब वहाँ उपस्थित संतजनों ने शंख ध्वनि का उद्घोष किया। इसी प्रकार राष्ट्रगान से औपचारिक समापन के बाद संतजनों ने पुनः शंखध्वनि की।

केन्द्रीय नेताओं, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगणों, और देश के अन्य वरिष्ठ नेताओं के अतिरिक्त शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा, महामंत्री श्री हितानंद सहित भाजपा के लगभग सभी विधायक उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास सिद्धांत पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया और यह भी कहा कि जनहितैषी योजनाओं का संचालन पूरी शक्ति से किया जायेगा।

अपना नाम सुनकर चौंक गये थे डॉ. मोहन यादव

शपथ ग्रहण समारोह के दो दिन पहले 11 दिसम्बर को भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्व सम्मति से डॉ. मोहन यादव के नाम का चयन हुआ। डॉ. मोहन यादव का नाम उन प्रमुख नामों में नहीं था जो विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान और फिर भाजपा की जीत के बाद चर्चा में रहे। तब किसी को कल्पना भी नहीं थी कि प्रमुख नामों को छोड़कर पिछली पंक्ति के किसी कार्यकर्ता को यह अवसर मिलेगा।

डॉ. मोहन यादव एक सामान्य कृषक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे किशोर वय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आगे बढ़े। लगभग तेइस वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में आये और विभिन्न पदों पर रहते हुए अब मुख्यमंत्री पद पर पहुँचे। निवृत्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के मार्ग से होकर ही संगठन के विभिन्न पदों और मुख्यमंत्री पद पर पहुँचे थे। अब डॉ. मोहन यादव भी इसी मार्ग से चलकर मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दो दिन पहले जब विधायक दल के नेता के रूप में डॉ. मोहन यादव का चयन हुआ तब वे स्वयं भी चौंक पड़े थे। विधायक दल के नेता चयन की यह बैठक 11 दिसम्बर को हुई थी। इसमें तीन केन्द्रीय पर्यवेक्षक श्री मनोहरलाल खट्टर (मुख्यमंत्री हरियाणा), श्री के. लक्ष्मण (ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष) और सुश्री आशा लकड़ा (राष्ट्रीय सचिव) भोपाल पहुंचे थे। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में जिस क्षण यह सर्वसम्मत निर्णय हुआ तब डॉ. मोहन यादव बैठक की अग्रिम पंक्ति में नहीं, बल्कि तृतीय पंक्ति में बैठे थे। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि उनका चयन होने वाला है। बैठक की आरंभिक औपचारिकता के बाद निवृत्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने समर्थन किया तो वे चौंक गये। उन्हें उठाकर अग्रिम पंक्ति में लाया गया। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय कार्यालय में हो रही थी। बैठक के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्र थे जो विभिन्न नेताओं के समर्थक थे। उनमें से कुछ तो अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं के समूह में डॉ. मोहन यादव का कोई समर्थक न था। डॉ. मोहन यादव संगठन और उसके सिद्धांत के प्रति समर्पित एक सहज सरल कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही वे उच्च शिक्षित भी हैं। सबको साथ लेकर और सबको विश्वास में लेकर कार्य करना उनकी विशेषता है। उन्हें जहां जो दायित्व मिला उन्होंने पूरी लगन से उसे पूरा किया और अपनी अलग पहचान बनाई। वे जब मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष थे तब निगम को घाटे से उबारने की उनकी योजनाओं को आज भी याद किया जाता है और उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया। इसी शैली के चलते विधायक दल में सर्वसम्मति से उनका चयन हुआ। उम्मीद की जा रही है कि वे जनहितैषी योजनाओं को व्यवहारिक बनाकर प्रदेश के विकास को नयी ऊचाइयां देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जीवन परिचय

जन्म : 25 मार्च 1965 उज्जैन नगर में

शिक्षा : BSC, LLB, MA, MBA और PHD

व्यवसाय : वकालत, व्यापार और कृषि

सक्रियता

- 1982 माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव।
- 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उज्जैन के नगर मंत्री।
- 1986 में विभाग प्रमुख।
- 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्यप्रदेश के सहमंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य।
- 1989-90 में विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री।
- 1991-92 में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री।
- 1993-95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उज्जैन नगर के सह खण्ड कार्यवाह।
- 1996 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खण्ड कार्यवाह और उज्जैन नगर कार्यवाह।
- 1997 में भा.ज.यु.मो. की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य।
- 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य।
- 1999 में भा.ज.यु.मो. के उज्जैन संभाग प्रभारी।
- 2000-2003 में विक्रम विश्व-विद्यालय उज्जैन की कार्यपरिषद के सदस्य।
- 2000-2003 में भाजपा के नगर जिला महामंत्री
- 2004 में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य।
- 2004 में सिंहस्थ की केन्द्रीय समिति के सदस्य।
- 2004-2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा)।
- 2008 से भारत स्काउट एण्ड गाइड के जिलाध्यक्ष।
- 2011-2013 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा)।
- भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य।
- 2013-2016 में भाजपा अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह-संयोजक।
- 2013 में पहली बार विधायक बने।
- 2018 में दूसरी बार विधायक बने।
- 2023 में तीसरी बार विधायक बने और मुख्यमंत्री।

श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेन्द्र शुक्ल बने उप मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पद के लिये आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री देवड़ा अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। वे मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वे भी सामान्य ग्रामीण परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे 1990 में पहली बार विधायक बने थे और 2003 में उमा भारती मंत्रीमंडल के सदस्य रहे। श्री देवड़ा निवृत्तमान सरकार में वित्त मंत्री थे। एक अन्य उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल मध्यप्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र के रीवा से आते हैं। उन्होंने भी छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। पहला चुनाव 1998 में लड़ा था पर सफल न हो सके। लेकिन 2003 का चुनाव रिकार्ड मतों से जीता। तब से निरंतर विधायक हैं। पूरे विन्ध्य में उनका प्रभाव है और माना जाता है कि 2018 की विरोधी लहर के बीच भी यदि विन्ध्य क्षेत्र में भाजपा को सफलता मिली थी तो इसके लिये श्री राजेन्द्र शुक्ल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

रमेश शर्मा

(लेखक- वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक : 113/परीक्षा/सी.जे./2022 **दिनांक : 17.11.2023**

व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2022

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	:	**17 नवम्बर, 2023 (09:00 (PM) बजे से)**
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (भुगतान सहित)	:	**18 दिसम्बर, 2023 (09:00 (PM) बजे तक)**
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि	:	**22 दिसम्बर, 2023 दोपहर 12:00 (PM) बजे से**
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	:	**24 दिसम्बर, 2023 रात्रि 11:55 (PM) बजे तक**
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि	:	**14 जनवरी, 2024 (रविवार)**
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि	:	**26 फरवरी, 2024 (सोमवार)**
मुख्य परीक्षा की तिथि	:	**30 मार्च, 2024 (शनिवार) एवं 31 मार्च, 2024 (रविवार)**
मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि	:	**10 मई, 2024 (शुक्रवार)**
साक्षात्कार की तिथियां	:	**सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद में अधिसूचित की जावेंगी।**
अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि	:	**अंतिम साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर।**

नोट :- उपरोक्त सभी तिथियों में अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है।

खंड "क"

महत्वपूर्ण बिंदु

(1) अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/शुद्धिपत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

(2) अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण-पत्र से भिन्न अथवा असत्य नहीं करेंगे। पूर्णतः व सही रूप से भरे गये आवेदन-पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है, ही मान्य होंगे।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

(4) आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त/अर्जित की गई किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा।

(5) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भाग लेने की अनुमति देने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना किसी पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

(6) यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, पात्रता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित कोई सारभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गयी है, गलत दी है अथवा छिपाई है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

(7) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(8) चयन प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के उपबंधों के अधीन रहेगी।

(9) विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर विहित कालावधि में उपलब्ध रहेगा।

(10) अभ्यथी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये सभी निर्देश व जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लें।

खंड "ख"

पदों का विवरण

(1) श्रेणी :- व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)

(2) वेतनमान :- रु. 77840-136520 लेवल J-1

(3) रिक्त पदों की संख्या :- व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। वर्गवार पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	संवर्ग	वर्ष 2022 के पदों की संख्या	बैकलॉग पदों का विवरण
1.	अनारक्षित	31	17
2.	अनुसूचित जाति	09	11
3.	अनुसूचित जनजाति	12	109
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	01
	योग	**61**	**138 (06 दिव्यांग सहित)**

नोट :-

1. वर्ष 2022 की रिक्तियों में से 6 प्रतिशत (छह प्रतिशत) पद, प्रमस्तिष्क घात को अपवर्जित करते हुए चलन दिव्यांगता, जिसमें रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, पेशीय दुष्पोषण और तेजाब आक्रमण सम्मिलित है, पीड़ित व्यक्तियों के लिए, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्ट है, केवल प्रारंभिक भर्ती के समय, क्षैतिज रूप से आरक्षित रखे जाएंगे;
   परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण दिए गए भर्ती वर्ष में ऐसे आरक्षित पद या उनमें से कोई पद भरा नहीं जाता है तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत की जाएगी।
2. दिव्यांग व म.प्र. राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। "अन्य पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा, जो "क्रीमीलेयर" के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
3. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में परिवर्तित पदों की संख्या, इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी, परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे।
4. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 (संशोधन, दिनांक 23.06.2023) के नियम 16 के अनुसार अभ्यर्थी परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर, विहित प्रारूप में दस लाख रुपये की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा और यह वचनबंध भी देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम 5 वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा। यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के पूर्व वह सेवा से त्यागपत्र देता है या अन्य रीति में सेवा छोड़ता है या वचन बंध की किन्हीं शर्तों को भंग करता है, तो वचनबंध समपहृत किए जाने के अधीन होगा और वह वचनबंध राशि दस लाख रुपए का भुगतान करेगा;
   परंतु जहां अधिकारी पूर्व अनुमति से केन्द्र सरकार या मध्यप्रदेश राज्य सरकार में नौकरी स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र देता है, तो उससे बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी को सक्षम मेडिकल बोर्ड से नियमानुसार स्वयं की शारीरिक जाँच कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

खंड "ग"

अर्हताएं

(1) पात्रता :- कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराता हो;

(ग) वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण नहीं करता है;
   परन्तु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कम से कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरन्तर विधि व्यवसाय किया हो।

अथवा

विधि में पांच/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक कॅरियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिसने समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में एवं किसी भी सेमेस्टर/वर्ष में बिना पूरक परीक्षा दिये अथवा बिना ATKT के सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।

नोट :-

(1) अधिवक्ता के रूप में निरन्तर प्रेक्टिस की अवधि की संगणना अभ्यर्थी के प्रावधिक नामांकन की दिनांक से इस शर्त की अध्यधीन रहते हुए की जावेगी कि उसने प्रावधिक नामांकन होने के दो वर्ष के भीतर ऑल इंडिया बार परीक्षा (जहाँ परीक्षा आयोजित हुई हो एवं कालावधि को आवश्यक समयावधि के रूप में संगणना किये जाने से मुक्त न किया गया हो) उत्तीर्ण कर "प्रेक्टिस प्रमाण पत्र' (Certificate of Practice) प्राप्त किया हो।

(2) अभ्यर्थियों को जिला न्यायालय में प्रेक्टिस करने की दशा में संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेक्टिस करने की दशा में, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अथवा जहाँ अभ्यर्थी द्वारा प्रेक्टिस की जा रही हो, वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव द्वारा जारी "निरन्तर प्रेक्टिस करने का प्रमाण पत्र" (Certificate of Continuous Practice) भी प्रस्तुत करना होगा।

(3) सहायक लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की सेवा अवधि की संगणना के संबंध में न्यायदृष्टांत **दीपक अग्रवाल विरुद्ध केशव कौशिक एवं अन्य (2013) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 277** का अनुपालन किया जावेगा।

(4) निरंतर विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के समर्थन में अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की 06 (छः) ऐसे मामलों की आदेश पत्रिकायें/आदेशों/निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, जिनमें अभ्यर्थी का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्शित हो रहा हो, प्रस्तुत करनी होंगी। मामलों की आदेश पत्रिकायें प्रस्तुत किये जाने की दशा में ऐसी आदेश पत्रिकाओं से यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि उक्त दिनांक को मामले में कुछ सारवान कार्यवाही हुई है।

2. आयु सीमा :- कोई भी व्यक्ति **व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)** के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, यदि -

(क) उसने दिनांक 1 जनवरी, 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक हैं (चाहे स्थायी हों या अस्थायी) की उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(घ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ था। अतः अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा एक वर्ष की सीमा तक शिथिलनीय होगी।

नोट:-1. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थी को आवेदन करने की तिथि पर 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता की दशा में ही प्राप्त होगा।
2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थी को केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा।
3. बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के सिवाय कोई अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य का वास्तविक निवासी (मूल निवासी) न हो, सभी प्रकार से सामान्य श्रेणी का माना जाएगा।

(3) निरर्हता :-

1. कोई अभ्यर्थी जो कि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी अथवा भर्ती प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण अथवा गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा गलत या झूठे बयान प्रस्तुत करे अथवा परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करे अथवा अनियमित तरीके से साक्षात्कार अथवा परीक्षा में प्रवेश करने का दोषी पाया जाए, आपराधिक अभियोजन के लिए दायी होने के अतिरिक्त -

(क) यथास्थिति भर्ती प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश

अथवा

(ख) उम्मीदवार के चयन हेतु भर्ती प्राधिकारी द्वारा लिए जा रहे किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वंचित किये जाने का दायी होगा।

2. ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निरर्हित होगा, यदि -

(क) एक से अधिक जीवित पति/पत्नि रखता हो;

(ख) किसी उच्च न्यायालय, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो;

(ग) किसी उच्च न्यायालय अथवा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग अथवा सरकार द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अधीन गठित किसी सेवा चयन बोर्ड द्वारा किसी नैतिक अधमता में सिद्धदोष पाया गया हो अथवा स्थायी रूप से वंचित अथवा निरर्हित किया गया हो,

(घ) किसी ऐसे अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त पाया गया हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में न्यायिक अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में उचित न हो,

(ङ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन व्यावसायिक कदाचरण का दोषी पाया गया हो,

(च) स्वयं के विवाह के समय दहेज लिया है या लेना स्वीकार किया गया हो।

स्पष्टीकरण:- इस खंड में शब्द ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) में नियत किया गया है।

खंड "घ"

परीक्षा शुल्क

पोर्टल व अन्य शुल्कों सहित परीक्षा शुल्क-

	ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	
1.	**अनारक्षित वर्ग के लिये**	**रु. 977.02/-** [परीक्षा शुल्क रु. 400 + पोर्टल प्रभार रु. 577.02 (रु. 335 + रु. 154/- कोविड- 19 व्यवस्था शुल्क +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु)]
2.	**आरक्षित वर्ग के लिये** {केवल दिव्यांग एवं मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु}	**रु. 577.02/-** [परीक्षा शुल्क निरंक + पोर्टल प्रभार रु. 577.02 (रु. 335 + रु. 154/ - कोविड-19 व्यवस्था शुल्क +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु)]

नोट :-

1. उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और शुल्क में वृद्धि की दशा में, अभ्यर्थी को अतिरिक्त/बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क वृद्धि के संबंध में आपत्ति (यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. अभ्यर्थी का आवेदन तभी जमा माना जायेगा, जब निर्धारित शुल्क का संव्यवहार (Transaction) सफलतापूर्वक हो चुका हो। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस या समायोजित नहीं किया जायेगा।
3. दिव्यांग व मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अनुसार शुल्क अदा करेंगे।
4. यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा कि उसके द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन व शुल्क नियत अवधि में या उसके पूर्व सफलतापूर्वक जमा करवा दिया गया है।

खंड "ङ"

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी

(1) कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दिये गये सभी निर्देशों एवं जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लें।

(2) अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर "Recruitment/Result" टैब पर क्लिक करना होगा, उसके पश्चात् " Online Application Forms/Admit Cards - Click Here " टैब/लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् परीक्षा का नाम तथा निम्नानुसार लिंक उपलब्ध होंगी :-

Madhya Pradesh Civil Judge, Junior Division (Entry Level) Exam-2022	1. Advertisement - Click Here 2. Registration - Click Here 3. Application - Click Here 4. Edit Application - Click Here

नोट :- सर्वप्रथम, अभ्यर्थी Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

(3) अभ्यर्थी **रजिस्ट्रेशन (Registration)** लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. पर User ID & Password भेजा जायेगा। **रजिस्ट्रेशन फार्म (Registration Form)** को भरकर ऑनलाइन जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक प्रविष्टि में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य हैं। **रजिस्ट्रेशन (Registration)** करने के दौरान पॉप-अप विन्डो के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में एलर्ट की सूचना प्राप्त होगी तथा प्रविष्टियों के संबंध में चेक बॉक्स के माध्यम से पुनः - चेक/पुनः-वेरीफिकेशन कराया जायेगा। अतः अभ्यर्थी सभी प्रविष्टियों का सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही रजिस्ट्रेशन (Registration) पूर्ण करें। एक बार **रजिस्ट्रेशन (Registration)** हो जाने के उपरांत रजिस्ट्रेशन फार्म में की गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। **रजिस्ट्रेशन फार्म (Registration Form)** में त्रुटि होने की दशा में पुनः विवरण भरकर नया-रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

(4) रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई - मेल आई.डी. पर User-ID & Password प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग कर अभ्यर्थी Application लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फार्म (Application Form) पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। Online Application Form को पूरा भरने के उपरांत अभ्यर्थी को Application Form Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन के Submit बटन को क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य हैं। अभ्यर्थी प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही फार्म Submit करें।

(5) रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टि अर्हताकारी दस्तावेजों/प्रमाण-पत्र के अनुरूप होनी अनिवार्य है।

(6) Application Form पूर्णतः भरने के बाद अभ्यर्थी पेमेंट गेटवे द्वारा दिये गये भुगतान माध्यमों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने "ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट" प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों के प्रिंट आउट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें। मांगे जाने पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(7) ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय हुई त्रुटि सुधार के लिए Edit Application के रूप में पृथक से समयावधि दी गई है किंतु यह अवधि मात्र आवेदन फार्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई होंगी उनके संबंध में सुधार के लिए लागू होगा। रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनमें सुधार हेतु प्रावधान नहीं है।

नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (Online Helpdesk No.) **917353922115** पर तत्काल सम्पर्क करें।

(8) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी द्वारा Application Form में दी गई जानकारी को ही सत्य व पूर्ण माना जावेगा। ऑनलाइन आवेदन फार्म/पत्र में असत्य या त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

(9) प्रत्येक अभ्यर्थी को दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को रात्रि 09:00 (PM) बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के अभाव में आवेदन फार्म स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(10) प्रारंभिक परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अथवा आवेदन शुल्क स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा।

खंड -"च"

परीक्षा की योजना

क- प्रारंभिक परीक्षा

(1) यह परीक्षा तीन चरणों में सम्पन्न करायी जायेगी :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा,
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि केवल उपयुक्तता परीक्षा (Screening Test) होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अगले किसी भी चरण के प्राप्तांकों में नहीं जोड़ा जाएगा।

प्रथम दोनों चरणों में, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 273/2021, विकास कुमार वि. यू.पी.एस.सी. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 (2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 84)** के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय व केन्द्र :- ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन मोड में सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से **दिनांक 14.01.2024 (रविवार) को ली जायेगी। परीक्षा का समय, स्थान व केन्द्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किये जायेंगे।** अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु जिले/राज्य के चयन का विकल्प दिया जायेगा, परन्तु परीक्षा हेतु जिले/राज्य के आबंटन के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा। आबंटित किये गये परीक्षा केन्द्र/जिले/राज्य पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

(3) प्रवेश पत्र :- प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की **वेबसाइट (www.mphc.gov.in)** पर जारी किये जायेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। प्रिंट आउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(4) ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विषय	कुल प्रश्न	अंक
1.	भारत का संविधान	5	5
2.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	20	20
3.	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882	7	7
4 .	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	8	8
5.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	6	6
6.	परिसीमा अधिनियम, 1963	4	4
7.	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961	5	5
8.	म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959	5	5
9.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	15	15
10.	भारतीय दण्ड संहिता, 1860	15	15
11.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	15	15
12.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	5	5
13.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	4	4
14.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	3	3
15.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	3	3
16.	सामान्य ज्ञान	10	10
17.	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
18.	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	**150**	**150**

नोट :- 1. कुछ प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख/नवीनतम निर्णयों एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्ण पीठ के निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं।

2. उक्त सभी अधिनियमों से, जैसे कि विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक तक संशोधित हों, प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

(5) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया :-

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय) पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 (चार) संभावित उत्तर/विकल्प होंगे, जिन्हें हल करने हेतु कुल 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सुविधा हेतु प्रश्न यथासंभव हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे।

(3) अभ्यर्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेंगे अर्थात् किसी भी प्रश्न को पहले एवं अन्य को बाद में हल कर सकेंगे।

(4) अभ्यर्थी को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। अभ्यर्थी इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित (save) कर सकता है। सुरक्षित (save) करने के बाद अभ्यर्थी उत्तर परिवर्तित कर सकता है, परंतु फाइनल Submit करने/होने के बाद उत्तर में परिवर्तन संभव नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लाना होगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा केंद्र पर कम-से-कम एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक - एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जावेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले अभ्यर्थी को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(7) ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) आवश्यक सूचना :-

(1) अभ्यर्थी को उसे आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा नियत किये गये समय के पश्चात् परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट मामले में परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।

(3) निर्धारित तिथि, समय या स्थान पर परीक्षा हेतु उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि, समय या स्थान परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केलक्युलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाइस, रिकार्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(7) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे। अतः अभ्यर्थी परीक्षा पूर्व प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ लें व उनका पालन करें।

(7) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :-

(1) परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Proposed Model Answer Key), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध कराई जावेगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रस्तावित आदर्श उत्तर/उत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे वेबसाइट पर प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के भीतर लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को संबोधित करते हुए करना होगा, इसके लिये अभ्यर्थी को आपत्ति से सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से अथवा pregexam-hcjbp@mp.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

ऐसी कोई आपत्ति जो प्रामाणिक दस्तावेजों/स्रोतों से समर्थित न हो या निर्धारित समयावधि में प्राप्त न हुई हो, पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो, पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों की संख्या से अधिकतम 10 गुना अर्थात् प्रत्येक पद हेतु 10 अभ्यर्थी वर्गवार (Categorywise) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये सफल घोषित किये जावेंगे तथा अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी सफल अभ्यर्थियों में शामिल किया जायेगा, भले ही उनकी संख्या निश्चित अनुपात 1:10 से अधिक हो जाये।

(3) प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत (अर्थात् कुल 150 में से 90) अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत (अर्थात् कुल 150 में से 82.5, पूर्णांक में 82 अंक) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(4) परीक्षा पूर्ण होने पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये अभ्यर्थियों की वर्गवार (Categorywise) सूची, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password से Login कर देख सकते हैं।

ख - मुख्य परीक्षा

(1) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र :- प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त वांछित/सुसंगत की दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करने होंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही आवेदन डाक विभाग द्वारा की गई देरी के कारण अप्राप्त रहा हो और अभ्यर्थी ने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) प्रवेश पत्र :- मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर यथासंभव परीक्षा के 7 दिवस पूर्व जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा।

(3) मुख्य परीक्षा का प्रारूप व आवश्यकतायें :- मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 100-100 अंकों के कुल 04 (चार) पेपर होंगे एवं प्रत्येक पेपर को हल करने हेतु 3 घंटे का समय दिया जायेगा। मुख्य परीक्षा निम्न दिनांकों व समय पर होगी :-

क्र.	प्रश्न-पत्र	दिनांक
01	प्रथम प्रश्न पत्र **संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया**	30.03.2024 शनिवार
02	द्वितीय प्रश्न पत्र **लेखन एवं संक्षेपण**	30.03.2024 शनिवार
03	तृतीय प्रश्न पत्र **स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया**	31.03.2024 रविवार
04	चतुर्थ प्रश्न पत्र **निर्णय लेखन**	31.03.2024 रविवार

नोटः- अभ्यर्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर-पुस्तिका (ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थिता को निरस्त माना जावेगा।

(4) मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र (संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
6. परिसीमा अधिनियम, 1963

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र (लेखन एवं संक्षेपण) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. लेख, सामाजिक विषय पर - 20 अंक
2. लेख, विधिक विषय पर - 20 अंक
3. संक्षेपण (विधिक) - 20 अंक
4. अनुवाद, हिन्दी से अंग्रेजी - 20 अंक
5. अनुवाद, अंग्रेजी से हिन्दी - 20 अंक

(स) तृतीय प्रश्न पत्र (स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय 13 एवं अध्याय 17)
5. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र (निर्णय लेखन) का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण - 10 अंक
2. आरोप विरचना - 10 अंक
3. निर्णय लेखन (सिविल) - 40 अंक
4. निर्णय लेखन (दांडिक) - 40 अंक

नोट-

1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने होंगे।
2. संक्षेपण के लिए अभ्यर्थी को दिये गये आलेख का लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण करना होगा।
3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के प्रश्नों में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी भाषा का पाठ मानक माना जायेगा।
4. सभी प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। किसी भी **प्रश्न का उत्तर लिखते समय उसी प्रश्न का क्रमांक उत्तर पुस्तिका में लिखना आवश्यक है जिसका उत्तर दिया जा रहा है।**
5. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक अथवा ऐसा कोई चिन्ह अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से पृथक किया जा सके या अलग से पहचान की जा सके।
6. अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में निर्दिष्ट किये गये किसी न्यायालय, पक्षकार, साक्षी अथवा किसी व्यक्ति के नाम से भिन्न किसी नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। न्यायालय के नाम के स्थान पर हिन्दी में " क ख ग ....." अथवा "अ ब स....." तथा अंग्रेजी में " ABC....." अथवा " X Y Z..... का उल्लेख किया जा सकेगा।
   संदर्भ से अन्यथा किसी नाम या पहचान का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और ऐसा करना अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार हो सकेगा।
7. अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय M.P. Rules & Order (Criminal), M.P. Civil Court Act, 1958 व M.P. Civil Court Rules, 1961 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है।

(5) मुख्य परीक्षा का परिणाम :-

1. मुख्य परीक्षा में **अनारक्षित वर्ग** एवं **अन्य पिछड़ा वर्ग** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा **अनुसूचित जाति** एवं **अनुसूचित जनजाति** के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं सभी चार प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चारों प्रश्न पत्रों के सम्मिलित अंकों के आधार पर मेरिट बनायी जायेगी। वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए सफल घोषित किये जायेंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ग की मेरिट में अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी भी शामिल होंगे भले ही सफल अभ्यर्थियों की संख्या इस कारण 1:3 के अनुपात से अधिक हो जाये।

ग- साक्षात्कार

(1) साक्षात्कार :- मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए निरर्हित माना जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(2) अंतिम चयन का आधार :- पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा एवं मौखिक/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जावेगा। प्रत्येक वर्ग में अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी।

(3) प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अंकों की पुनर्गणना अथवा प्रश्नों/प्रश्न पत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त समस्त आवेदनों/अभ्यावेदनों को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(4) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने हेतु नियत न्यूनतम अंकों की सीमा को शिथिल करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

खंड –"छ"

परीक्षा सम्बन्धी अन्य जानकारी व निर्देश

(1) अनुचित साधन :- परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप/गतिविधि में संलिप्त पाये जाने पर, अनुचित साधन (Unfair Means) का उपयोग माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उन्हें स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकेगा :-

(1) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार से नकल करना।
(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का उपस्थित होना।
(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना या अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
(5) परीक्षा कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी/अधिकारी या परीक्षा से संबंधित व्यक्ति के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(6) परीक्षा कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी/अधिकारी/व्यक्ति को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना।
(7) नकल प्रकरण के संबंध में या अन्यथा कोई भी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा गलत या त्रुटिपूर्ण रूप से दिया जाना।

(2) परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश :-

1. परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र/प्रमाणित प्रतिलिपियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/उपयोग करने का प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका अथवा प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
3. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, अन्य किसी भी प्रकार का संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस उपकरण (device) लाना वर्जित है।
4. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

(3) सूचनायें/शुद्धि पत्र/ई-मेल :- भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत सभी प्रकार की सूचनायें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर सूचना पत्र/शुद्धि पत्र जारी करके दी जायेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट का समय - समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/शुद्धिपत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

(4) सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :- ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत 03 माह की अवधि तक अभ्यर्थी के प्राप्तांक तथा उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किये गये क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर देख व उसका प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) परिरक्षित नहीं रखी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी उम्मीदवारी किसी भी कारण से निरस्त कर दी गई हो, की अंकसूची जारी नहीं की जायेगी।

अंतिम चयन सूची/परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची एवं अंक केवल सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किये जाने पर प्रदान किये जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आर.टी.आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर "सूचना के अधिकार" के अंतर्गत अंतिम चयन सूची/परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम चयन सूची/परिणाम की घोषणा से पहले मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंक की जानकारी हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) विनष्टीकरण :- चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज या सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में किसी प्रकरण के लंबित होने की दशाओं को छोड़कर परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर-पुस्तिकाओं, आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों को छोड़कर) व अन्य सामग्री, अंतिम चयन सूची/परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

जी-21429/49236/2023

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार-नेहरू नगर रोड, भोपाल 462003)
Web. : www.klsgaci.edu.in, E-mail : principal@klsgaci.nic.in, दूरभाष क्र. : 0755-2970310

क्रमांक/क्रय कक्ष/2023/2163 भोपाल, दिनांक 09.12.2023

ई-निविदा सूचना आमंत्रण सूचना

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान हेतु नीचे दर्शाये अनुसार कार्य/सेवा/आपूर्ति हेतु संबंधित इच्छुक फर्मों से ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता **http://mptenders.gov.in**/भारत सरकार के GEM पोर्टल से निविदा प्राप्त एवं प्रस्तुत कर सकते हैं।

निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	निविदा का विवरण	पोर्टल का नाम	ई-निविदा प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
01	संस्थान के गायनी विभाग हेतु मशीनों/ उपकरणों की आपूर्ति हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना	Mp.Tender.gov.in	02.01.2024 समय 05:00 बजे	04.01.2024 समय 02:00 बजे
02	संस्थान के पुस्तकालय हेतु मार्डन मेडिसिन पुस्तकों की आपूर्ति हेतु चतुर्थ ई-निविदा आमंत्रण सूचना	Mp.Tender.gov.in	02.01.2024 समय 05:00 बजे	04.01.2024 समय 02:00 बजे
03	संस्थान के फिजियोथैरेपी यूनिट में मशीन/ उपकरणों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना।	Mp.Tender.gov.in	02.01.2024 समय 05:00 बजे	04.01.2024 समय 02:00 बजे
04	संस्थान में शोध कार्य हेतु कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना।	Mp.Tender.gov.in	02.01.2024 समय 05:00 बजे	04.01.2024 समय 02:00 बजे
05	संस्थान में समय समय पर आवश्यक कैटरिंग एवं हाई-टी. की व्यवस्था हेतु जारी तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना	Gem Portal Gem/2023/ B/4319747	04.01.2024 समय 03:00 बजे	05.01.2024 समय 2:00 बजे
06	संस्थान में समय समय पर कराये जाने वाली फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की दरों के अनुबंध की तृतीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना	Gem Portal Gem/2023/ B/4319244	04.01.2024 समय 01:42 बजे	05.01.2024 समय 2:00 बजे
07	पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल हेतु पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत समग्र चिकित्सालय एवं रोगी सूचना प्रबंधन तंत्र की स्थापना ई-हॉस्पिटल के परिचालन हेतु तृतीय ई-निविदा आमंत्रण	Mp.Tender.gov.in	02.01.2024 समय 05:00 बजे	04.01.2024 समय 02:00 बजे

नोट:- किसी प्रकार का आंशिक संशोधन या सूचना केवल संस्थान की वेबसाइट **http://www.klsgaci.edu.in** पर अपलोड की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/112725/2023 R-49249/2023 **प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

कार्यालय, प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन
शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय/चिकित्सालय
(कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, मैनिट के पीछे, भोपाल)
Web. : www.gumcbhopal.in, E-mail : gumcbhopal@gmail.com, Ph. : 0755-2970354

कपिंग थैरेपी असिस्टेंट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स हेतु विज्ञापन

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थान ''अखिल भारतीय सेन्ट्रल चैम्पियन सर्विस सेक्टर स्कीम'' के पत्र क्र. F.No. V-17020/2/21-ADS, Dated 27.07.2023 द्वारा हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल द्वारा 30 कपिंग थैरेपी असिस्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	सर्टिफिकेट का नाम	सीट संख्या	शैक्षणिक अर्हता	स्थान	प्रशिक्षण की तिथि एवं अवधि
1.	कपिंग थैरेपी असिस्टेंट	30	मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से 10+2 उत्तीर्ण	हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	08 जनवरी 2024 से 07 मार्च 2024 तक (अवधि 02 माह)

1. नियम, शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट **www.gumcbhopal.in** पर उपलब्ध है। बायोडाटा एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां (2 सेट) संलग्न करना अनिवार्य है एवं आवेदकों का प्रवेश महाविद्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्रवीणता सूची अनुसार होगा।
2. प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को कुल राशि रुपये 9000 (3500 रुपये खाना और 500 किताब हेतु) एवं राशि रु. 5000/- प्रशिक्षण राशि देय होगा।
3. आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार देय होगा।
4. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर म.प्र. के नियमानुसार प्रवेश संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
5. न्यूनतम आयु 17 वर्ष अधिकतम आयु 45 वर्ष, आयु की गणना 01.12.2023 से की जावेगी।
6. महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2024** है।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

म.प्र. माध्यम/112755/2023 R-49253/2023 **प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
REGIONAL OFFICE INDORE
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road INDORE- 452007 (M.P.)
CIN : U51102MP1977SGC001392 Phone : (O) 0731-2970611, 2971311, 2974363
Fax No. : 0731-2972629. E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/ROIND/TECH/2023/14465 Date : 14.12.2023

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional Office Indore (formerly known as MPAKVN (I) Ltd. Indore) invites online percentage rate tenders from Reputed Firms having relevant experience individually (as described in bid document) through e-portal **https://www.mptenders.gov.in**
Tender details as below :

Sr. No.	Name of Works	PAC	EMD	Cost of Tender Form	Last Date Submission of Tender
1.	Facilitation for purchase of RECs (Solar and Non Solar) through Power Exchange or Bilateral Trade at I/A SEZ Power Pithampur Distt. Dhar (M.P.) **Ist Call**	Rs. 375.00 Lacs	Rs. 3,75,000/-	Rs. 17,700/- (i/c GST)	20.12.2023

Note : Form Fee and EMD exemptions for MSE are not applicable.
Details NIT along with other details can be viewed after publication in news paper within 3 working days on above mentioned portal.

M.P. Madhyam/112796/2023 R-49260/2023 **SENIOR PROJECT ENGINEER**

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
REGIONAL OFFICE INDORE
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road INDORE- 452007 (M.P.)
CIN : U51102MP1977SGC001392 Phone : (O) 0731-2970611, 2971311, 2974363
Fax No. : 0731-2972629. E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/ROIND/TECH/2023/14204 Dated : 11.12.2023

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional Office Indore (formerly known as MPAKVN (I) Ltd. Indore) invites online percentage rate tenders from Reputed Firms having relevant experience individually (as described in bid document) through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in**
Tender details as below :

Sr. No.	Name of Works	PAC	EMD	Cost of Tender Form	Last Date Submission of Tender
1.	Providing Wire Fencing at I/A Hatod Sardarpur Distt. Dhar **Ist Call**	Rs. 69.42 Lacs	Rs. 69,420/-	Rs. 11,800/- (i/c GST)	28.12.2023
2.	Repairing of Street Light with Providing and Fixing of Highmast along with watch/ ward arrangement and Operation & Maintenance for a period of 03 Years at I/A Hatod Sardarpur Distt. Dhar **Ist Call**	Rs. 72.35 Lacs	Rs. 72,350/-	Rs. 11,800/- (i/c GST)	28.12.2023
3.	Construction of Precast Storm water Drain, laying of 1000 MM Dia pipe line and providing, laying of Street Light Providing & Fixing of chain link fencing at I/A Meghnagar Distt. Jhabua **IInd Call**	Rs. 206.24 Lacs	Rs. 2,06,240/-	Rs. 17,700/- (i/c GST)	28.12.2023
4.	Selection of outsourcing agency for vehicles for DC Office, SEZ Indore **Ist Call**	Rs. 41.50 Lacs	Rs. 41,500/-	Rs. 5,900/- (i/c GST)	27.12.2023

Note : Form Fee and EMD exemptions for MSE are not applicable.
Details NIT along with other details can be viewed after publication in news paper within 3 working days on above mentioned portal.

M.P. Madhyam/112762/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

R-49255/2023

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, रीवा (म.प्र.)
फोन नं. : 9425601556, 9340714903

प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत निर्माण कार्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निवाड़ी जिला निवाड़ी, निर्माण कार्य नवीन पुलिस लाइन निवाड़ी जिला निवाड़ी, निर्माण कार्य एस.ए.एफ. कंपनी मुख्यालय निवाड़ी जिला निवाड़ी एण्ड निर्माण कार्य पुलिस कंट्रोल रूम निवाड़ी जिला निवाड़ी के निर्माण कार्यों हेतु निविदा क्रमांक 08/2023-24 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHCL/TENDER No. 2023_MPPHC_319414_1, 319415, 319417, 319418) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 01.01.2024 समय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/112761/2023 **परियोजना यंत्री**

R-49254/2023

M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LTD.
(A Govt. of M.P. Undertaking)
RAMPUR, JABALPUR (MADHYA PRADESH)
CIN : U40109MP2006SGC018637

WALK-IN-INTERVIEW FOR ENGAGEMENT OF MEDICAL OFFICER ON JOB CONTRACT BASIS

M.P. Power Management Company Limited intend to engage 02 Medical Officers on Job Contract Basis for its Hospital at Rampur, Jabalpur, on consolidated monthly remuneration of Rs. 65,000/- p.m. through walk-in-interview.

For application form and detailed information please visit **www.mppmcl.com.**

M.P. Madhyam/112797/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (HR&A)**
// SAVE ELECTRICITY //

R-49261/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(An agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
Block-II[nd], 5th Floor, Paryavas Bhavan, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.)
No. 20019/22/D-12/DPR-Cons./PM-JM/MPRRDA/23 Bhopal, Dt. :14.12.23

NOTICE INVITING BIDS FOR DPR PREPARATION (E-Procurement Notice)

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR of rural roads/Bridge under PM-JM as per details given below:

- **Nodal PIU-Anuppur, Sidhi, Ashoknagar-1, Shivpuri-1, Balaghat-1, Dindori, Mandla, Shahdol Total-Length-1487.32 km.**

1. Bid document may by purchase online from **15.12.2023 (17:30 hrs.) and last date for online bid submission is 26.12.2023 (17:30 hrs.)**
2. Other details & Conditions may be seen in the detailed NIT, Tender Document for preparation of DPR of Roads/ Bridges under PMGSY-III Sep. 2019 amended upto date available on E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in**

M.P.M./112801/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-49262/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./19479/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 12.12.2023

NOTICE INVITING TENDER N0. 1159 UPG Bridge

Online Tenders for Construction of Rural Roads /CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :-

- **Name of Work : UPG Bridge (MP-PWD SSR : 25.03.2022)**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Shivpuri	1	35709000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website **from 14.12.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/112749/2023 **(TENDER)**

'मेरी सड़क' ऐप डाउनलोड कर, फीडबेक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

R-49252/2023

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

विज्ञप्ति

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय/विभिन्न पीआईयू में महाप्रबंधक पद के 41 पदों की पूर्ति हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्णत: भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम दिनांक 02.01.2024** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट **mprrda.org/default.html** पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

क्र. 19372 दिनांक 11/12/2023

म.प्र. माध्यम/112723/2023 **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

R-49248/2023

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

कोलार रोड, भोपाल-462016 (म.प्र.)
Tel. : 0755-2424660, 2492093, 2492096
Website : http://mpbou.edu.in

क्र. 6693 भोपाल, दिनांक 13.12.2023

अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न विषयों में संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अधिगम सामग्री, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन पद्धति, पूरक अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, आदि के निर्माण एवं संपर्क कक्षाओं हेतु अतिथि व्याख्याता के लिए इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवारों से **दिनांक 15.01.2024 तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव संबंधी दस्तावेजों को अनिवार्यत: संलग्न करना होगा। शिक्षकों का आमंत्रण मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1/1/201/2023/38-1 भोपाल दिनांक 05.10.2023 में दिये गये प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के नियमों/निर्देशों के अनुसार एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। विषय, शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://mpbou.edu.in** का अवलोकन करें।

म.प्र. माध्यम/112771/2023 R-49258/2023 **कुलसचिव**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. - 462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./19613/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 12.12.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 1160 (PMGSY-B.W.)

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below;

- **Name of Work -** Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Shajapur	1	90899000.00

1. Bid document may be purchase online from **14.12.2023 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **30.12.2023 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P.M./112765/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-49256/2023

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल-462004
Web. -www.mpjalnigam.mp.gov.in, E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in
Ph. : 0755-2579034, 2579874, Fax : 0755-2579873
CIN-U41000MP2012SGC028798/2012

क्र. 21232/72/स्था./म.प्र.ज.नि.मर्या./2023 भोपाल, दिनांक : 15.12.23

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश जल निगम, मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (पी.आई.यू.) में पदस्थापना हेतु **महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, प्रबंधक (तकनीकी), उप प्रबंधक (तकनीकी) एवं आई.टी. एक्सपर्ट के रिक्त पदों पर**, केन्द्र एवं सभी राज्य शासन के विभागों/मंडलों/निगमों से प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **अंतिम तिथि 02.01.2024 तक** कार्यालयीन समय में आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति हेतु अर्हताएं, सेवा शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रमाणीकरण सहित अन्य विस्तृत विवरण जल निगम की वेबसाइट **https://mpjalnigam.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/112826/2023 R-49267/2023 **प्रबंध संचालक**

M.P. TEXTBOOK CORPORATION

"Pustak Bhawan" Arera Hills, Bhopal-462011
Tel. : 0755-2551565, E-mail : info.mptbc@mp.gov.in
No./19266/mptbc/2023 Bhopal Dated : 11.12.2023

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR EMPANELMENT OF QUALITY MANAGEMENT MONITORS (PAPER, PRINTING)

M.P. Textbook Corporation, an undertaking of Government of Madhya Pradesh, invites applications for empanelment of Quality Management Monitors (paper/printing) from persons having Degree/diploma in Paper Technology &/or printing Technology. Details are available on the website **https://mptbc.mp.gov.in** Individuals interested may send their applications on prescribed format by registered post so as their applications should be reach to The Managing Director of M.P. Textbook Corporation, Pustak Bhawan, Arera Hills, Bhopal or alternatively the application can be deposited at the Head office of M.P. Textbook Corporation, Bhopal, **latest by 5.30 PM of 28.12.2023.**

Interested persons may contact Mr. Sanjeev Kumar Tyagi, General Manager on his mobile No. 9179018774 or 0755-2551565 for queries.

M.P. Madhyam/112728/2023 **MANAGING DIRECTOR**

R-49250/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. - 462 011
No./19610/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 12.12.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 267/MTN/2023 (BW)

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable ;-** SSR issued by M.P Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. **Name of Work : Post 5 Year (BW)**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Dhar	1	8394000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **14.12.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P.M./112766/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-49257/2023

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-1 भदभदा रोड, भोपाल
क्र./1200, 1207/तशा/प.यं./2023 दिनांक : 14.12.2023

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा गुना एवं भोपाल जिले में निर्माण/पुताई/मरम्मत कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रमशः निविदा क्रमांक (1) 2023_MPPHC_320042_1 (2) 2023_MPPHC_320044_1 (3) 2023_MPPHC_320114_1 **दिनांक 30.12.2023 समय अपरान्ह 17:00 बजे तक** खरीदी जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/112824/2023 R-49266/2023 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462011

NOTICE INVITING TENDER FOR SQC CONSULTANCY (E-PROCUREMENT NOTICE)

No.19486/22/D-12/SQC/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 12.12.2023

Online bids are invited from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Rural Roads being constructed under PMGSY-III/WB/RCPLWEA & Other Works for the following districts.

- No. of Packages - 3
  Name of Districts/PIU - Bhind-1, Raisen-2 & Sehore.
- Cost of Bid Document, Bid Security (EMD) and service charges as appearing on e-procurement portal are to be paid simultaneously through Debit Card/Credit Card/ Internet Banking or system generated challan. For detailed procedure of online payment of EMD and submission of affidavit please refer condition number 2 of detailed NIT.

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:00 hrs on **13.12.2023.**
2. Last date of Submission of bid is date **27.12.2023 upto 17.00 hrs.**
   Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Roads and Bridge works August, 2020 (Updated upto 28.06.2021) on our Website **http://mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/112748/2023 **(TENDER)**

R-49251/2023

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाश्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.), Email : mpphcl_ujjain@yahoo.in,
फोन नं. : 0734-2527715, मोबा. : 9406808103

क्र. 1541/पयं/मप्रपुहाइडेकालि/23/उज्जैन दिनांक 13.12.23

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 21/2023-24

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 21/2023-24 दिनांक 13.12.2023 के अंतर्गत जिला आगर मालवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन, पुलिस कन्ट्रोल रूम भवन एवं एस.ए.एफ. कम्पनी मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2023_MPPHC_319430, 2023_MPPHC_319431, 2023_MPPHC_319432 आमंत्रित की गई है।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 27.12.2023 17.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal: https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/112774/2023 R-49259/2023 **परियोजना यंत्री**

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
REGIONAL OFFICE, INDORE, 101, First Floor, Atulya IT Park
Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore-452007 (M.P.)
Phone : (0) 2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629
E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in
GSTN : 23AACCM6080D2ZT, CIN : U45203MP1981SGC001850

क्र. एमपीआयडीसी/क्षे.का.इं./लेखा/2023/14331 दिनांक : 14.12.2023

निविदा आमंत्रण सूचना

एमपीआयडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला-धार में स्थित गुमटी प्लाजा (कैंटीन) परिसर किराये पर देने हेतु मोहरबंद प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 तक आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा का निर्धारित प्रपत्र का मूल्य जीएसटी सहित रु. 2360/- (वापसी योग्य नहीं) एवं धरोहर राशि (EMD) रु. 25000/- जिसका डी.डी./एफ.डी.आर., कार्यकारी संचालक, एमपीआयडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के नाम से देय होगा। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी निगम की वेबसाइट **www.mpakvnindore.com** पर देखी जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/112807/2023 R-49264/2023 **कार्यपालन यंत्री**

नगरीय निकायों एवं पंचायतों के उप निर्वाचन की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

भोपाल, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें।

श्री सिंह ने कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं, संबंधित चुनाव के लिये स्थापित किये गये सहायता केन्द्रों की जानकारी, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेजों की जानकारी, नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, तिथियों तथा मतदान केन्द्रों एवं मतदान दिनांक की जानकारी का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से कराया जाये। संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों, हाट-बाजारों, मेलों, भीड़ वाले क्षेत्रों तथा आंगनवाड़ियों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का विधिवत प्रदर्शन करते हुए, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझायी जाए।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नरसिंहपुर (म.प्र.)
E-Mail : gmmprrdansp@yahoo.com

पत्र क्र. 5224/स्था./2023 नरसिंहपुर, दिनांक 14 .12.2023

विज्ञप्ति

महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई नरसिंहपुर में सहायक ग्रेड-2 का 01 पद एवं सहायक ग्रेड-3 का 01 पद रिक्त है। उक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति/संविदा पर कार्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों से किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद	संख्या	प्रतिनियुक्ति का प्रकार	प्रतिनियुक्ति के लिये अर्हता /वेतन	संविदा नियुक्ति के लिये अर्हता/वेतन विवरण, आयु सीमा आदि	रिमार्क
1	सहायक ग्रेड-2	1	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	म.प्र. कार्य विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-2 जिन्हें इस पद पर 05 वर्ष का अनुभव हो प्रतिनियुक्ति पर मूल विभाग में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते देय होंगे।	म.प्र. कार्य विभाग से सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक ग्रेड-2 **वेतन** - संविदा हेतु सेवानिवृत्ति के पूर्व देय कुल वेतन से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर, शेष राशि एकजाई वेतन के रूप में देय होगी। **आयु** - दि. 31.12.2023 को 63 वर्ष से कम	
2	सहायक ग्रेड-3	1	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	म.प्र. कार्य विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 जिन्हें इस पद पर 05 वर्ष का अनुभव हो प्रतिनियुक्ति पर मूल विभाग में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते देय होंगे।	म.प्र. कार्य विभाग से सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक ग्रेड-3 **वेतन** - संविदा हेतु सेवानिवृत्ति के पूर्व देय कुल वेतन से पेंशन एवं राहत राशि घटाकर, शेष राशि एकजाई वेतन के रूप में देय होगी। **आयु** - दि. 31.12.2023 को 63 वर्ष से कम	

प्रतिनियुक्ति से पदों की पूर्ति न होने की स्थिति में इन्हें संविदा आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है। अत: इच्छुक अभ्यर्थी इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु उचित माध्यम से (विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) आवेदन पत्र प्रस्तुत करें एवं संविदा पदस्थापना हेतु सीधे आवेदन प्रस्तुत किये जायें। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 31.01.2024** है।

म.प्र. माध्यम/112805/2023 R-49263/2023 **महाप्रबंधक**

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

पिनकोड - 462002, टेलीफोन नंबर : 0755-2660717
ई-मेल : hegmlbgpgcbho@mp.gov.in, वेबसाइट : https://mlbcollegebhopal.co.in

क्र. 1778 / म.ल. ब/स्था./2023 भोपाल, दिनांक 02.12.2023

प्रारूप

महाविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिये जनभागीदारी समिति द्वारा विभिन्न विषयों की अध्यापन व्यवस्था हेतु विजिटिंग फैकल्टी, संगतकार पद हेतु सादे कागज पर निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	विभाग/विषय/ पाठ्यक्रम	पद	पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ)
1	नृत्य : लोक नृत्य	विजिटिंग फैकल्टी	01	एम.ए. कथक नृत्य (लोक नृत्य में विशेषज्ञता)
2	नृत्य : लहरा, गायन	संगतकार	01	मान्यता प्राप्त संस्थान से 06 वर्षीय संगीत प्रभाकर/ संगीतविद्/विशारद डिप्लोमा तथा गायन/ नृत्य के साथ लहरा, गायन का अनुभव

1. सभी आवेदन प्राचार्य एवं सदस्य सचिव, जनभागीदारी समिति, शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल के नाम संबोधित किये जायें। 2. इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित ए-4 साइज के कागज पर आवेदन पत्र महाविद्यालय में **विज्ञापन प्रकाशित होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर जमा** करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। 3. यदि अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं तो इस हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। 4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार छूट रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें। 5. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में फोटो सहित पूर्ण विवरण दें एवं संपर्क हेतु अपना डाक का पता और मोबाइल नंबर अवश्य दें। 6. आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन में संलग्न न होने की स्थिति में संबंधित अधिभार नहीं जोड़ा जायेगा। 7. चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंकों का निर्धारण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 969/एफ-19/2016/38-1 दिनांक 29.12.2015 के अनुसार स्नातकोत्तर/एम.फिल./पीएच.डी. संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। किसी भी विषय का कोई सह विषय नहीं है। 8. मेरिट के आधार पर चयनित विजिटिंग फैकल्टी/संगतकार का विषय विशेषज्ञों द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन किया जायेगा। 9. विजिटिंग फैकल्टी/संगतकार द्वारा किये गये पठन पाठन कार्य का मूल्यांकन गोपनीय रूप से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा कराया जायेगा जिसके आधार पर उन्हें बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय हटाया भी जा सकेगा। 10. उपरोक्त सभी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और न ही लोक सेवा की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे। 11. विजिटिंग फैकल्टी प्रति दिवस अधिकतम 3 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जनभागीदारी द्वारा स्वीकृत प्रति व्याख्यान हेतु निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा। 12. विजिटिंग फैकल्टी को प्रति कालखण्ड 250/- रुपये की दर से एवं संगतकारों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित **''कुशल दर''** से भुगतान किया जायेगा। 13. प्रयोगशाला तकनीशियन का चयन प्रावीण्यता सूची अनुसार किया जाएगा एवं उनको जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित ''कुशल दर'' से भुगतान किया जायेगा। 14. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को संपूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा उसके भाग को निरस्त करने या संशोधन करने का विधिक अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्राचार्य एवं सचिव (जनभागीदारी समिति)
शास. महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर
स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल

जी-21413/49235/2023

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) 485334

तिथि वृद्धि सूचना

इस विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों में नियुक्ति संबंधी निर्गत विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 05.10.2023 के अनुक्रम में एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 11 जनवरी 2024 एवं ऑनलाइन भरे हुए आवेदन फार्म डाउनलोड कर संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर **22 जनवरी 2024** की जाती है।

आर-49233/2023 **कुलसचिव**

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
REGIONAL OFFICE, INDORE
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore-452007 (M.P.)
Phone : (0) 2970611, 2971311, 2974363, Fax No. : 0731-2972629, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in
Website : www.invest.mp.gov.in, GSTN : 23AACCM6080D2ZT, CIN : U45203MP1981SGC001850
No. MPIDC/R.O./IND/Tech/2023/4333 Date : 14.12.2023

NOTICE INVITING TENDER (SECOND CALL)

Tender for the following works have been proceeded on the e-procurement system– **http://www.mptenders.gov.in** as mention below :-

S. N.	Name of Work	PAC (Rs. In Lacs)	Cost of Tender Form	EMD
1.	Development of new multiproduct I/A Rangwasa phase-1 and balance work of confectionary cluster, Rangwasa, Indore	Rs. 410.34 Lacs	Rs. 17700/- i/c GST	Rs. 410350/-

The Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased after publication in newspaper within 7 working days from website – **http://www.mptenders.gov.in**
M.P. Madhyam/112808/2023 R-49265/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

(विकास परिसर थाटीपुर ग्वालियर)
(Phone : 0751-2232466 E-mail ID : eeresgwalior-mp@nic.in)

क्रमांक : 2852/वाहन निविदा/ग्रा.यां.से./2023 ग्वालियर, दिनांक 05.12.2023

वाहन किराये हेतु संक्षिप्त निविदा आमंत्रण

जिला ग्वालियर में कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को शासकीय कार्य एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम रुपये 25000.00 (पच्चीस हजार रुपये) में एक वाहन मय चालक के मासिक किराये पर लेने की आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिक प्रत्येक निविदा प्रपत्र के लिए राशि रुपये 1000.00 (एक हजार मात्र) कार्यालय में जमा कर दिनांक 12.12.2023 से 20.12.2023 तक कार्यालयीन समय में निविदा आमंत्रण प्रपत्र क्रय कर सकते हैं।

उक्त प्रस्ताव के साथ अमानत राशि के रूप में रु. 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) की FDR कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर के पक्ष में एक वर्ष की अवधि की देय हो, **दिनांक 21.12.2023 समय 3.00 बजे तक** जमा कर सकते हैं तथा निविदा उसी दिनांक 21.12.2023 को शाम 3:30 बजे निविदाकारों एवं अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शेष शर्तें कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं। निविदा की शर्तें यथावत रहेंगी।

कार्यपालन यंत्री
जी-21401/49234/2023 **ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर**

मध्यप्रदेश के लिये प्रधानमंत्री की गारंटी है संकल्प पत्र 2023

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने सभी विभागों को संकल्प पत्र-2023 के अनुसार संकल्पों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सात दिन में रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं। यह मध्यप्रदेश के भविष्य का विजन है। इसका क्रियान्वयन मिशन मोड में करें। संकल्प पत्र-2023 की संकल्पों और घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से की जायेगी।

संकल्प पत्र-2023 में समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, सबका साथ विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन के बिन्दुओं के अंतर्गत विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री की गारंटी

किसानों के लिये - संकल्प पत्र में गेहूं और धान के लिये समर्थन मूल्य पर बोनस की गारंटी दी गई है। इसके अंतर्गत 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 12 हजार रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रहेगी।

जनजातियों के लिये- जनजातीय समुदाय के लिये अगले 5 वर्ष में स्वास्थ, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रुपये प्रति बोरा रहेगी। प्रत्येक एसटी ब्लाक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा एवं सक्षम युवा के लिये- गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा एक से 12 तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल बैग, किताबों एवं यूनिफार्म के लिये 1200 रुपये की वार्षिक सहायता दी जायेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मध्याहन भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रत्येक संभाग में मध्यप्रदेश इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा।

सबके विकास के लिये - सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 5 वर्षों के लिये विस्तार होगा। प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी।

सुदृढ़ आधारभूत संरचना के लिये- बुंदेलखंड, विन्ध्य और महाकौशल तीन विकास बोर्ड गठित होंगे। अटल गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ दिया जाएगा। 6 नये एक्सप्रेस-वे-विन्ध्य एक्सप्रेस-वे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ और मध्य भारत विकास पथ का निर्माण होगा।

स्वस्थ प्रदेश के लिये - आयुष्मान भारत की सभी लाभार्थियों के लिये 5 लाख रुपये से ज्यादा व्यय होने पर भी प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी। बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अटल मेडिसिटी और हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को दोगुना किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के लिये- मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर अगले 7 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपये की बनाएंगे। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे। साथ ही 20 लाख करोड़ के निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करेंगे। एक्सप्रेस-वे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जायेगा, जिससे साढ़े 4 लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार और स्व-रोजगार के अवसर मिलेंगे। दस नये एमएसएमई क्लस्टर बनाये जायेंगे, जिनमें 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।

सुशासन के लिये - भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नये परिसर का निर्माण किया जाएगा।

महिलाओं के लिये - सभी बीपीएल परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। पन्द्रह लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान - खेल

1. **आईसीसी वन-डे वर्ल्डकप-2023 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं?**
(अ) डेविड वॉर्नर
(ब) क्विंटन डिकॉक
(स) रचिन रवींद्र
(द) विराट कोहली

2. **ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने एशियन गेम्स-2023 में भारत को किस खेल में स्वर्ण पदक दिलाया है?**
(अ) निशानेबाजी
(ब) नौकायन
(स) तीरंदाजी
(द) इनमें से कोई नहीं

3. **वर्ष 2021 में किस देश ने एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्डकप जीता था?**
(अ) भारत (ब) अर्जेंटीना
(स) बेल्जियम (द) जर्मनी

4. **इस वर्ष किस देश ने सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है?**
(अ) भारत (ब) अफगानिस्तान
(स) लेबनान (द) बांग्लादेश

5. **भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है?**
(अ) पांच बार (ब) छह बार
(स) सात बार (द) आठ बार

6. **विश्व के दिग्गज फुटबॉलर रोमेलु लुकाकु किस देश के लिए खेलते हैं?**
(अ) जर्मनी (ब) फ्रांस
(स) बेल्जियम (द) क्रोएशिया

7. **इनमें से किस देश के नाम टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है?**
(अ) ऑस्ट्रेलिया
(ब) अफगानिस्तान
(स) इंग्लैंड
(द) नेपाल

8. **इनमें से कौन-सा देश फीफा वर्ल्डकप-2026 का सह मेजबान नहीं है?**
(अ) स्पेन (ब) पुर्तगाल
(स) मैक्सिको (द) मोरक्को

9. **आईपीएल टीम गुजरात जाइंट्स ने किस खिलाड़ी को कप्तान नियुक्त किया है?**
(अ) राशिद खान
(ब) शुभमन गिल
(स) केन विलियमसन
(द) मनीष पांडे

10. **एशियन गेम्स-2023 में कौन-सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर काबिज रहा?**
(अ) चीन (ब) जापान
(स) भारत (द) ईरान

11. **बेलोन डि ओर पुरस्कार किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया जाता है?**
(अ) टेनिस (ब) एथेलेटिक्स
(स) फुटबॉल (द) मुक्केबाजी

12. **वर्ष 2023 में किस देश ने होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) डेनमार्क (ब) क्रोएशिया
(स) सर्बिया (द) स्विट्जरलैंड

13. **वर्ष 2010 में किस देश को हराकर स्पेन ने फीफा वर्ल्डकप जीता था?**
(अ) नीदरलैंड (ब) बेल्जियम
(स) क्रोएशिया (द) पुर्तगाल

14. **इनमें से किस बल्लेबाज के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है?**
(अ) क्रिस गेल
(ब) शाहिद अफरीदी
(स) एबी डिविलियर्स
(द) रोहित शर्मा

15. **इस वर्ष किस खिलाड़ी ने शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) राफेल नडाल
(ब) डेनिल मेदवेदेव
(स) हर्बर्ट हुरकाज
(द) आंद्रे रूबलेव

16. **टोक्यो ओलिंपिक में रग्बी सेवंस का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है?**
(अ) अर्जेंटीना (ब) फिजी
(स) फिनलैंड (द) न्यूजीलैंड

17. **वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप-2023 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं?**
(अ) अमेरिका (ब) कनाडा
(स) स्पेन (द) जमैका

18. **इनमें से किस खिलाड़ी ने इस वर्ष कनाडा ओपन का खिताब जीता है?**
(अ) एलेक्स डि मिनॉर
(ब) जेनिक सिनर
(स) डेनिल मेदवेदेव
(द) टॉमी पॉल

19. **इस वर्ष किस देश ने सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) जर्मनी (ब) भारत
(स) द. कोरिया (द) बेल्जियम

20. **वर्ष 2016 में किस देश ने एफआईएच जूनियर हॉकी विश्वकप जीता है?**
(अ) अर्जेंटीना (ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) जर्मनी (द) भारत

21. **क्रिकेट लीग द हंड्रेड किस देश में खेले जाने वाले लोकप्रिय टूर्नामेंट हैं?**
(अ) इंग्लैंड (ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) द. अफ्रीका (द) अमेरिका

22. **इस वर्ष इनमें से किस खिलाड़ी ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है?**
(अ) हान यूई
(ब) जेसिका पेगुला
(स) एलिस मर्टेंस
(द) इनमें से कोई नहीं

23. **युवा क्रिकेटर रचिन रवींद्र किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?**
(अ) भारत (ब) नेपाल
(स) न्यूजीलैंड
(द) संयुक्त अरब अमीरात

24. **इनमें से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है?**
(अ) बाबर आजम
(ब) शादाब खान
(स) इमाद वसीम
(द) हेरिस राउफ

25. **भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?**
(अ) 6 जून (ब) 29 अगस्त
(स) 31 अक्टूबर
(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर

1. (ब), 2. (स), 3. (ब), 4. (अ), 5. (द), 6. (स), 7. (द), 8. (स), 9. (ब), 10. (अ), 11. (स), 12. (ब), 13. (अ), 14. (द), 15. (स), 16. (ब), 17. (अ), 18. (ब), 19. (अ), 20. (द), 21. (अ), 22. (ब), 23. (स), 24. (स), 25. (ब)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ईमेल : cepwdcapital@mp.nic.in दूरभाष/फैक्स क्रमांक 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 56/सा/01/विविध/2019 (वर्ष 2023) **भोपाल, दिनांक : 07.12.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (1) कंडोला से सुखरास व्हाया कलनपुर मार्ग का निर्माण कार्य ल. 8.00 कि.मी.

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्ग
2023_PWDRB_318288_1	हरदा	प्लान	छठवां	677.56	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (2) अहलवाड़ा से सन्यासा व्हाया गोंदागांव मार्ग लंबाई 11.50 कि.मी.

2023_PWDRB_318289_1	हरदा	प्लान	छठवां	1395.16	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (3) लोलांगरा से राहतकला मार्ग ल. 4.10 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318291_1	हरदा	प्लान	पंचम	628.79	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (4) नयापुरा स ऊचा मार्ग लंबाई 7.50 कि.मी.

2023_PWDRB_318294_1	हरदा	प्लान	पंचम	890.53	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (5) जूनापानी से भावर्दी मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318295_1	हरदा	प्लान	पंचम	508.85	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (6) सोनातलाई से पाचातलाई मार्ग लंबाई 7.00 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318296_1	हरदा	प्लान	चतुर्थ	737.00	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (7) काकड़ेकच्छ से पिपल्या छीपावड खिरकिया मण्डी मार्ग ल. 9.50 कि.मी. निर्माण

2023_PWDRB_318299_1	हरदा	प्लान	चतुर्थ	1377.26	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (8) गोला मांगरूल बेसवां दुगलाय मार्ग लं 10.00 कि.मी.

2023_PWDRB_318309_1	हरदा	प्लान	चतुर्थ	808.09	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (9) हरदा रेल्वे फाटक से हरदा खण्डवा मार्ग वाया बिरजाखेड़ी ल. 4.50 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318311_1	हरदा	प्लान	चतुर्थ	1026.99	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (10) मण्डी निधि के अंतर्गत बुंदा से गहल मार्ग लंबाई 6.50 कि.मी. का निर्माण कार्य

2023_PWDRB_318312_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	704.37	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (11) मण्डी निधि के अंतर्गत भैरोबाबा नीमसराई धनवारा कुडावा चौकड़ी मार्ग लंबाई 13.50 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318313_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	739.89	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (12) मण्डी निधि के अंतर्गत सिंगा जी मंदिर कुकरावत से रूपीपेरटिया मार्ग लंबाई 6.00 का निर्माण

2023_PWDRB_318314_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	601.27	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (13) मण्डी निधि के अंतर्गत सलावेड़ी से कायागांव व्हाया नीमगांव झाड़पा मार्ग लंबाई 12.00 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318315_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	1488.61	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक - 32/मु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 12.12.2023**

निम्नलिखित **कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।**

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु
1	2023_PWDRB_319237_1	उज्जैन	पुल कार्य	उज्जैन जिले के स्टेट हाईवे एवं मुख्य जिला मार्गों पर पुलों का शेष निर्माण कार्य। (पैकेज क्रमांक - 08-ए)	चतुर्थ	1429.68	केवल ऑनलाइन
				कुल योग		**1429.68**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 27.12.2023** (17:30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-21677/49270/2023 **लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल**

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (14) मण्डी निधि के अंतर्गत बोडगांव मुख्यमार्ग से बारंगा खामलाय मार्ग लंबाई 6.20 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318316_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	1226.87	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (15) गंज बासौदा रिंग रोड बायपास का निर्माण नई मण्डी बरेठ मार्ग से मेवली व्हाया सिवदा तक गंज राजौदा, चौरावर, पचमा, महागौर रेल्वे क्रासिंग मार्ग लं. 23.80

2023_PWDRB_318317_1	विदिशा	प्लान	द्वितीय	5043.92	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (16) तकनीकी एवं प्रशासकीय अधिकारियों के लिये टी.टी. नगर स्टेडियम में एडमिन भवन का प्रस्तावित निर्माण कार्य

2023_PWDRB_318318_1	भोपाल (राजधानी स.क्रं-1 भोपाल)	प्लान	द्वितीय	1359.05	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (17) अवारी से नान्पा मार्ग ल. 2.40 कि.मी. एवं कंसखेड़ी बांकाबेड़ी तिनसिया मार्ग ल. 4.50 कि.मी. का कुल लंबाई 6.90 का निर्माण कार्य।

2023_PWDRB_318320_1	नर्मदापुरम	प्लान	प्रथम	652.76	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम : (18) राजगढ़ पचौर बायपास मार्ग व्हाया खुजनेर शहर मार्ग लं. में बांसखेड़ा मार्ग लं. 3.50 कि.मी. का निर्माण

2023_PWDRB_318321_1	राजगढ़	प्लान	प्रथम	605.25	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
			योग	**20472.22**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 27.12.2023 (17:30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-21671/49269/2023 **लोक निर्माण विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल**

खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक

नगरीय क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके संबंध में 15 दिसम्बर से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में सामान्यत: किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा, अनुमति, अनापत्ति प्रदान की जाती है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों, नियमों एवं लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी निकाय क्षेत्रों में आगामी 15 दिवस तक अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला एवं पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चलायेगा। यह अभियान 15 दिसम्बर से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक निरंतर चलाया जायेगा। अभियान की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

विकसित भारत @2047 - वॉयस ऑफ यूथ कार्यक्रम

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत @ 2047-वॉयस ऑफ यूथ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत @2047-वॉयस ऑफ यूथ कार्यक्रम का नई दिल्ली से वर्चुअली शुभारम्भ किया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया था।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत @2047 के संकल्प और विजन को लेकर युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यही सही समय है। हर व्यक्ति और संस्थान जो भी कार्य करता है, वह राष्ट्र के कार्य हैं। इस भाव-भावना के साथ करें। उन्होंने कहा कि इंडिया आई से शुरू होता है। आई का मतलब मैं, अर्थात भारत को विकसित बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इस भाव के साथ कार्य करना होगा कि राष्ट्र के लिए कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। प्रधानमंत्री ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और देश के प्रत्येक नागरिक से आगे आकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और स्वयं के उदाहरण से रोलमॉडल बनकर समाज को प्रेरित करने का अनुरोध किया।

शुभारम्भ कार्यक्रम उपरांत स्थानीय कार्यक्रम में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी और युवाओं की उपयोगिता-विकसित भारत @2047 विषयों पर छात्रों की सहभागिता के साथ विशेषज्ञों के पेनल डिस्कशंस आयोजित हुए।

प्रथम सत्र में इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेनल डिस्कशन में सुनील कुमार, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर जी. दीक्षित, वर्द्धमान सोनी एवं प्राची अग्रवाल ने चर्चा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास की शक्ति और युवाओं के नेतृत्व को उसका आधार बताया है। उन्होंने पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक विषयों को सम्मिलित करने, तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थियों के कार्य अनुभव के लिए उद्योगों को वर्कशॉप के रूप में जोड़ने, उद्योगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान का मंच शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध कराने के सुझाव दिए।

द्वितीय सत्र में ग्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी विषय के पेनल डिस्कशन में अमरजीत खालसा, अनिरुद्ध चौहान, पुलकित शर्मा, प्रदीप करमवेलकर ने चर्चा के दौरान अधोसंरचना विकास की दिशा, रेलवे की कार्य क्षमताओं में वृद्धि, मेन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रौद्योगिकी के लगातार बदलाव, एडिटिव मेन्यूफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर की अहमियत और उद्योग आधारित कौशल विकास के प्रयासों को गतिमान करने पर बल दिया। कहा गया कि असली विकास सतत विकास है।

तृतीय सत्र में युवाओं की उपयोगिता-विकसित भारत @2047 विषय के पेनल डिस्कशन में आशुतोष सिंह, सिद्धार्थ अग्रवाल, वीरेंद्र व्यास ने चर्चा में युवाओं में कर्तव्यबोध, अपनी ज्ञान परंपरा और धरोहर पर गर्व के भाव होने की आवश्यकता बताई, विकसित भारत केवल संपन्नता नहीं अपितु उन्नत मस्तिष्कों और सकारात्मकता के लिये भी पहचाना जाना चाहिये, विकास जनोन्मुखी और जनआधारित होना चाहिये।

आईईसी वैन ग्राम पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं को करेगी प्रचारित

भोपाल, 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। यात्रा में आईईसी वैन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार होगा।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2024 तक प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलेगी। भारत सरकार द्वारा सभी जिलों को आईईसी वेन उपलब्ध करायी जायेगी। आईईसी वेन द्वारा सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आईईसी वेन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड, ब्रोशर, पम्पलेट, बुकलेट इत्यादि से सूचनाओं और जानकारियों को आम जन तक पहुंचाया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में प्रति 10 हजार जनसंख्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसमें पिछड़ी, कम आय वाली और सघन शहरी बस्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। बड़े नगरीय क्षेत्रों में एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक वेन प्रति सप्ताह कम से कम 14 कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रत्येक पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित होगा।

उपभोक्ता लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में नेशनल उपभोक्ता लोक अदालत हुई। राज्य स्तर पर श्री अशोक कुमार तिवारी कार्यकारिणी अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग के मार्गदर्शन में अदालत लगी। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी लोक अदालत से प्रकरणों का निराकरण हुआ। राज्य आयोग में 17 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से कराया गया।

ऊर्जा हानियों का स्तर कम किया जाएगा

भोपाल, ऊर्जा हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ऊर्जा ने विभिन्न रूपों में हमारी जीवन-शैली में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इन विभिन्न रूपों में बिजली, ऊर्जा का वह प्रकार है जो सुगमता से उपलब्ध है। यही कारण है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को भी बिजली में बदलकर उसका उपयोग प्रकाश, यातायात, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ मनोरंजन, दूरसंचार एवं पर्यटन जैसे सुख-साधन में भी किया जा रहा है। यह संदेश मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जारी किया है।

प्रबंध संचालक ने बताया है कि ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता के लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने मध्यप्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत शासन के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकाय 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए योजनाएं प्रारंभ की हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि एक अनुमान के अनुसार विद्युत के गुणवत्तापूर्ण उपयोग और अनावश्यक उपयोग पर अंकुश लगाकर औद्योगिक क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 25 से 30 प्रतिशत तथा घरेलू एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में 15 से 20 प्रतिशत तक बिजली की बचत की जा सकती है।

नगरीय निकायों में स्वच्छता का दो दिवसीय विशेष अभियान

भोपाल, मध्यप्रदेश में भोपाल सहित सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का दो दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नीरज मंडलोई ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहरों में घरों से कचरे का एकत्रीकरण और उसका डिस्पोजल निर्धारित स्थानों पर सुनिश्चित करें।

इंडियन वेटरंस ऑर्गनाइजेशन

विजय दिवस के बहादुर वीरों के प्रति देश नतमस्तक

भोपाल, विजय दिवस के बहादुर वीरों के प्रति पूरा देश नतमस्तक है। राष्ट्र आजीवन उन परिवारों का ऋणी है जिन्होंने अपने सपूतों को मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हर जवान को मैं नमन करता हूं। विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में प्रदेशवासी आगे बढ़कर सहयोग करें। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने पूर्व सैनिकों के संगठन इंडियन वेटरंस ऑर्गनाइजेशन द्वारा शौर्य स्मारक में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि 52 साल पहले 1971 के भारत-पाक युद्ध में माँ भारती के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया था। फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ के नेतृत्व में 90 हजार से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता 'वन्स अ सोल्जर, ऑलवेज अ सोल्जर'। सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों की जिम्मेदारी समाज के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल शहीद सैनिक वीर विधवा नारियों का सम्मान करते हुए

डे-केयर सेंटर 'आंचल' का प्रमुख सचिव श्रीमती शमी ने किया शुभारंभ

भोपाल, कार्य स्थल पर ही नौनिहालों की देखरेख की व्यवस्था हो तो कामकाजी माताओं की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं माताओं के सामीप्य से बच्चों का सहज विकास भी होता है। उक्त विचार प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने राज्य शिक्षा केन्द्र में स्थापित डे-केयर सेंटर 'आंचल कक्ष' का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए।

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक श्री धनराजू एस. ने बताया कि कार्यालय में कार्यरत महिलाओं को अपने छोटे बच्चों के लालन-पालन के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना का विचार आज 'आंचल कक्ष' के रूप में साकार हुआ है। इस केन्द्र में कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के 5 वर्ष तक के बच्चों की कार्यालयीन समय में देखरेख की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। केन्द्र में बच्चों के लिए रुचिकर खेल-खिलौनों, प्रारंभिक शैक्षिक सामग्री के साथ ही मदर्स फीडिंग एरिया, बाल उपयोगी वाशरूम और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ ही अन्य बालोपयोगी सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इस अवसर पर अपर मिशन संचालक श्रीमती आर. उमा महेश्वरी, उप सचिव श्री प्रमोद सिंह, अपर संचालक श्री शितांशु शुक्ला और सहायक संचालक डॉ. मिताली सरियाम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कार्यभार संभाला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल स्थित मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री कुंवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्रालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री एंटी चैम्बर में पहली बैठक में मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। डॉ. यादव ने अधिकारियों से प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री

1.	श्री रविशंकर शुक्ल	01.11.1956 से 31.12.1956 तक
2.	श्री भगवन्त राव मण्डलोई	01.01.1957 से 30.01.1957 तक
3.	श्री कैलाश नाथ काटजु	31.01.1957 से 14.04.1957 तक
4.	श्री कैलाश नाथ काटजु	15.04.1957 से 11.03.1962 तक
5.	श्री भगवन्त राव मण्डलोई	12.03.1962 से 29.09.1963 तक
6.	श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा	30.09.1963 से 08.03.1967 तक
7.	श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा	09.03.1967 से 29.07.1967 तक
8.	श्री गोविन्द नारायण सिंह	30.07.1967 से 12.03.1969 तक
9.	श्री राजा नरेशचन्द्र सिंह	13.03.1969 से 25.03.1969 तक
10.	श्री श्यामाचरण शुक्ल	26.03.1969 से 28.01.1972 तक
11.	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	29.01.1972 से 22.03.1972 तक
12.	श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	23.03.1972 से 22.12.1975 तक
13.	श्री श्यामाचरण शुक्ल	23.12.1975 से 29.04.1977 तक
14.	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	26.06.1977 से 17.01.1978 तक
15.	श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा	18.01.1978 से 19.01.1980 तक
16.	श्री सुन्दरलाल पटवा	20.01.1980 से 17.02.1980 तक
17.	श्री अर्जुन सिंह	09.06.1980 से 10.03.1985 तक
18.	श्री अर्जुन सिंह	11.03.1985 से 12.03.1985 तक
19.	श्री मोती लाल वोरा	13.03.1985 से 13.02.1988 तक
20.	श्री अर्जुन सिंह	14.02.1988 से 24.01.1989 तक
21.	श्री मोती लाल वोरा	25.01.1989 से 08.12.1989 तक
22.	श्री श्यामाचरण शुक्ल	09.12.1989 से 04.03.1990 तक
23.	श्री सुन्दरलाल पटवा	05.03.1990 से 15.12.1992 तक
24.	श्री दिग्विजय सिंह	07.12.1993 से 01.12.1998 तक
25.	श्री दिग्विजय सिंह	01.12.1998 से 08.12.2003 तक
26.	सुश्री उमा भारती	08.12.2003 से 23.08.2004 तक
27.	श्री बाबूलाल गौर	23.08.2004 से 29.11.2005 तक
28.	श्री शिवराज सिंह चौहान	29.11.2005 से 12.12.2008 तक
29.	श्री शिवराज सिंह चौहान	12.12.2008 से 13.12.2013 तक
30.	श्री शिवराज सिंह चौहान	14.12.2013 से 16.12.2018 तक
31.	श्री कमल नाथ	17.12.2018 से 22.03.2020 तक
32.	श्री शिवराज सिंह चौहान	23.03.2020 से 12.12.2023 तक
33.	डॉ. मोहन यादव	13.12.2023 से निरन्तर

नोट :- मध्यप्रदेश में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा। **पहली बार** 30.04.1977 से 25.06.1977 तक, **दूसरी बार** 18.02.1980 से 08.06.1980 तक तथा **तीसरी बार** 16.12.1992 से 06.12.1993 तक रहा।

सीधी से सिंगरौली सेक्शन

सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में NH-39 के सीधी से सिंगरौली सेक्शन के सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों एवं रीवा जिले के अंतर्गत सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की वृहद् समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यों में गति लाकर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने NH-39 के कार्य के संबंध में निर्देश दिये कि गोपद पुल निर्माण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाकर 2 लेन कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण किया जाये जिससे स्थानीय निवासियों का आवागमन सुविधापूर्ण हो सके।

उप मुख्यमंत्री ने वर्तमान 2-लेन बायपास पर बढ़ते दबाव और उससे जनित दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने रीवा बायपास को 2-लेन से 4-लेन BOT मोड में करने के लिये निविदा जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा शहर में स्थित रिंग रोड फेज-1 एवं 2 के फ्लाईओवर के कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियात्मक असुविधा के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह, प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी श्री अविनाश लवानिया और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में जनजातीय कार्य विभाग के 200 शिक्षकों को दिया गया मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण

भोपाल, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 8 विभिन्न बैच में गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति एवं शिक्षाशास्त्र विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों से लगभग 200 शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

महत्वाकांक्षी बरगी व्यपवर्तन परियोजना क्षेत्र में लाएगी समृद्धि

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने वल्लभ भवन मंत्रालय में बरगी व्यपवर्तन परियोजना एवं रीवा जिले में जल संसाधन विभाग की माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की एवं प्रगति में तेजी लाने के लिये निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजना क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि के नये आयामों का सृजन करेंगी।

उप मुख्यमंत्री ने बरगी परियोजना के कार्य में आ रही कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर निराकरण करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये। तकनीकी असुविधाओं के लिये सतत प्रयास और नियमित निगरानी के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूर्ण करने के साथ किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत अवगत कराने के निर्देश दिये जिससे उनका शीघ्र निराकरण कर शीघ्र कार्य पूर्ण किया जा सके। विभागीय अधिकारियों से शेष कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

जल संसाधन विभाग की महती सिंचाई परियोजना, नई गढ़ी-1 एवं 2 माइक्रो सिंचाई परियोजना के साथ अन्य प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। सिंचाई जल प्रदाय के लिए विद्युत व्यवस्था के लिये आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा।

परियोजना की 197 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण कार्य (स्लीमनाबाद टनल को छोड़कर) लगभग 96 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। परियोजना से जबलपुर जिले की लगभग 50 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एवं जबलपुर, सिहोरा को नहर के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। स्लीमनाबाद टनल के पश्चात् लगभग 1 लाख 85 हजार हेक्टेयर कमाण्ड के लिये नहर प्रणाली का निर्माण परियोजना में सम्मिलित है। सतना जिले के कुल 10 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित हो चुकी है। शेष कमाण्ड क्षेत्र में नहर प्रणाली निर्मित करने के लिये विभिन्न 08 ग्रुपों में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की पहल को न्यायमूर्तियों ने सराहा

भोपाल, समाज और सरकार की शुद्ध अंतःकरणीय चेतना से बंदियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है और वे देश के सभी मानव जैसे ही विकास में भागीदार हो सकते हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी ने प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकार मानव अधिकार विषय पर सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने शासन को सुझाव दिया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक जेल को आदर्श रूप देकर बंदियों को सेहतमंद बनाकर उनके सभी मौलिक अधिकारों को अमल में लाया जा सकता है।

श्री माहेश्वरी ने महात्मा गांधी के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि अपराधी भी मानव होता है और कुछ परिस्थितियां होती हैं जो समाज के उसी मानव को अपराधी बनाती हैं। हमे अपराधी नहीं अपराध से घृणा करना सिखाया गया है। उन्होंने कहा कि समाज और सभी जिम्मेदारों को मानव के अधिकारों के लिए सजग रहकर चेतना भाव से कार्य करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सुजाय पाल ने कहा कि नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की अच्छाई इस बात से परखी जाना चाहिए कि उसके बंदीगृह कैसे हैं। उन्होंने उपस्थितजनों से कहा कि दोषमुक्त या सजा पूरी कर चुके बंदी को समाज को अपनाने में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने विध्वंस और सृजन को समझाते हुए लोगों से सभी मानवों को सामान्य रूप से अपनाने की अपील की।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

कॅरियर की राहें

वेडिंग प्लानर के रूप में कॅरियर के बढ़ते अवसर

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिये 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिये जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिये उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिये कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे, डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

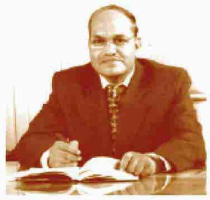

वर्तमान समय में विवाह समारोह यानी वेडिंग सामाजिक संस्कार के साथ-साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भी पर्याय बन गया है। विवाह समारोह चाहे मध्यवर्गीय परिवार का हो या उच्च वर्ग का, हर कोई अपनी हैसियत के अनुरूप उसे यादगार एवं भव्य बनाना चाहता है। अगर हम कहें कि अब शादी का समारोह प्रोफेशनल हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आज हर कोई बिना तनाव एवं परेशानी लिए बेहतरीन वैवाहिक व्यवस्था करना चाहता है। इतना ही नहीं विवाह के हर पहलू जैसे डेकोरेशन, संगीत, मेंहदी की रस्म, भोजन की व्यवस्था और दूल्हा-दुल्हन के परिधान आदि सब पर भी खास ध्यान दिया जाता है। यही नहीं, आजकल थीम व डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन भी बहुत बढ़ गया है। वर्तमान में विवाह से जुड़ी प्रत्येक चीज ट्रेंडी या विशिष्ट हो गई है, लेकिन परंपरा को बनाए रखने की चाह भी नहीं मिटी है, इसी वजह से आधुनिकता व परंपरा का समन्वय एक फैशन बन गया है। वेडिंग प्लानर आयोजकों के साथ मिलकर न सिर्फ विवाह समारोह की पूरी प्लानिंग करता है बल्कि उस योजना को खास रूपरेखा प्रदान कर अंतिम रूप भी देता है। इससे विवाह में शामिल होने वाले मेहमानों के चेहरे पर भी खुशियां बनी रहती है। साथ ही वेडिंग प्लानर होने से शादी से संबंधित किसी कार्य के लिए परेशान नहीं होना होता है तथा विवाह में केवल सज-धज कर पहुंचना होता है।

5 लाख करोड़ रुपये का है वेडिंग कारोबार

देश में इस समय विवाह समारोहों के आयोजन यानी वेडिंग से जुड़ा कारोबार करीब 5 लाख करोड़ रुपये का है। इस वेडिंग कारोबार में वार्षिक बढ़ोतरी लगातार हो रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर शादी की विभिन्न रस्मों की आकर्षक थीम और लजीज खानपान की व्यवस्था को खूबसूरत अंजाम दिया जाता है। विवाह समारोह की योजना का व्यवसाय आज देश में एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। विवाह

समारोह के योजनाकार शादी के निमंत्रण पत्र की डिजाइनिंग से लेकर, गिफ्ट पैकिंग और वेन्यू तय करने से लेकर बारात का स्वागत करने तक का सारा भार अलग-अलग वेडिंग कारोबार के अंग हैं। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी लोग अब शादी ब्याह से जुड़े कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए इन्हीं वेडिंग प्लानर या इवेंट कंपनियों की सेवाएं लेने लगे हैं।

डेस्टिनेशन वेडिंग का बढ़ता चलन काफी चर्चा में है। शादी को कुछ खास अंदाज में करने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन अब मध्यमवर्गीय परिवारों में भी देखा जा रहा है। खास तौर से कोरोना काल के बाद युवा डेस्टिनेशन वेडिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे युवा पहले की तरह अब बहुत बड़ी शादी करके उसमें बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाने की बजाय इतने ही खर्च में चुनिंदा मेहमानों के साथ दिल्ली-एनसीआर, आगरा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, मसूरी, देहरादून, गोवा, अलवर, लवासा, पुणे, वाराणसी, ऋषिकेश, अहमदाबाद, गांधीनगर, वड़ोदरा, राजकोट, आणंद, भावनगर, वायनाड, कोझिकोड, अर्नाकुलम, मांडू, उज्जैन तथा इंदौर जैसी लोकप्रिय डेस्टिनेशन स्थानों पर शादी करना पसंद कर रहे हैं।

वेडिंग प्लानर बनने के लिए कॅरियर की स्किल्स

सफल विवाह समारोहों के लिए व्यापक विवरण और योजना की आवश्यकता होती है जिसके लिए विवरण और संगठनात्मक कौशल पर उत्कृष्ट ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वेडिंग प्लानर के काम की सफलता उनकी रचनात्मकता और अद्वितीय विचारों को प्रस्तुत करने और अपने ग्राहकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें लागू करने की आविष्कारशील क्षमता पर निर्भर करती है। ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वेडिंग प्लानर विवाह प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के साथ रचनात्मक हो सकते हैं।

वेडिंग प्लानर अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का उपयोग बजट योजना, खानपान और विक्रेता प्रबंधन से लेकर अपने ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर स्थानों और भोजन मेनू का चयन करने के लिए करते हैं। सजावट के लिए फूलों के प्रकार जैसे सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

वेडिंग प्लानर के प्राथमिक कौशल में से एक अपने ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार एक बजट योजना तैयार करना और उस बजट के भीतर सभी कार्यों को समायोजित करना है। सफल विवाह योजनाकारों के पास बजट बनाने का अच्छा कौशल होता है क्योंकि वे पहले उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए धन आवंटित कर सकते हैं।

संचार कौशल एक वेडिंग प्लानर के कॅरियर की अनिवार्य जरूरत है, क्योंकि वे अक्सर विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों सहित कई हितधारकों के साथ संवाद करते हैं।

एक सफल इवेंट प्लानिंग कॅरियर के लिए नेटवर्किंग भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। अच्छा नेटवर्किंग कौशल इन पेशेवरों को सार्थक संबंध बनाने और विक्रेताओं, स्थल और खानपान कर्मियों और अन्य इवेंट प्रबंधकों के साथ बेहतर सौदे प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं। वेडिंग प्लानर संभावित ग्राहकों से मिलने और उद्योग के रुझानों और प्रथाओं पर अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। सभी सफल आयोजनों के लिए आम तौर पर आयोजन स्थल, खानपान और कार्यक्रम प्रबंधन के अन्य पहलुओं के लिए सबसे उचित मूल्य उद्धरण प्राप्त करने के लिए वेडिंग प्लानर द्वारा बहुत अधिक बातचीत की आवश्यकता होती है। उत्कृष्ट बातचीत कौशल होने से आपको सबसे अधिक साधन संपन्न और लाभदायक ग्राहकों को जीतने में मदद मिल सकती है।

वेडिंग प्लानर के लिए शैक्षणिक योग्यताएं

वेडिंग प्लानर कॅरियर की तैयारी के लिए पहला कदम अपने आपको एक

उपयुक्त डिग्री प्रोग्राम में नामांकित करना है जो आपको औपचारिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान कर सकता है। आप इवेंट प्लानिंग, संचार, पत्रकारिता या बिजनेस मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम आपको बुनियादी कौशल और आवश्यक इवेंट प्रबंधन अवधारणाओं से परिचत करवाते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा वेडिंग प्लानिंग या इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा व पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स कराए जा रहे हैं। यह कोर्स 12वीं या स्नातक के बाद कर सकते हैं। वैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोर्स से ज्यादा व्यावहारिक अनुभव की अधिक जरूरत होती है, जिसे किसी कंपनी के साथ जुड़कर हासिल कर सकते हैं। एक प्रशिक्षु के रूप में काम करने का प्रासंगिक अनुभव प्राप्त करना या स्थापित वेडिंग प्लानर्स के साथ स्वेच्छा से काम करना आपकी शिक्षा और सीख को व्यवहार में लाने में मदद कर सकता है। वेडिंग प्लानर के रूप में अनुभव प्राप्त करने से आपको अपने कौशल में सुधार करने और पेशेवर अवसर खोजने की संभावना बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आप अपने परिचितों की शादी के आयोजन में भी मदद की पेशकश कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में अपने अनुभव के मुख्य अंश जोड़ सकते हैं। आपके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान आपकी कमियों को पहचानने और आपकी नौकरी की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए विशेष क्षेत्रों में सुधार करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी स्नातक की डिग्री के साथ-साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि विवाह नियोजन उद्योग में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर विचार करें।

वेडिंग प्लानर के कॅरियर के लिए आगे बढ़िए

यदि आप वेडिंग प्लानर के रूप में कॅरियर बनाने की आवश्यक रुचि और कौशल रखते हैं तो आप मध्यप्रदेश सहित देश के कोने-कोने में स्थित वेडिंग प्लानिंग संचार और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े किसी संस्थान से उपयुक्त कोर्स को पूरा करने के साथ वेडिंग प्लानर के कॅरियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(लेखक, कॅरियर मार्गदर्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित हैं।)

प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर किया जाए कार्य - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय सभा कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश में अपराधों के नियंत्रण और प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए ऐसा कार्य हो जो उदाहरण बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मी अपना कार्य अधिक अच्छे ढंग से कर सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

डॉ. यादव ने कहा कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके कुछ लोग अपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो। जिन जिलों में अपराध दर अधिक है वहां विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। अवैध हथियारों की तस्करी और शराब माफिया पर प्रभावी कार्यवाही हो। खनिज माफिया के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही खनिज विभाग के समन्वय से की जाए। आगामी 20-25 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च पद के प्रभार और राज्य पुलिस सेवा से अखिल भारतीय सेवा में अधिकारियों की पदोन्नति की कार्यवाही को भी गति दी जाए। निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति सहित अन्य पदों पर भी पदोन्नति के कार्य में विलम्ब न हो।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने पुलिस विभाग की व्यवस्था और कार्य प्रणाली से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया प्रस्तुतीकरण में प्रमुख रूप से कार्य प्रणाली के आधार स्तंभ, राज्य पुलिस की संरचना, कानून व्यवस्था एवं नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण, तकनीकी के उपयोग, बजट, अधोसंरचना विकास और मानव संसाधन विकास के साथ-साथ विभाग की सफलता और उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री के निर्देश

- पुलिस की दक्षता बढ़ाने वाले कार्यों को महत्व दिया जाए। प्रत्येक तरीके के अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण हो।
- मध्यप्रदेश को अपराध नियंत्रण में वर्तमान स्तर को दुरुस्त करना है।
- पुलिसकर्मियों की दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा संसाधनों में बेहतर कार्य के प्रयास करें।
- पुलिस बल के पदों पर प्रत्येक स्तर के प्रमोशन समय पर किए जाएं।
- देह व्यापार पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करें। सामाजिक स्तर और सद्भाव के साथ इस प्रकार के अपराधों में विशेष संवेदनशीलता रखें।

पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय करेगा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास - मुख्यमंत्री

भोपाल, पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करेंगे। हर जिले में जिला महाविद्यालयों को पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। सर्वसुविधायुक्त महाविद्यालय का निर्माण किया जायेगा। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से संवाद करते हुए कहीं।

डॉ. यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। इस नीति के अनुसार महाविद्यालयीन शिक्षा के साथ वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यक्तित्व विकास, योग शिक्षा और संगीत सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाएगी। डॉ. यादव ने प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के विकास के लिए क्या-क्या प्रावधान है?

इसके जवाब में बताया गया कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समेकित विकास पर केंद्रित है। इसमें सभी संकायों का समावेश किया गया है। प्राचार्य ने नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को संकाय के विषय के साथ उद्यमिता, योग, कला संकाय के विषय, संगीत भी संवाद, ग्रुप डिस्कशन और विचार मंथन आदि माध्यमों से पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही पिछले लोकरंग उत्सव में विद्यार्थियों के ग्रुप को जनजातीय संस्कृति को जानने और समझने के लिए ले जाया गया था।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से लोकरंग के अनुभव के संबंध में प्रश्न किया, तब विद्यार्थियों ने बताया कि लोकरंग में जनजातीय संस्कृति को करीब से जानने और समझने का अवसर मिला। जनजातीय जीवन को करीब से जाना।

रणवीर सिंह

रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुए सम्मानित

बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में उनके योगदान के लिए रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के जेद्दा में हुए फिल्म महोत्सव में रणवीर को प्रतिष्ठित युस्र अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। हॉलीवुड अभिनेत्री शेरोन स्टोन ने रणवीर को अवॉर्ड प्रदान किया।

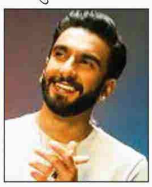

कैलिफोर्निया में

साल्टन सागर में मिला लिथियम भंडार

कैलिफोर्निया में अत्यधिक खारे पानी के लिए मशहूर साल्टन सागर के नीचे सफेद सोना यानी लिथियम का भंडार मिला है। इससे करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तैयार की जा सकती है। लॉरेंस बर्की नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ता का कहना है कि इस विशाल झील के नीचे 3400 किलो टन लिथियम का उत्पादन हो सकता है, जो करीब 37.5 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए पर्याप्त होगा। अभी अमेरिका में करीब 24 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। विशेषज्ञ के अनुसार 2030 तक दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल आएगा, जिससे लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण कोरिया ने

लॉन्च किया पहला सैन्य उपग्रह

दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने स्पेस एक्स के साथ पांच जासूसी उपग्रह भेजने के लिए करार किया था जिसके अंतर्गत यह पहला उपग्रह लॉन्च किया है। कोरियाई सैटेलाइट अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। दक्षिण कोरिया स्पेस एक्स के साथ 2025 तक 5 सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। ज्ञात रहे कि दक्षिण कोरिया के पास अब तक अपना सैन्य जासूसी उपग्रह नहीं था। उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए वह अब तक अमेरिकी उपग्रहों पर ही निर्भर था।

विश्व माली ऐलिफेंट

दुनिया के सबसे उदास हाथी की मौत

फिलीपींस के मनीला चिड़ियाघर में रहने वाले दुनिया के सबसे दुखी मादा हाथी विश्व माली का निधन हो गया। 40 साल तक अकेले रहने वाले माली को परमार्थ संस्था पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने इसे दुनिया का सबसे दुखी हाथी करार दिया था। पशु चिकित्सकों के अनुसार उसे पैनक्रिएटिक कैंसर था। कहा जाता है कि माली को 1981 में श्रीलंका सरकार ने फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोस को उपहार में दिया था।

लोकप्रिय शब्द 'रिज'

वर्ड ऑफ द ईयर बना

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) ने बोलचाल के शब्द 'रिज' को 2023 का लोकप्रिय शब्द घोषित किया। यह शब्द शैली, सौंदर्य, आकर्षण या रोमांटिक शब्द के अर्थ को संदर्भित करता प्रतीत होता है। यह शब्द ओयूपी के विशेषज्ञों की ओर से तैयार आठ शब्दों की एक संक्षिप्त सूची से चुना गया है। यह शब्द 'करिज्मा' शब्द का संक्षिप्त माना जाता है, जो शब्द के मध्य भाग से लिया गया है।

मैनुअल रोचा

पूर्व अमेरिकी राजदूत गिरफ्तार

बोलीविया में अमेरिका के पूर्व राजदूत 73 वर्षीय मैनुअल रोचा को क्यूबा के एजेंट के रूप में सीक्रेट काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी संघीय एजेंसी एफबीआई ने पूर्व राजदूत को गिरफ्तार किया है। उनके घर से कई जासूसी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जिनको आधार बनाकर एफबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब इन्हीं आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

इटली

50 साल से लापता पेंटिंग मिली

इटली के पुनर्जागरण काल के चित्रकार सैंड्रो बोथीसेली की 50 साल पहले खोई मशहूर पेंटिंग खोज ली गई है। 16वीं शताब्दी की इस पेंटिंग में वर्जिन मैरी और उसके बच्चे मसीह को दर्शाया गया है। इसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपये है। इस पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए पेंट की चमक अभी तक बरकरार है। इसमें मैरी और गोद में लिए शिशु की कलाकृति को सोशल मीडिया पर दुनियाभर में सराहा गया।

अक्षता कृष्णमूर्ति

मंगल पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रहीं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने में जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। लाल ग्रह के नमूने जुटाने के दौरान उन्होंने कई और उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं।

एयर मार्शल मकरंद रानाडे

वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक बने

एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। एयर मार्शल रानाडे की तैनाती वायुसेना मुख्यालय निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक के रूप में की गई है। एयर मार्शल रानाडे अफगानिस्तान में भी पदस्थ रह चुके हैं। उन्हें वायुसेना पदक और अतिविशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयर मार्शल मकरंद रानाडे नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली और पेरिस (फ्रांस) के कॉलेज इंटर आर्मी डी डिफेंस के पूर्व छात्र हैं।

जय शाह

स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह को सीआईआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवॉर्ड्स 2023 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। बोर्ड ने जय शाह की अवॉर्ड के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। भारतीय खेल प्रशासन में यह अवॉर्ड पाने वाले जय शाह पहले प्रशासक हैं।

एड्रियन श्राइनर

ओलिंपिक आयोजन समिति से दिया इस्तीफा

ब्रिस्बेन के लॉर्ड मेयर एड्रियन श्राइनर ने 2032 में होने वाले ओलिंपिक खेलों की आयोजन समिति से त्यागपत्र दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने 2021 में ब्रिस्बेन को 2032 के खेलों की मेजबानी सौंपी थी। बता दें, ब्रिस्बेन ने ओलिंपिक के आयोजन के लिए लीडर्स फोरम का गठन किया था जिसमें सरकार के तीनों स्तर और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कैप्टन गीतिका कौल

सियाचिन में पहली महिला मेडिकल अफसर बनीं

कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। उन्हें यह उपलब्धि प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद मिली है। जिसमें अत्यधिक ऊंचाई पर रहने के अनुकूल बनना, खुद को बचाने की तकनीक और विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।

देवेन पारेख

अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित

भारतीय मूल के पूंजीपति देवेन पारेख को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया है। पारेख न्यूयॉर्क में स्थित ग्रोथ एक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड इनसाइट पार्टनर्स में प्रबंध निदेशक हैं। विकास वित्त निगम निदेशक मंडल में सीनेट और हाउस नेतृत्व से राष्ट्रपति की सिफारिश पर चार सदस्य शामिल किए जाते हैं। 2021 में पारेख को रॉबर्ट एफ कैनेडी रिपल होप अवॉर्ड मिला है।

अमेरिकी संसद में

बैकलॉग कम करने के लिए बिल पेश

अमेरिका के तीन प्रभावशाली सांसदों ने एक बिल पेश किया है, जिसमें ग्रीन कार्ड बैकलॉग को कम करने में मदद मिलेगी। इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे हजारों भारतीयों को फायदा मिलेगा और उन्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलने का रास्ता साफ होगा। ज्ञात रहे कि इस बिल को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल के साथ ही रिक मैक्कार्मिक ने पेश किया है। यह द्विदलीय बिल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे ग्रीन कार्ड बैकलॉग भी कम होगा।

उपन्यासकार मीरा चन्द

कल्चरल मेडलियन से सम्मानित

भारतीय मूल की 81 वर्षीय लेखिका मीरा चन्द को सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान 'कल्चरल मेडलियन' से सम्मानित किया गया है। वह सिंगापुर के उन तीन कलाकारों में शामिल हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। मीरा दक्षिणी लंदन में जन्मीं और पली बढ़ी हैं। उनकी मां नोरा नोबल स्विस मूल की थीं और उनके पिता हरबंस लाल गुलाठी चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए 1919 में लंदन आए थे।

क्रिस्टल कौल

भारतवंशी वर्जीनिया से लड़ेंगी चुनाव

भारतीय मूल की अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टल कौल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ेंगी। अगर कौल 2024 में चुनी गईं तो वह प्रतिनिधिसभा के लिए चुनीं जाने वाली दूसरी भारतीय-अमेरिकी महिला होंगी।

टेलर स्विफ्ट

पॉप सिंगर को टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना

सालभर सुर्खियों में रहने वाली अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर - 2023 चुना है। टाइम साल 1927 से प्रत्येक वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। इस साल टेलर के तीन एलबम हिट रहे। इसी साल उन्होंने ईराज म्यूजिक कंसर्ट टूर भी किया। 33 वर्षीय सिंगर की लोकप्रियता देखते हुए हॉर्वर्ड और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अगले सत्र में उन पर पाठ्यक्रम चलाने जा रहे हैं। अमेरिका के दो शहरों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है।

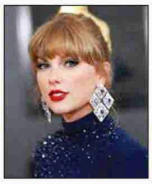

स्मृति शेष

पद्मश्री रोजम वादक थंगा का निधन

पद्मश्री से सम्मानित त्रिपुरा के प्रख्यात रोजम वादक थंगा डारलोंग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। थंगा बांस से बने बांसुरी जैसे स्वदेशी संगीत वाद्ययंत्र रोजम के कुशल वादक माने जाते थे। कला के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान पर उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था।

टेलीविजन स्टार सीआईडी फेम फडनीस का निधन

टेलीविजन क्राइम शो 'सीआईडी' में फ्रेडिक्स के किरदार से लोकप्रिय हुए अभिनेता दिनेश फडनीस का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 'सरफरोश', 'मेला', 'सुपर 30' जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 12/सेतु/2023-24/का.यं. **भोपाल, दिनांक : 06.10.2023**

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. हरदा जिले में भबरदी से जुनापानी मार्ग पर पाटल नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	टीप
2023_PWDRB_315829_1	हरदा	पुल कार्य	द्वितीय	270.38	मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. हरदा जिले में नांदरा ग्राम के पास गुल्लास हंडिया मार्ग के कि.मी. 3/4 नाले पर जलमग्नीय बॉक्स टाईप का पुल निर्माण।

2023_PWDRB_315841_1	हरदा	पुल कार्य	द्वितीय	298.23	मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. हरदा जिले में रनहईकलां से बालागांव कुकरावत मार्ग पर मटकुल नदी पर जलमग्नीय बॉक्स टाईप का पुल निर्माण।

2023_PWDRB_315857_1	हरदा	पुल कार्य	द्वितीय	245.87	मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. हरदा जिले में मगरधा से रतनपुर मार्ग पर माचत नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य।

2023_PWDRB_315875_1	हरदा	पुल कार्य	द्वितीय	339.8	मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे।
			योग	**1154.28**	

उपरोक्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 26.12.2023, (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मूल एफ.डी.आर. का भुगतान केवल ऑनलाइन होगा एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। भौतिक रूप से किसी भी प्रकार के दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किये जायेंगे।

कार्यपालन यंत्री

जी-21461/49237/2023 **लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग भोपाल (म.प्र.)**

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर

कार्यालय पता - तहसीली चौक अम्बेडकर भवन के सामने, जबलपुर

दूरभाष - 0761 (2625425), ईमेल - seresjabalpur@mp.gov.in

क्रमांक/1363/निविदा/ग्रायांसेवा/2023 **जबलपुर, दिनांक : 07.12.23**

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 14/2023-24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नरसिंहपुर, बालाघाट क्रमांक-1, 2 एवं सिवनी के निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत दर पर सरल क्रमांक-1, 5 एवं 6 दो लिफाफा पद्धति एवं सरल क्रमांक 2 से 4 तक तीन लिफाफा पद्धति के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संशोधित प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 अनुसार अद्यतन संशोधन, निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार तथा कॉलम 11 में उल्लेखित एस.ओ.आर. के अनुसार प्रभावशील दर अनुसूची सहित ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. प्राथमिक शाला भवन निर्माण ग्राम गांगई।

ग्रायांसेवा संभाग	सिस्टम टेण्डर नंबर	विकास खण्ड	निविदा लागत (PAC) (राशि रुपये में)	अमानत राशि (राशि रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (राशि रुपये में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण का क्रम	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में लागू दर अनुसूची का दिनांक
नरसिंहपुर	2023_RES_314135_1	चीचली	4446224/-	50000/-	5000/-	180 दिवस	द्वितीय	RES-11-04-2022

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. पुलिस लाइन परिसर बालाघाट स्थित तालाब का जीर्णोद्धार, विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण (रेलिंग, पेवर ब्लाक, पीचिंग, डाक स्लेब, सी.सी. रोड, सी.सी. नाली, सेनेटरी सिवेज लाइन इत्यादि निर्माण कार्य)

बालाघाट-1	2023_RES_314136_1	बालाघाट	5319465/-	53200/-	10000/-	180 दिवस	द्वितीय	RES-11-04-2022

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. स्लेव कल्वर्ट निर्माण कार्य - (1) केवलारी उगली मेन रोड से भोरगोंदी मार्ग के चैनेज 650 मीटर एवं 1050 मीटर पर ग्राम पंचायत सोनखार (2) रतनपुर से चिरई डोंगरी मार्ग के चैनेज 400 मीटर पर ग्राम पंचायत रतनपुर

सिवनी	2023_RES_314139_1	केवलारी	18144000/-	181440/-	12500/-	240 दिवस	द्वितीय	RES-11-04-2022

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. स्लेव क्लवर्ट निर्माण कार्य - (1) चिखलापानी से रामपुरी मार्ग के चैनेज 500 मीटर पर ग्राम पंचायत चंदरपुर (2) बीसापुर मोहगांव से सकाटा मार्ग के चैनेज 1080 मीटर पर ग्राम पंचायत चंदरपुर

सिवनी	2023_RES_314140_1	कुरई	15245000/-	152450/-	12500/-	240 दिवस	द्वितीय	RES-11-04-2022

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. भाऊ राव देवरस सभागृह सह अतिथि गृह निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कारंजा

बालाघाट-2	2023_RES_315863_1	लांजी	4618813/-	50000/-	5000/-	180 दिवस	प्रथम	RES-11-04-2022

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, सिवनी
निविदा-सूचना

निविदा आमंत्रण क्र. 20/7012/व.ले.लि./2023-24 **सिवनी, दिनांक : 07.12.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. उपसंभाग केवलारी अंतर्गत खमरिया से पांजरा मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 5.90 कि.मी.।

टेण्डर क्र.	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा खोलने का कार्यालय का नाम एवं पता
2023_PWDRB_318406	प्लान	प्रथम	15000	487.53 लाख	487530	11 माह वर्षाऋतु सहित	मुख्य अभियंता लो.नि.वि. परिक्षेत्र जबलपुर

क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. उपसंभाग क्र.-1 सिवनी अंतर्गत जोरावारी से मलाजपुर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 2.00 कि.मी. एवं मलाजपुर से जटलापुर मनिहारबाबा मार्ग लम्बाई 2.50 कि.मी.।

2023_PWDRB_318407	प्लान	प्रथम	15000	350.54 लाख	350540	10 माह वर्षाऋतु सहित	मुख्य अभियंता लो.नि.वि. परिक्षेत्र जबलपुर

क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. उपसंभाग क्र.-1 सिवनी अंतर्गत मोहगांव से जुबानटोला मार्ग निर्माण लम्बाई 3.50 कि.मी.।

2023_PWDRB_318409	प्लान	प्रथम	15000	261.55 लाख	261550	08 माह वर्षाऋतु सहित	मुख्य अभियंता लो.नि.वि. परिक्षेत्र जबलपुर

क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. उपसंभाग क्र.-1 सिवनी अंतर्गत सहजपुरी से पिपरिया मार्ग लम्बाई 2.00 कि.मी.।

2023_PWDRB_318410	प्लान	प्रथम	12500	142.66 लाख	142660	06 माह वर्षाऋतु सहित	मुख्य अभियंता लो.नि.वि. परिक्षेत्र जबलपुर
योग 4 कार्य				**1242.28 लाख**			

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 26.12.2023** (17.30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. 205/प्रस/लोनिवि./20, भोपाल दिनांक 03.11.2020 से प्राप्त निर्देशानुसार भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जायेंगे, सम्पूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन ही अपलोड किये जायेंगे एवं सम्पूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

इलेक्ट्रॉनिक ई.एम.डी. (धरोहर राशि) RTGS/NEFT के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। इलेक्ट्रानिक के अलावा अन्य किसी भी रूप में ई.एम.डी. (धरोहर राशि) स्वीकार नहीं की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-21488/49240/2023 **लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र.-1 सिवनी**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 1040/2023-24/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक 07.12.2023**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 26.12.2023 को 17.30 बजे** तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2023_WRD_318334	अटल भूजल योजना अंतर्गत पड़रिया, खैरों एवं रक्शापुरवा तालाब में अर्थ वर्क लाइनिंग एवं व्ही.आर.बी.।	छतरपुर	158.64
2.	2023_WRD_318336	अटल भूजल योजना अंतर्गत रतिया/बियर रेगुलेटर का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	छतरपुर	58.08
3.	2023_WRD_318337	अटल भूजल योजना अंतर्गत घुघसी तालाब के सुधार एवं मरम्मत एवं निर्माण कार्य।	निवाडी	68.56
4.	2023_WRD_318339	राज्य खनिज मद अंतर्गत डोडी स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य।	सीहोर	30.75
5.	2023_WRD_318340	राज्य खनिज मद अंतर्गत तकीपुर स्टॉप डेम का मरम्मत कार्य।	सीहोर	45.55
6.	2023_WRD_318341	राज्य खनिज मद अंतर्गत कचनरिया स्टॉप डेम का नवीन कार्य।	सीहोर	63.83

जी-21473/49238/2023 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. बाला साहब देवरस स्मृति आवासीय भवन निर्माण कार्य ग्राम पंचायत कारंजा

बालाघाट-2	2023_RES_315866_1	लांजी	3893774/-	50000/-	5000/-	180 दिवस	प्रथम	RES-11-04-2022

नोट - निविदा संशोधन से संबंधित जानकारियां ऑनलाइन देखी जा सकती हैं, जो कि प्रकाशित नहीं की जायेगी।

निविदा संबंधी तिथियां (Key Dates) :–

(1) Date of Publishing of Tender/Document Download/Sale Start Date - 13.12.2023 AT 11.00 AM

(2) Prebid Meeting Venue Office of S.E. RES Jabalpur - 15.12.2023 AT 11.00 AM

(3) Document Download/Sale End Date/Technical Bid Submision End Date - **20.12.2023 AT 05.30 PM**

(4) Bid Opening Date - 22.12.2023 AT 11.00 AM

अधीक्षण यंत्री

जी-21510/49241/2023 **ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर मण्डल जबलपुर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग शाजापुर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 18/2023-24 **शाजापुर, दिनांक : 06.12.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	318196	शाजापुर	सड़क कार्य	बेरछा-सुन्दरसी मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य (शेष कार्य)	प्रथम	261.61	दस्तावेज ऑनलाइन ही मान्य किये जावेंगे
2.	318197	शाजापुर	भवन कार्य	माँ राजराजेश्वरी मंदिर परिसर शाजापुर में विद्युतीकरण कार्य सहित विकास कार्य	प्रथम	224.57	
3.	318198	शाजापुर	भवन कार्य	महाकाल हवेली मंदिर परिसर सुन्दरसी जिला शाजापुर में विद्युतीकरण कार्य सहित विकास कार्य	प्रथम	163.36	
4.	318199	शाजापुर	भवन कार्य	जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर शुजालपुर जिला शालापुर में विद्युतीकरण कार्य सहित विकास कार्य	प्रथम	163.62	
5.	318200	शाजापुर	भवन कार्य	सिविल न्यायालय शुजालपुर जिला शाजापुर में कापी अनुभाग कार्यालय की छत पर वाटर प्रूफिंग एवं ई-फिलिंग काउन्टर हॉल का निर्माण कार्य	प्रथम	5.20	
6.	318201	शाजापुर	भवन कार्य	उपसंभाग शाजापुर के शासकीय आवासीय भवनों में रंगाई पुताई का कार्य	प्रथम	15.00	
7.	318202	शाजापुर	भवन कार्य	उपसंभाग शुजालपुर के शासकीय आवासीय भवनों में रंगाई पुताई का कार्य।	प्रथम	12.00	
8.	318532	शाजापुर	भवन कार्य	बेडमिन्टन कोर्ट शुजालपुर जिला शाजापुर में मरम्मत का कार्य।	प्रथम	6.98	
				कुल योग		**852.34**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 23.12.2023, 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-21482/49239/2023 **लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग शाजापुर (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

नि.आ.सू.क्र. 41 से 61/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/सिंगरौली/2024 **दिनांक 11.12.2023**

पता - विजय बंधु पेट्रोल पम्प के पास, ई-मेल -eephedsin@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों हेतु निविदा का ऑनलाइन वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 20.12.2023** सायं 17.30 बजे तथा निविदा खुलने की तिथि 21.12.2023 सायं 17.30 बजे है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Name of Work :- "Drilling of 10 Nos. Per Tender DTH Tubewell 125/115 mm dia and 90.00 mtr deep" for, Block - Waidhan/Chitrangi/Deosar District - Singrauli (M.P.)

S. No.	NIT No.	Tender ID	Name of Village/ Block	PAC (Rs. In Lakhs)	e-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Calls
1.	41/2023-24	2023_PHED_319166_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
2.	42/2023-24	2023_PHED_319167_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
3.	43/2023-24	2023_PHED_319169_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
4.	44/2023-24	2023_PHED_319170_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
5.	45/2023-24	2023_PHED_319172_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
6.	46/2023-24	2023_PHED_319174_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
7.	47/2023-24	2023_PHED_319176_1	Waidhan	6.12	12240/-	2000/-	1st
8.	48/2023-24	2023_PHED_319181_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
9.	49/2023-24	2023_PHED_319183_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
10.	50/2023-24	2023_PHED_319185_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
11.	51/2023-24	2023_PHED_319186_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
12.	52/2023-24	2023_PHED_319189_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
13.	53/2023-24	2023_PHED_319190_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
14.	54/2023-24	2023_PHED_319191_1	Chitrangi	6.12	12240/-	2000/-	1st
15.	55/2023-24	2023_PHED_319192_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
16.	56/2023-24	2023_PHED_319193_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
17.	57/2023-24	2023_PHED_319194_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
18.	58/2023-24	2023_PHED_319195_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
19.	59/2023-24	2023_PHED_319196_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
20.	60/2023-24	2023_PHED_319197_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st
21.	61/2023-24	2023_PHED_319198_1	Deosar	6.12	12240/-	2000/-	1st

कार्यपालन यंत्री

जी-21555/49243/2023 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर

फोन नं. : 0751-2371231, ईमेल : eepwd1gwl@mp.nic.in

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 40/टी.सी./डी-1 ग्वा./2023-24 **दिनांक : 06.10.2023**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु नवीन निविदा प्रपत्र 2.10 पर आमंत्रण की सूचना क्र. 40 ग्वालियर दिनांक 06.10.2023 द्वारा प्रचलित भवन/सड़क कार्यों की दर अनुसूची दिनांक 15.09.22/25.03.2022 पर निविदायें लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीकृत ठेकेदार श्रेणी हेतु आमंत्रित की जाती हैं जिसका सम्पूर्ण विवरण **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। विभाग तकनीकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एवं किन्हीं कारणों से की जाने वाली परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर ही देखें पृथक से प्रकाशित नहीं की जावेगी।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी.	कार्य का नाम	(1) ठेके की अनु. लागत राशि रु. (2) अमानत राशि	टेण्डर फार्म की राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	पंजीयन श्रेणी
1.	2023_PWDRB_316684_1	लोक निर्माण संभाग ग्वालियर अंतर्गत खुरैरी, बिजौली, गुंधारा, जिगनिया, गुहीसर से ग्वालियर सीमा तक 30.68 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य।	1. 6384.03 लाख 2. 3192015/-	50000/- + (पोर्टल चार्ज)	24 माह वर्षाकाल सहित	लो.नि.वि. में पंजीकृत ठेकेदार

कुल कार्य संख्या - 01 (एक)

ऑनलाइन निविदा जारी व डाउनलोड करने की आरंभ तिथि 09.10.2023 प्रातः 10.30

ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **18.12.2023** सायं 17.30

ऑनलाइन निविदा दर खुलने की तिथि 20.12.2023 प्रातः 11.00

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। तथा सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री

जी-21544/49242/2023 **लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 ग्वालियर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, झाबुआ

Ph. No. - (07392) 244306, E-mail - eephedjha@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 13/प्रोक्योरमेंट सेल/23-24 **झाबुआ, दिनांक : 11.12.2023**

निम्न निविदा संबंधी विवरण की विस्तृत जानकारी **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि दिनांक 23.12.2023 शाम 5.30 बजे तक निर्धारित है। उपरोक्त निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी। उक्त संशोधन केवल वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

ई-टेण्डर क्रमांक	विकासखण्ड/ग्राम का नाम	ठेके की अनु. लागत रुपये में	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)
2023_PHED_319071	जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, झाबुआ में केमिल्स, ग्लासवेयर एवं इन्स्ट्रूमेन्ट एन.ए.बी.एल. अनुसार प्रदाय करने का कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	100800	2100	1000	1 माह

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि - 23.12.2023 17.30 बजे तक

ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि **- 23.12.2023 17.30 बजे तक**

ऑनलाइन निविदा खोलने की तिथि - 26.12.2023 11.00 बजे तक

शर्तें :– 1. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें बंधनकारक होगी। 2. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन पर आवश्यक राशि का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग एकाउन्ट के द्वारा क्रय किये जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री

जी-21631/49244/2023 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, झाबुआ**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
नया भोपाल संभाग लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 16/व.ले.लि./2023-24 **भोपाल, दिनांक : 07.12.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि
1.	2023_PWDRB_318425_1	उपसंभाग क्र.1, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत सेक्शन क्र.-1 के शासकीय बंगलों में लघुमूल गौड़/ए.आर./एस.आर./अनुरक्षण/सीवेज/डिपाजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	75.00	75000/-
2.	2023_PWDRB_318427_1	उपसंभाग क्र.1, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत शासकीय आवास गृहों में लघुमूल गौड़/ए.आर./एस.आर./अनुरक्षण/सीवेज/डिपाजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	80.00	80000/-
3.	2023_PWDRB_318428_1	आर.टी.सी. उपसंभाग, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत शासकीय बंगलों में लघुमूल गौड़/ए.आर./एस.आर./अनुरक्षण/सीवेज/डिपाजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	82.00	82000/-
4.	2023_PWDRB_318429_1	उपसंभाग क्र.1, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत 74 बंगलों में लघुमूल गौड़/ए.आर./एस.आर./अनुरक्षण/सीवेज/डिपाजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	78.00	78000/-
5.	2023_PWDRB_318430_1	उपसंभाग क्र.1, लो.नि.वि. भोपाल के अंतर्गत बी, सी एवं डी टाइप बंगलों में लघुमूल गौड़/ए.आर./एस.आर./अनुरक्षण/सीवेज/डिपाजिट कार्य।	प्रथम आमंत्रण	76.00	76000/-
		योग :–		**391.00**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं सबमिशन करने की **अंतिम तिथि 27.12.2023 सायं 5.30 बजे** निर्धारित है निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-21648/49246/2023 **नया भोपाल संभाग लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)**

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग ओल्ड पलासिया इंदौर (म.प्र.)

ई-मेल : apdpiuindore@gmail.com, फैक्स : 0731-4989768

क्र.एफ-3/सामान्य/नि.प्र. अनुमोदन/मु.अ. (भवन)/2023/एनआईटी-21/3300 इंदौर, दिनांक : 12.12.2023

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 21/2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र इंदौर के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीयन ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग, म.प्र. द्वारा दिनांक 15.09.2022 से प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं निविदा सूचना प्रकाशन तिथि संशोधित, निर्धारित तिथि (Key-Date) अनुसार के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षकाल सहित)
1.	2023_PWPIU_319146_1	30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा नगर विकासखण्ड पिपलौदा जिला रतलाम का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन निर्माण कार्य।	रतलाम	907.30	9,07,310	20,000	16
2.	2023_PWPIU_318741_1	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जावरा जिला रतलाम में अतिरिक्त कक्षों (क्लास रूम/लैब्स) का शेष निर्माण कार्य।	रतलाम	247.73	2,47,730	15,000	14
3.	2023_PWPIU_318645_1	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन प्रीतमनगर जिला रतलाम का निर्माण कार्य।	रतलाम	99.89	99890	10,000	6
4.	2023_PWPIU_318600_1	शासकीय हायर सेकेण्डी स्कूल भवन छावनीझोडिया जिला रतलाम का निर्माण कार्य।	रतलाम	124.59	1,24,600	12,500	6
5.	2023_PWPIU_318564_1	शासकीय हायर सेकण्डी स्कूल भवन थम्बगुराडीया जिला रतमाल का निर्माण कार्य।	रतलाम	124.59	1,24,600	12,500	6
6.	2023_PWPIU_318541_1	शासकीय हायर सेकेण्डी स्कूल भवन काण्डरवासा जिला रतलाम का निर्माण कार्य।	रतलाम	124.59	1,24,600	12,500	6
7.	2023_PWPIU_318058_1	विभिन्न विभागों के जिला बडवानी में एस.क्यू.सी. के निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	बडवानी	259.35	2,59,350	15,000	24
8.	2023_PWPIU_318047_1	बडवानी जिला बड़वानी में बैलेंस मेंटेनेंस एवं छोटे-छोटे कार्य तथा पीजी अंतर्गत कार्य (सिविल एवं विद्युत) के निर्माण कार्य। (पंचम आमंत्रण)	बड़वानी	175.00	1,75,000	12,500	24
9.	2023_PWPIU_317981_1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ झाबुआ में ऑडिटोरियम हॉल के शेष (बैलेंस वर्क) के निर्माण कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	झाबुआ	658.25	6,58,250	20,000	12
10.	2023_PWPIU_317925_1	रेस्ट हाउस मनासा जिला नीमच में दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य।	मंदसौर	121.36	1,21,360	12,500	6
11.	2023_PWPIU_317892_1	शासकीय हाईस्कूल भवन रतनगढ़ जिला नीमच का निर्माण कार्य।	मंदसौर	117.53	1,17,530	12,500	6
12.	2023_PWPIU_317887_1	शासकीय हाईस्कूल भवन खजुरी जिला नीमच का निर्माण कार्य।	मंदसौर	117.53	1,17,530	12,500	6
13.	2023_PWPIU_317897_1	शासकीय हाईस्कूल भवन टामोटी जिला नीमच का निर्माण कार्य।	मंदसौर	117.53	1,17,530	12,500	6
14.	2023_PWPIU_317894_1	शासकीय हाईस्कूल भवन सरोदा जिला नीमच का निर्माण कार्य।	मंदसौर	117.53	1,17,530	12,500	6
15.	2023_PWPIU_317883_1	तलावडी जिला धार में शासकीय हायर सेकेण्डी स्कूल भवन में 03 प्रयोगशाला एवं 04 अतिरिक्त रूप के निर्माण कार्य।	धार	101.66	1,01,660	12,500	6
16.	2023_PWPIU_317882_1	30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर विकासखण्ड नालछा जिला धार का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।	धार	907.31	9,07,310	20,000	18

निविदा संबंधित तिथियां (key-Date) :–

1. प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि - 05.12.2023
2. बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि - 07.12.2023
3. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - **22.12.2023**
4. बिड खोलने की तिथि - 23.12.2023

मुख्य अभियंता (भवन)

जी-21705/49271/2023 लो.नि.वि. परिक्षेत्र इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल (म.प्र.)

निविदा सूचना क्रमांक 17-डी.एल./2023-24 बैतूल, दिनांक : 11.12.2023

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. चौगढ़ से बालनेर रोड का निर्माण। लम्बाई 4.00 कि.मी.

टेण्डर नम्बर	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि	समयावधि	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज)
2023_PWDRB_318895_1	बैतूल	सड़क कार्य	प्रथम आमंत्रण	355.55	3,55,550/-	12 माह	EMD and all Document Submission Online Only.

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. सातनेर देहगुड मांडवी मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण। लम्बाई 4.00 कि.मी.

2023_PWDRB_318903_1	बैतूल	सड़क कार्य	प्रथम आमंत्रण	338.07	3,38,100/-	08 माह	EMD and all Document Submission Online Only.

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. साईखेड़ा बिसनूर मार्ग के शेष भाग का निर्माण। लम्बाई 1.00 कि.मी. (बिसनूर से गरवा तक)

2023_PWDRB_318905_1	बैतूल	सड़क कार्य	प्रथम आमंत्रण	127.74	1,27,800/-	04 माह	EMD and all Document Submission Online Only.

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. मुलताई बायपास मार्ग का निर्माण। लम्बाई 1.00 कि.मी. (परमण्डल से कामथ जोड़ तक)

2023_PWDRB_318914_1	बैतूल	सड़क कार्य	प्रथम आमंत्रण	127.18	1,27,200/-	04 माह	EMD and all Document Submission Online Only.

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम दिनांक 27.12.2023 सायं 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त बेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-21643/49245/2023 लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (भवन)
लोक निर्माण विभाग, कोठी रोड, सिविल लाईस सतना (म.प्र.)

PHONE No. : 07676-299470, Email : dpepiusatna2@gmail.com

एन.आई.टी. नं. - 30/2023/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सीई/पी.डब्ल्यू.डी./भवन/3022 रीवा, दिनांक : 11.12.2023

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :–

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. नादन जिला मैहर में नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य मय जलप्रदाय, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण (द्वितीय आमंत्रण)

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पी.ए.सी.) (लाख में)	अमानत राशि (ई.एम.डी.) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2023_PWPIU_319082_1	सतना	426.93	426930/-	15000	12 माह	हां

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 11.12.2023 समय 10.00 से **दिनांक 26.12.2023** समय 18.00 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (भवन)

जी-21652/49247/2023 लोक निर्माण विभाग, सतना (म.प्र.)

संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
छठवीं मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष क्रमांक - 0755-2578491, Email - dirhort@mp.nic.in, midhhorti@mp.gov.in

आवश्यक सूचना

संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के घटक फसलोत्तर प्रबंधन (PHM) के अंतर्गत शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1, राईपेनिंग चेम्बर एवं कोल्ड रूम (स्टेजिंग) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त है, कृषक/उद्यमी को घटकवार प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	घटक	अनुदान सहायता का विवरण
1.	शीतगृह (कोल्ड) स्टोरेज टाईप-1	प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 5000 मी. टन, निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रुपये 0.08 लाख प्रति मी. टन, अनुदान की सीमा अधिकतम राशि रुपये 140.00 लाख।
2.	राईपेनिंग चेम्बर	प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 300 मी.टन, निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रुपये 1.00 लाख प्रति मी. टन, अनुदान की सीमा अधिकतम राशि रुपये 105.00 लाख।
3.	कोल्ड रूम (स्टेजिंग)	प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 30 मी.टन, निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रुपये 15.00 लाख प्रति मी.टन, अनुदान की सीमा अधिकतम राशि रुपये 5.25 लाख।

ये सभी घटक प्रोजेक्ट आधारित है, बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ही ऋण संबद्ध बैंक एंडेड सब्सिडी देय होगी, योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय पोर्टल **www.mpfsts.mp.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, पूर्ण एवं निर्धारित दस्तावेज अपलोड न करने वाले आवेदकों के आवेदनों/प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

सहायक संचालक उद्यान

जी-21610/49268/2023 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मध्यप्रदेश भोपाल

जैव संसाधन और स्थाई विकास संस्थान, इम्फाल

पद का नाम - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 2 जनवरी 2024
वेबसाइट – http://www.ibsd.gov.in

भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर

पद का नाम - सहायक प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी भाषा) (अनुबंध पर)
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 30 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.iimraipur.ac.in

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ स्काउट्स एवं गाइड्स कोटा के अंतर्गत खुली भर्ती

पद का नाम - लेवल - 2, लेवल - 1
पदों की संख्या - 08
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 24 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.rrcpryj.org

मूल कोशिका विज्ञान एवं पुनर्योजी औषधि संस्थान

पद का नाम - प्रोफेसर/अन्वेषक (वैज्ञानिक - जी)
पदों की संख्या - 04
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 25 दिसंबर 2023
वेबसाइट - https://www.instem.res.in

भान्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

पद का नाम - परामर्शदाता (अनुबंधात्मक आधार पर)
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 21 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.wdra.gov.in

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

पद का नाम - कंपनी सचिव
पदों की संख्या - उल्लेखित नहीं
योग्यता - इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के फेलो/एसोसिएट सदस्य
अंतिम तिथि - 22 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.ircon.org

हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज

पद का नाम - रजिस्ट्रार
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 29 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.hri.res.in

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

पद का नाम - अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखाकार सह खजांची, व्यक्तिगत सहायक (आशुलिपिक ग्रेज सी)
पदों की संख्या - 06
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 20 जनवरी 2024
वेबसाइट - www.ncdrc.nic.in

कमारजार पत्तन लिमिटेड

पद का नाम - विधि अधिकारी (अनुबंध आधार पर)
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 21 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.kamarajarport.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे

पद का नाम - मुख्य अभियंता (संपदा), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (स्केल ए), पुस्तकालय अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक
पदों की संख्या - 52
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 21 दिसंबर 2023
वेबसाइट - https://www.iitb.ac.in

केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड

पद का नाम - लेखापाल
पदों की संख्या - 01
योग्यता - पदानुसार
अंतिम तिथि - 20 दिसंबर 2023
वेबसाइट - www.cbip.org

एडमिशन अलर्ट

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन

पाठ्यक्रम का नाम - विभिन्न यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए
योग्यता - डिजाइन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा।
अंतिम तिथि - 26 जनवरी 2024
वेबसाइट - http://worlduniversityofdesign.ac.in

स्कॉलरशिप अलर्ट

हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप टेस्ट

किनके लिए - उन उम्मीदवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जो विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं।
योग्यता - आवेदकों का अगले एक साल में किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए और डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना आवश्यक है। 10वीं और 12वीं में कम से कम 55% अंक हों।
क्या मिलेगा - चयनित उम्मीदवारों को पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस, निवास और यात्रा के खर्च के बदले 3 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अंतिम तिथि - 22 दिसंबर 2023
वेबसाइट - https://hest.wemakescholars.com

संसद सदस्यों के विधायी सहायक फेलोशिप प्रोग्राम

किनके लिए - संसद सदस्यों के साथ पूर्णकालिक पेशेवर के रूप में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए
योग्यता - आयु 25 वर्ष से अधिक न हो। ग्रेजुएशन पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
क्या मिलेगा - एक वर्ष तक फेलोशिप के दौरान प्रति माह 23 हजार रुपए
अंतिम तिथि - 23 दिसंबर 2023
वेबसाइट - https://prsindia.org/lamp

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

राष्ट्रीय गणित दिवस - 22 दिसंबर

गणित के महत्व और विश्व में भारत के प्रभाव को रेखांकित करता है यह दिन

भारत प्राचीन काल से ही नवाचार, विज्ञान और गणित का केंद्र रहा है। हमारे यहां आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे कई महान गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने अपनी गणितीय खोजों से वैज्ञानिक प्रगति को आसान बनाया है। दुनिया को शून्य, दशमलव और अनंत की खोज भारत की ही देन है। आधुनिक काल में भी भारत में कई महान गणितज्ञ हुए हैं। इनमें श्रीनिवास रामानुजन अत्यधिक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बचपन से ही श्री रामानुजन को गणित में रुचि थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि गणित के अलावा अन्य विषयों में उनकी रुचि नहीं थी और इस कारण वे औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन अपने छोटे से जीवनकाल में गणित के क्षेत्र में ऐसे प्रमेयों का प्रतिपादन किया, जिसने उन्हें न केवल भारत बल्कि विश्व के महान गणितज्ञों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो न केवल गणित की दुनिया में रामानुजन के असाधारण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को आकार देने में इस क्षेत्र के महत्व की भी याद दिलाता है।

राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत

राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 2012 को श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। 22 दिसंबर का दिन रामानुजन के जन्मदिन का सम्मान करने के लिए चुना गया। इस दिन का उद्देश्य गणित और उसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जागरूकता और छात्रों के बीच नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है।

कौन थे श्रीनिवास रामानुजन

श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। गरीबी सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रामानुजन ने असाधारण प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वर्ष 1911 में रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसायटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया। 1913 में रामानुजन के काम ने प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ जी.एच. हार्डी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रामानुजन के प्रमेयों और सूत्रों की प्रतिभा को पहचाना। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया। रामानुजन ने कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान कई पत्र प्रकाशित किए, जो पहले से अनसुलझी गणितीय समस्याओं का समाधान प्रदान करते थे। वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अपनी प्रतिभा के बावजूद इंग्लैंड में रामानुजन का समय चुनौतीपूर्ण था। उन्हें सांस्कृतिक मतभेदों, ठंडी जलवायु के कारण बिगड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा। दुख की बात है कि रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह 1919 में भारत लौट आए। बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपना गणितीय कार्य जारी रखा। श्रीनिवास रामानुजन का 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की कम उम्र में ही निधन हो गया। गणित में उनका योगदान गहरा और दूरगामी था, उनकी विरासत आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। रामानुजन की विरासत उनके छोटे जीवनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है।

रामानुजन का गणित में योगदान

- रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवनकाल में लगभग 3,900 परिणामों (समीकरणों और सर्वसमिकाओं) का संकलन किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई (Pi) की अनंत श्रेणी शामिल थी।
- उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिये कई सूत्र प्रदान किये जो परंपरागत तरीकों से अलग थे।
- उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नए विचार दिए।
- वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था।
- गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी 1729 को माना जाता है।
- यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है, जिसे दो अलग-अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।

रामानुजन पुरस्कार

इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (आईसीटीपी) व अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (आईएमयू) के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित रामानुजन पुरस्कार विकासशील देश के एक शोधकर्ता को हर साल प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से समर्थित यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने खुद से पढ़ाई करके दीर्घवृत्तीय कार्यों, निरंतर अंशों, अनंत श्रृंखला और संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में अपना शानदार योगदान दिया था। पहली बार 2005 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

समाज में गणित की भूमिका

गणित सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार की भाषा भी है। हमारे डिजिटल उपकरणों को क्रियान्वित करने वाले एल्गोरिदम से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान में जटिल गणनाओं तक में गणित बहुत आवश्यक है।

तकनीकी प्रगति

तकनीकी प्रगति के केंद्र में गणित है। यह कोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है। सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वित्तीय प्रणालियों को चलाने वाले एल्गोरिदम सभी गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस इन अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है।

वैज्ञानिक खोज

विज्ञान के क्षेत्र में गणित एक अनिवार्य विषय है। यह वैज्ञानिकों को जटिल घटनाओं का मॉडल बनाने, भविष्यवाणी करने और प्रयोगात्मक डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।

नवाचार और समस्या समाधान

नया सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। गणित तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहित करके इस कौशल को विकसित करता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने से छात्रों के बीच समस्या का समाधान खोजने की क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

शैक्षिक सशक्तिकरण

गणित की शिक्षा शैक्षणिक विकास की आधारशिला है। गणित में एक मजबूत नींव विज्ञान, इंजीनियरिंग, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न कॅरियर के द्वार खोलती है। राष्ट्रीय गणित दिवस शैक्षणिक संस्थानों को गणित पढ़ाने के प्रभावी और आकर्षक तरीकों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे इसे सभी के लिए आसान बनाया जा सके।

इस प्रकार राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और उपलब्धियों पर चिंतन करने का एक अवसर है, जो गणितज्ञों की नई पीढ़ी को संख्याओं की दुनिया के भीतर असीमित संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। श्रीनिवास रामानुजन के काम का गणित की विभिन्न शाखाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें इतिहास के सबसे महान गणितज्ञों में से एक माना जाता है। यह दिन गणितीय अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित करने और युवा पीढ़ी को इस विषय में रुचि लेने के लिए प्रेरित करने का एक अवसर है। इस दिन को मनाने और शैक्षणिक एवं व्यावहारिक संदर्भों में गणित के महत्व को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

- निशा त्यागी
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के लागू होने की तिथि निम्न में से कौन सी है?
A. 1 जनवरी, 1989
B. 30 जनवरी, 1989
C. 1 जनवरी, 1990
D. 30 जनवरी, 1990

2. अनुसूचित जाति अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या है?
A. 21 B. 23
C. 25 D. 27

3. अनुसूचित जाति अधिनियम के अनुसार संहिता से अभिप्राय है?
A. भू- राजस्व संहिता
B. मोटरयान संहिता
C. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
D. उपरोक्त कोई नहीं

4. अ. जा. अ. के अन्तर्गत विशेष न्यायालय का विनिर्देशन किस धारा में किया गया है?
A. धारा- 11
B. धारा- 12
C. धारा- 13
D. धारा- 14

5. अ. जा. अ. के अधीन अत्याचार के अपराध का भागी नहीं हो सकता है?
A. SC का सदस्य
B. ST का सदस्य
C. उपरोक्त दोनों
D. उपरोक्त कोई नहीं

6. अ. जा. अ. को राष्ट्रपति द्वारा अपनी सहमति दिए जाने की तिथि है?
A. 1 सितंबर, 1989
B. 11 सितंबर, 1989
C. 21 सितंबर, 1989
D. 30 सितंबर, 1989

7. अ. जा. अ. की किस धारा के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की परिभाषा दी गई है?
A. धारा- 2 (क)
B. धारा- 2 (ग)
C. धारा- 2 (घ)
D. धारा- 2 (च)

8. अ. जा. अ. में कुल अध्यायों की संख्या है?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

9. बेगार करने के लिये विवश करना अ. जा. अ. की किस धारा के तहत दण्डनीय है?
A. धारा-1
B. धारा- 2
C. धारा- 3
D. धारा- 4

10. SC/ST के सदस्य को मतदान से रोकना या विशिष्ट अभ्यर्थी को मतदान करने के लिये मजबूर करना किस धारा के तहत अत्याचार माना गया है?
A. धारा-3 B. धारा- 6
C. धारा- 9 D. धारा- 12

11. SC/ST के सदस्य को मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने हेतु विवश करना है?
A. अपराध
B. अपराध नहीं
C. अनिश्चित
D. उपरोक्त कोई नहीं

12. अ. जा. अ. से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं हैं?
A. धारा- 34
B. धारा- 149
C. A और B दोनों
D. इनमें से कोई नहीं

13. कर्तव्यों की उपेक्षा के लिये दण्ड अ. जा. अ. की किस धारा में प्रावधानित है?
A. धारा- 3
B. धारा- 4
C. धारा- 5
D. धारा- 6

14. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण प्राप्त होने का प्रावधान किस धारा के अन्तर्गत प्राप्त होगा?
A. धारा- 2 B. धारा- 12
C. धारा- 22 D. धारा- 23

15. अ. जा. अ. की धारा- 10 के अधीन आदेश किये गये व्यक्तियों के फोटो एवं माप लेने के प्रतिरोध करने को IPC की किस धारा में अपराध समझा जायेगा?
A. धारा- 151 B. धारा- 183
C. धारा- 186 D. धारा- 188

16. अ. जा. अ. के अंतर्गत अपराधी के संबंध में उपधारणा का उपबंध किस धारा द्वारा किया गया है?
A. धारा- 4 B. धारा- 8
C. धारा- 12 D. धारा- 16

17. अ. जा. अ. की किस धारा में अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और समाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था का उल्लेख है?
A. धारा- 21 (1) (ii)
B. धारा- 21 (1) (iii)
C. धारा- 21 (2) (i)
D. धारा- 21 (2) (iii)

18. अनु. जाति/जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करने से संबंधी धारा है?
A. धारा- 3 (1) (i)
B. धारा- 3 (1) (v)
C. धारा- 3 (1) (vii)
D. धारा- 3 (1) (xi)

19. नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अधीन केन्द्र सरकार को प्रदत्त है?
A. धारा- 21 B. धारा- 22
C. धारा- 23 D. धारा- 24

20. अ. जा. अ. की धारा-10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिये कितने वर्ष तक का अधिकतम कारावास दिया जा सकता है?
A. 1 वर्ष B. 2 वर्ष
C. 7 वर्ष D. 10 वर्ष

21. अ. जा. अ. के अधीन दण्ड योग्य अत्याचारों के विचारण की शक्ति है?
A. DM
B. CJM
C. विशेष न्यायालय
D. उपरोक्त कोई नहीं

22. अ. जा. अ. की धारा- 7 किसका प्रावधान करती है?
A. मृत्युदण्ड
B. आजीवन कारावास
C. 6 माह का कारावास
D. सम्पत्ति का समपहरण

23. अ. जा. अ. में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने की दशा में किस संहिता द्वारा उसके अर्थ का निगमन किया जायेगा?
A. I.P.C
B. Cr. P. C.
D. C.P.C
D. M.P.L.R.C

24. अ. जा. अ. की किस धारा के अंतर्गत अपराधों के बारे में उपधारणा करने का उपबंध है,
A. धारा- 6
B. धारा- 7
C. धारा- 8
D. धारा- 9

25. केन्द्र सरकार ने धारा- 23 का प्रयोग करते हुए किस वर्ष नियम बनाये थे?
A. 1989 में
B. 1991 में
C. 1993 में
D. 1995 में

26. पश्चात्वर्ती दोषासिद्धि के लिये वार्धित दण्ड का प्रावधान अ. जा. अ. की किस धारा के अन्तर्गत है?
A. धारा- 5
B. धारा- 6
C. धारा- 10
D. धारा- 15

27. भारतीय संविधान का निम्नांकित में से कौनसा अनुच्छेद अ.जा.अ. से संबंधित है?
A. अनुच्छेद- 14
B. अनुच्छेद- 15
C. अनुच्छेद- 16
D. अनुच्छेद- 17

28. अ. जा. अ. की धारा- 9 के अधीन राज्य सरकार किसी अधिकारी को किस हेतु शक्ति प्रदान कर सकती है?
A. अन्वेषण
B. अभियोजन
C. गिरफ्तारी
D. उपरोक्त सभी

29. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के लागू नहीं होने का उल्लेख अ. जा. अ. की किस धारा में है?
A. धारा- 8 B. धारा- 16
C. धारा- 18 D. धारा- 19

30. अ. जा. अ. के किस प्रावधान में मृत्युदण्ड संदर्भित है?
A. 3 (2) (i)
B. 3 (2) (ii)
C. 3 (2) (iii)
D. 3 (2) (x)

31. अ. जा. अ. की धारा- 17 के तहत निवारक कार्यवाही करने में सक्षम हैं?
A. D.M.
B. S.D.M
C. कार्यपालिक दण्डधिकारी
D. उपरोक्त सभी

32. धारा- 22 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है?
A. केन्द्र सरकार को
B. राज्य सरकार को
C. उपरोक्त दोनों को
D. उपरोक्त कोई नहीं

33. अ. जा. अ. के अन्य विधियों पर अध्यारोही होने का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है?
A. धारा- 10
B. धारा- 18
C. धारा- 20
D. धारा- 22

34. अ. जा. अ. की धारा- 21 (4) के अंतर्गत संसद में रखी जाने वाली रिपोर्ट में किसके द्वारा किये गये उपाय होते हैं?
A. केन्द्र सरकार द्वारा
B. राज्य सरकार द्वारा
C. उपरोक्त दोनों द्वारा
D. उपरोक्त कोई नहीं

35. अ. जा. अ. के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का आधिकार किसे है?
A. उच्चतम न्यायालय
B. उच्च न्यायालय
C. केन्द्र सरकार
D. राज्य सरकार

36. अ. जा. अ. की धारा- 23 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कितनी अवधि के लिये रखा जायेगा?
A. 10 दिन
B. 20 दिन
C. 30 दिन
D. 40 दिन

37. अधिनियम की धारा- 10 के अंतर्गत माप एवं फोटो लेने का कार्य है?
A. न्यायाधीश का
B. दण्डाधिकारी का
C. पुलिस अधिकारी का
E. उपरोक्त सभी का

38. 'अत्याचार' को अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है?
A. 2 (i) (a)
B. 3 (2) (b)
C. 3 (c) (iii)
D. 3 (2) (d)

39. अनुसूचित जाति और नियमावली 1995 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत किसी लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिये क्षतिपूर्ति की राशि निधारित है?
A. 25,000
B. 30,000
C. 50,000
D. 75,000

40. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा-5 में यदि किसी व्यक्ति को पश्चात्वर्ती अपराध में दंडित किया जाता है तो ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कम से कम कितने कारावास की अवधि होगी?
A. 3 माह
B. 6 माह
C. 1 वर्ष
D. 3 वर्ष

41. अ. जा. अ. का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य किस धारा में उल्लेखित है?
A. धारा- 20
B. धारा- 21
C. धारा- 22
D. उपरोक्त कोई नहीं

42. अनुसूचित जाति व जनजातियों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?
A. अनुच्छेद- 364
B. अनुच्छेद- 365
C. अनुच्छेद- 366
D. अनुच्छेद- 367

43. अनु. जा. अ. की किस धारा में कतिपय व्यक्तियों की सम्पत्ति का समपहरण का प्रावधान है?
A. धारा- 6
B. धारा- 7
C. धारा- 8
D. धारा- 9

44. अ. जा. अ. की किस धारा में राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति का वर्णन है?
A. धारा- 13
B. धारा- 14
C. धारा- 15
D. धारा- 16

45. अ. जा. अ. का कौनसा अध्याय ''अत्याचार के अपराध'' से संबंधित है?
A. अध्याय- 1
B. अध्याय- 2
C. अध्याय- 3
D. अध्याय- 4

46. अ. जा. अ. के अन्तर्गत धारा- 10 अधीन आदेश के अनुपालन के लिये शास्ति का उल्लेख है?
A. धारा- 13
B. धारा- 14
C. धारा- 15
D. धारा- 16

47. अ. जा. अ. का कौनसा अध्याय ''निष्कासन'' से संबंधित है?
A. अध्याय- 1
B. अध्याय- 2
C. अध्याय- 3
D. उपरोक्त कोई नहीं

उत्तरमाला

(1) D (2) B (3) C (4) D (5) C (6) B (7) C (8) D (9) C (10) A (11) A (12) C (13) B (14) C (15) C (16) B (17) D (18) D (19) C (20) A (21) C (22) D (23) B (24) C (25) D (26) A (27) D (28) D (29) C (30) A (31) D (32) C (33) C (34) C (35) D (36) C (37) C (38) A (39) C (40) C (41) B (42) C (43) B (44) D (45) B (46) A (47) C

- सविता रघुवंशी
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों पर लेखन करती हैं)

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस : 24 दिसम्बर

उपभोक्ताओं के हित में आर्थिक एवं नीतिगत निर्णय लेने की दिशा में बढ़ते कदम

सामाजिक विकास के साथ वस्तुओं की विपुलता बढ़ी। संसाधनों और सामानों का बड़ा बाजार निर्मित हो गया, इसी के साथ उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण हुआ। बाजार से सामान खरीदने के इस क्रम में ग्राहक कई बार ठगा जाने लगा। बाजार की विषमता और उपभोक्ताओं की अनभिज्ञता से वे शोषण का शिकार हो जाते हैं, ऐसे में उपभोक्ताओं को जागृत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए उपभोक्ताओं के हित में कानूनन, प्रशासनिक और आर्थिक नितिगत निर्णय लिये गये, इन निर्णयों ने उपभोक्ताओं को सहायता और सुरक्षा प्रदान की। व्यापारियों की लालसा से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस दिन के उपलक्ष में 24 दिसम्बर को देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

उपभोक्ता को होने वाली समस्याएं

उपभोक्ता, बाजार में कई तरह से असुरक्षित है और समस्याओं का सामना करते हैं इनमें दोषपूर्ण सामान, सेवा में कमी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली सामान, जमाखोरी, नाप-तोल में धोखा, देर से वितरण, पैकेट की सामग्री में अंतर, बिक्री के बाद खराब सेवा, भ्रामक विज्ञापन, मूल्य घटक, मूल्य में भेदभाव, एटीएम और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, अचल संपत्ति तथा अन्य उपयोगिताओं से संबंधित समस्या, नकली समीक्षा, निजी जानकारी की हैकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी शामिल है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का इतिहास

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को व्यापार और उद्योग के शोषण से मुक्ति के लिए 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया। इसी दिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (नेशनल कंज्यूमर-डे) घोषित किया। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गये। वर्ष 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और भी असरदार बनाने के लिए व्यापक संशोधन लाया गया, इसे 5 मार्च 2004 को नोटिफाई किया गया था।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के बाद ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का विस्तार हुआ है, इसी के साथ बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पादकों की प्रकृति भी परिवर्तित हुई। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बदली परिस्थितियों के लिए प्रभावी नहीं रहा।

अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। इसमें ई-कामर्स कंपनियों की पारदर्शिता, ऑनलाइन खरीदी में सरलता, टेलीशॉपिंग, उत्पाद की वापसी, असुरक्षित अनुबंध और भ्रामक विज्ञापनों जैसी समस्याओं का निदान किया गया। इसके बाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गयी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किये गये। इसमें कोई भी उपभोक्ता अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार, दोषपूर्ण सामान, सेवा में कमी, अधिक मूल्य वसूलना तथा धोखाधड़ी और उस सुरक्षा के लिए खतरनाक सामान या सेवाओं से संबंधित शिकायत कर सकते हैं।

'उपभोक्ता' की परिभाषा को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है। उपभोक्ता ''कोई भी सामान खरीदता है'' और ''किराए पर लेता है या किसी भी सेवा का लाभ उठाता है'' में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या टेलीशॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं।

उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकार

राइट टू सेफ्टी

उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण व टिकाऊ रूप में हासिल करने का अधिकार है। यह गुणवत्ता इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूशन (आईएसआई औद्योगिक व इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के लिए) एगमार्क (कृषि उत्पादों के लिए) एफपीओ मार्क (प्रोसेस्ड् फूड आइटम) के चिन्हों से व्यक्त किये जाते हैं।

राइट टू इन्फार्म

उपभोक्ताओं और ग्राहक जिसके लिए भी पैसे खर्च कर रहे हैं, उस वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने का अधिकार है।

चयन का अधिकार

बाजार में एक वस्तु या सेवा प्रदान करने के लिए कई कंपनियां होती हैं और इनके कई विकल्प भी होते हैं। अत: उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने लिए बेहतर विकल्प को चुनें।

सुनवाई का अधिकार

उपभोक्ताओं को उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी की स्थिति में अपील करने का अधिकार है। ठगी की स्थिति में उपभोक्ता कानूनी कार्यवाही के लिए अपील कर सकता है। उपभोक्ताओं की अपील और सुनवाई के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं।

मुआवजा लेने का अधिकार

यदि किसी उपभोक्ता को प्राप्त वस्तु अथवा सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुआवजा लेने का अधिकार है।

जागरूकता का अधिकार

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक होने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता को अधिकारों को जानने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने, अनुचित व्यापार से उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जांच करने और उत्पाद तथा पैसे की वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए की गई है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के कार्य

- अनुचित व्यापार की शिकायतें।
- सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करना।
- उत्पाद की वापसी या सेवाओं को बंद करने का आदेश देना।
- अन्य नियामकों को शिकायतें भेजना।
- जुर्माना लगाने जैसी दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार।
- उपभोक्ता आयोगों के समक्ष कार्रवाई दर्ज की जा सकती है।
- उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार के मामलों में कार्रवाई में हस्तक्षेप करना।

उपभोक्ताओं के बीच संज्ञान और गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने केंद्र सरकार द्वारा जारी क्यूसीओ का उल्लंघन करने वाले और नकली सामान की बिक्री को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

क्या है उत्पाद दायित्व कार्यवाही

शिकायतकर्ता द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई के तहत मुआवजे के लिए प्रत्येक दावे पर लागू होता है, जो किसी उत्पाद निर्माता द्वारा निर्मित या उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा सेवित या उत्पाद विक्रेता द्वारा बेचे गए किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण किया जाता है। दोषपूर्ण उत्पाद के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए किसी उत्पाद निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई की जा सकती है।

उत्पाद निर्माता के प्रति उत्पाद दायित्व कार्रवाई निम्न अनुसार की जा सकती है

- उत्पाद में विनिर्माण दोष है; या
- उत्पाद डिजाइन में दोष है; या
- विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन है; या
- उत्पाद वारंटी के अनुरूप नहीं है; या
- उत्पाद अनुचित या गलत उपयोग के संबंध में किसी नुकसान को रोकने या कोई चेतावनी के लिए सही उपयोग के बारे में पर्याप्त निर्देश शामिल करने में विफल रहता है।

क्या है अनुचित अनुबंध

इसका मतलब एक ओर निर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता और दूसरी ओर एक उपभोक्ता के बीच अनुबंध है, इसमें ऐसी शर्तें हैं जो ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनती हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- अनुबंध दायित्वों के प्रदर्शन के लिए उपभोक्ता दवारा दी जाने वाली अत्यधिक सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता है।
- उस अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपभोक्ता पर जुर्माना लगाना जो इस तरह के उल्लंघन के कारण दूसरे पक्ष को हुई हानि के लिए पूरी तरह से असंगत है।
- लागू जुर्माने का भुगतान करने पर ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान को स्वीकार करने से इंकार करना।
- बिना उचित कारण के एक पक्ष के अनुबंध को एकतरफा समाप्त करने की अनुमति देना।
- किसी एक पक्ष को अन्य पक्ष यानी उपभोक्ता को उसकी सहमति के बिना अनुबंध सौंपने की अनुमति देना या इस तरह का प्रभाव बनाना।
- उपभोक्ता पर कोई अनुचित शुल्क, बाध्यता या शर्त थोपना जिससे उसे नुकसान होता है।

उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णयन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना, शिकायतों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए उपभोक्ता मंचों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या बढ़ाना, राज्य तथा जिला आयोग द्वारा अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देना, सर्किट का गठन, जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में सुधार और निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं होने पर शिकायतों की स्वीकार्यता शामिल है।

उपभोक्ता कहीं से भी उपभोक्ता अदालतों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं यह एक बड़ी राहत है क्योंकि पहले उपभोक्त उस क्षेत्र में शिकायत दर्ज करा सकते थे जहां विक्रेता या सेवा प्रदाता स्थित था या जहां लेनदेन हुआ था। आजकल ई-कॉमर्स खरीददारी में वृद्धि के साथ, जहां विक्रेता कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा, अधिनियम उपभोक्ता को उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल एप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में सक्षम बनाता है, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। इससे शारीरिक रूप से दिव्यांग उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिली है।

इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। जब तक उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक वह विक्रेता द्वारा छला जायेगा। सामान्यत: हर वस्तु, सामान और सेवा के लिए कीमतें और दरें निर्धारित हैं लेकिन कई बार विक्रेता मनमानी कीमत वसूलते हैं यह कीमत अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग दी जा सकती है, इससे कीमतों की समानता में बाधा उत्पन्न होती है। यह असमानता उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस में दी जाने वाली जानकारी आदि के द्वारा उपभोक्ता को सचेत किया जाता है और उन्हें जानकारी प्रदान की जाती है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मूल्य निर्धारण में भिन्नता और दोषपूर्ण उत्पादों की ब्रिकी से बचाव के उपाय की जानकारी उपभोक्ताओं को पहुंचाई जाती है। इस दिवस के आयोजन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए किये जा रहे प्रयासों को उन तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं को विक्रेता द्वारा ठगे जाने की सभी संभावनाओं के उपायों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है।

- देवेन्द्र गोरे
(लेखक सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री ने दिए पुलिस बैंड को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिये कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी को होगा।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस समारोह से जोड़ा जाए। उन्होंने पुलिस बैंड को भी अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाई करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने कहा कि होम गार्ड को बैंड के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए और जिन स्कूलों में दक्ष बैंड हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में हुई कलेक्टर-कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों के नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने प्रदेश में खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों तथा चलाए जाने वाले विशेष अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

सामान्य हिन्दी

1. 'नश्वर' का विलोम है।
(A) नाशवान
(B) शाश्वत
(C) निरन्तर
(D) चिरायु
उत्तर- (B) शाश्वत

2. 'अर्जुन' का पर्यायवाची है।
(A) केशव (B) राधे
(C) सारथी (D) पार्थ
उत्तर- (D) पार्थ

3. कौन-सा शब्द बहुवचन है?
(A) माता (B) प्राण
(C) लड़का (D) किताब
उत्तर- (B) प्राण

4. राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम है।
(A) मागधी अपभ्रंश
(B) शौरसेनी अपभ्रंश
(C) महाराष्ट्री अपभ्रंश
(D) ब्राचड़ अपभ्रंश
उत्तर- (B) शौरसेनी अपभ्रंश

5. पाप-पुण्य में कौन-सा समास है?
(A) कर्मधारय (B) द्वन्द
(C) तत्पुरुष (D) बहुब्रीहि
उत्तर- (B) द्वन्द समास

6. देशांतर में कौन-सा समास है?
(A) बहुब्रीहि (B) द्विगु
(C) तत्पुरुष (D) कर्मधारय
उत्तर- (C) तत्पुरुष समास

7. 'निर्वाह' में प्रयुक्त उपसर्ग है।
(A) नि (B) निः
(C) निर (D) निरि
उत्तर- (C) निर

8. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए:
(A) अनुकृम (B) अनुक्रम
(C) अनुकर्म (D) अनुक्रर्म
उत्तर- (B) अनुक्रम

9. नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए:
(A) बैंक (B) मुंह
(C) मर्म (D) प्रलाप
उत्तर- (B) मुंह

10. अघोष वर्ण कौन-सा है?
(A) अ (B) ज
(C) ह (D) स
उत्तर- (D) स

11. गिरीश का सही संधि विच्छेद है।
(A) गिरि+ईश
(B) गिरि+इश
(C) गिर्+इश
(D) गिर्+ईश
उत्तर- (A) गिरि+ईश

12. 'ज्ञ' वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है?
(A) ज + ञ (B) ज् + ञ
(C) ज + ध (D) ज + न्य
उत्तर- (B) ज् + ञ

13. जितेन्द्रिय में कौन-सा समास है?
(A) द्वन्द (B) बहुब्रीहि
(C) तत्पुरुष (D) कर्मधारय
उत्तर- (B) बहुब्रीहि समास

14. रामचरित मानस की भाषा क्या है?
(A) भोजपुरी (B) प्राकृत
(C) ब्रजभाषा (D) अवधी
उत्तर- (D) अवधी

15. अपभ्रंश का मुख्य छंद है।
(A) दोहा (B) बरवै
(C) कुंडलियां (D) सवैया
उत्तर- (A) दोहा

16. आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं?
(A) देश विशेष से
(B) लोक विशेष से
(C) क्षेत्र विशेष से
(D) जाति विशेष से
उत्तर- (C) क्षेत्र विशेष से

17. साकार का विलोम है।
(A) दृश्यमान
(B) निराकार
(C) स्थूल
(D) चिरायु
उत्तर- (B) निराकार

18. 'अग्नि' का पर्यायवाची है।
(A) उम्दा
(B) चोरवा
(C) कृशानु
(D) दीप्ति
उत्तर- (C) कृशानु

19. प्रयत्न के आधार पर 'ल' किस प्रकार की ध्वनि है?
(A) पर्श्विक
(B) उत्क्षिप्त
(C) प्रकंपित
(D) संघर्षहीन
उत्तर- (A) पर्श्विक ध्वनि

20. निम्न में 'रूढ़ शब्द कौन-सा है?
(A) मलयज (B) नलज
(C) पंकज (D) वैभव
उत्तर- (D) वैभव

21. कौन-सा शब्द 'देशज' नहीं है?
(A) ढिबरी (B) पगड़ी
(C) ढोर (D) पुष्कर
उत्तर- (D) पुष्कर

22. हिन्दी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है?
(A) संज्ञा (B) सर्वनाम
(C) क्रिया (D) प्रत्यय
उत्तर- (A) संज्ञा

23. निरामिष का विलोम है।
(A) सामिष
(B) निराहर
(C) स्वल्पाहार
(D) आहार
उत्तर- (A) सामिष

24. अश्व का पर्यायवाची है।
(A) वैश्वानर (B) धनंजय
(C) तुरंग (D) पागा
उत्तर- (C) तुरंग

25. 'मुख-दर्शन' में कौन-सा समास है?
(A) द्विगु (B) तत्पुरुष
(C) द्वन्द (D) बहुब्रीहि
उत्तर- (B) तत्पुरुष समास

26. चौराहा में कौन-सा समास है?
(A) बहुब्रीहि
(B) तत्पुरुष
(C) अव्ययी भाव
(D) द्विगु
उत्तर- (D) द्विगु

27. 'मगही' किस हिन्दी प्रदेश की बोली है?
(A) मध्यप्रदेश (B) बिहार
(C) राजस्थान (D) छत्तीसगढ़
उत्तर- (B) बिहार

28. ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं
हंस सुता की सुंदरी कगरी और द्रुमन की छाँही
इन पंक्तियों में कौन-सा रस है?
(A) श्रृंगार रस
(B) हास्य रस
(C) वीर रस
(D) करूण रस
उत्तर- (A) श्रृंगार रस

29. हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे?
(A) राजेन्द्र यादव
(B) राजेन्द्र अवस्थी
(C) प्रेमचंद
(D) अज्ञेय
उत्तर- (C) प्रेमचंद

30. व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है?
(A) इ + अ (B) इ + उ
(C) इ + ए (D) ई + अ
उत्तर- (A) इ + अ

31. 'चिरायु' शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
(A) चि (B) चिर
(C) यु (D) आयु
उत्तर- (B) चिर

32. 'देश प्रेम' में कौन-सा समास है?
(A) अव्ययी भाव
(B) तत्पुरुष
(C) द्विगु
(D) बहुब्रीहि
उत्तर- (B) तत्पुरुष समास

33. इनमें से कौन-सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है?
(A) क्ष (B) च्च
(C) ट (D) औ
उत्तर- (A) क्ष

34. 'रेलगाड़ी' शब्द है।
(A) तत्सम (B) देशज
(C) विदेशज (D) संकर
उत्तर- (D) संकर शब्द

35. निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए:
(A) अपराध (B) अध्याय
(C) स्वदेश (D) स्थापना
उत्तर- (D) स्थापना

36. 'आदित्य' का पर्यायवाची शब्द है।
(A) प्रभाकर (B) अरूण
(C) रवीन्द्र (D) घनेश
उत्तर- (A) प्रभाकर

37. 'दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत' में कौन-सा अलंकार है?
(A) विरोधाभास
(B) असंगति
(C) विभावना
(D) निदर्शना
उत्तर- (B) असंगति

38. निम्नलिखित में कौन-सा शब्द शुद्ध है?
(A) अधिशासी
(B) अधिशाषी
(C) अधिसाक्षी
(D) अधिषाशी
उत्तर- (A) अधिशासी

39. दीनानाथ में कौन-सा समास है?
(A) तत्पुरुष
(B) बहुब्रीहि
(C) द्विगु
(D) द्वन्द
उत्तर- (A) तत्पुरुष

40. इनमें से कौन-सा युग्म अघोष ध्वनि है?
(A) ग, घ (B) ड, ढ
(C) प, फ (D) द, ध
उत्तर- (C) प, फ

41. जो अपने कर्तव्य को न जानता हो।
(A) अनजान
(B) अज्ञानी
(C) किंकर्त्तव्यमूढ़
(D) कर्त्तव्य हीन
उत्तर- (C) किंकर्त्तव्यमूढ़

42. 'बहाव' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन-सा है?
(A) बह (B) हाव
(C) आव (D) आवा
उत्तर- (C) आव

43. 'श' ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
(A) मूर्धन्य (B) तालव्य
(C) दन्त्य (D) ओष्ठय्
उत्तर- (B) तालव्य

44. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
(A) दीर्घायु (B) दीरघायु
(C) दीघायु (D) दीर्घीयु
उत्तर- (A) दीर्घायु

45. निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन-सी हैं?
(A) क, ख (B) य, र
(C) च, ज (D) ट, ण
उत्तर- (A) क, ख

46. अमृत का पर्यायवाची नहीं है।
(A) अमिय (B) सुधा
(C) पीयूष (D) रसाल
उत्तर- (D) रसाल

47. मजिस्ट्रेट शब्द है।
(A) तत्सम
(B) तद्भव
(C) देशज
(D) विदेशज
उत्तर- (D) विदेशज

48. शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
(A) नछत्र (B) नक्षत्र
(C) नच्छत्र (D) नक्षतर
उत्तर- (B) नक्षत्र

49. देखो दो-दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन-सा अलंकार है?
(A) विशेषोक्ति
(B) विभावना
(C) अनुप्रास
(D) यमक
उत्तर- (A) विशेषोक्ति

50. निम्नलिखित में से कौन-सी हिन्दी पत्रिका है?
(A) केरल ज्योति
(B) केरल दर्शन
(C) दक्षिणनिधी
(D) देश पोषिणी
उत्तर- (A) केरल ज्योति

51. कुन्द इन्दु सम देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन-सा अलंकार है?
(A) श्लेष (B) उपमा
(C) अनुप्रास (D) रूपक
उत्तर- (B) उपमा अलंकार

52. 'ण' का उच्चारण स्थान है।
(A) तालु (B) मुर्धा
(C) वत्स (D) कंठ
उत्तर- (B) मुर्धा

53. मनोरम का संधि विच्छेद है।
(A) मल+ओरम
(B) मन+रम
(C) मनो+रम
(D) मनः+रम
उत्तर- (D) मनः+रम

54. अभ्युदय शब्द में कौन-सी संधि है?
(A) गुण (B) अयादि
(C) यण (D) दीर्घ
उत्तर- (C) यण संधि

55. पंजाब में कौन-सा समास है?
(A) कर्मधारय
(B) बहुब्रीहि
(C) द्विगु समास
(D) द्वंद
उत्तर- (C) द्विगु समास

56. अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
(A) 3 (B) 5
(C) 6 (D) 8
उत्तर- (D) 8

57. 'पावक' का संधि विच्छेद क्या है?
(A) पा+वक (B) पौ+अक
(C) पो+अक (D) पाव+क
उत्तर- (B) पौ+अक

58. स्वागत का संधि विच्छेद क्या है?
(A) स्व+आगत
(B) सु+आगत
(C) स्वा+गत
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (B) सु+आगत

59. प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है?
(A) प्र+त्येक
(B) प्रत्य+एक
(C) प्रति+एक
(D) प्रत+एक
उत्तर- (C) प्रति+एक

60. कामदेव का पर्यायवाची है।
(A) मन्मथ (B) भगीरथ
(C) क्रतांत (D) वरुण
उत्तर- (A) मन्मथ

61. यति का पर्यायवाची है।
(A) सती (B) संन्यासी
(C) ब्राह्मण (D) भिखारी
उत्तर- (B) संन्यासी

62. द्रौपदी का पर्यायवाची है।
(A) अरपण (B) मेदनी
(C) याज्ञसेनी (D) कामिनी
उत्तर- (C) याज्ञसेनी

63. किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
(A) अपवाद (B) पराजय
(C) प्रभाव (D) ओढ़ना
उत्तर- (D) ओढ़ना

64. मृदुल का विलोम शब्द है।
(A) कठिन (B) खराब
(C) रूक्षर (D) कठोर
उत्तर- (D) कठोर

65. देवनागरी लिपि में कुल वर्ण की संख्या है।
(A) 50 (B) 60
(C) 57 (D) 52
उत्तर- (D) 52

- डॉ. राम मनोहर उपाध्याय
(लेखक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के जनसंचार विभाग में अतिथि शिक्षक हैं।)

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

सामान्य ज्ञान

1. 'ओरछा' के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
अ. ओरछा को बुंदेलखण्ड की अयोध्या के उपनाम से भी जाना जाता है।
ब. ओरछा की स्थापना रूद्र बुंदेला ने की थी।
स. ओरछा में बेतवा नदी सात चैनलों में विभाजित होती है।
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- द. इनमें से कोई नहीं

2. 'विद्धसालभंजिका' नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई।
अ. संग्राम शाह
ब. राजशेखर
स. राजाभोज
द. लक्ष्मण सेन
उत्तर- ब. राजशेख

3. अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां अवस्थित है?
अ. ग्वालियर
ब. बुरहानपुर
स. मंदसौर
द. धार
उत्तर- द. धार

4. निम्न में से किस राजा की मृत्यु के उपरांत कहा गया कि 'उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए'?
अ. भोज
ब. चन्द्रगुप्त
स. विद्याधर
द. भुंज
उत्तर- अ. राजा भोज

5. 'माई की बगिया' कहां अवस्थित है?
अ. भोपाल
ब. अमरकंटक
स. ओरछा
द. धार
उत्तर- ब. अमरकंटक

6. 'कूकाबुरास' जो कि हॉकी टीम का उपनाम है, यह किस देश से संबंधित है?
अ. यूएसए
ब. ऑस्ट्रेलिया
स. चीन
द. ब्रॉजील
उत्तर- ब. ऑस्ट्रेलिया

7. कालीदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
अ. 1979
ब. 1969
स. 1980
द. 1978
उत्तर- द. 1978

8. 'राई' नृत्य का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है?
अ. बंघेलखंड
ब. बुंदेलखंड
स. मालवा
द. निमाड़
उत्तर- ब. बुंदेलखंड

9. मध्यप्रदेश में किस अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री अन्नापूर्ण योजना की शुरुआत की गई?
अ. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
ब. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
स. प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- ब. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

10. निम्न में से किस जनजाति का संबंध चटकोरा नृत्य से है?
अ. भील
ब. कोरकू
स. सहरिया
द. बैगा
उत्तर- ब. कोरकू

11. निम्न में से कौन मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं?
अ. राजेन्द्र प्रसाद
ब. सीताशरण शर्मा
स. के.डी. देशमुख
द. श्रीनिवास तिवारी
उत्तर- द. श्रीनिवास तिवारी

12. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
अ. सर्नाल का युद्ध - 1572 ई.
ब. जाजऊ का युद्ध - 1710 ई.
स. बिलग्राम का युद्ध - 1540 ई.
द. धरमत का युद्ध - 1658 ई.
उत्तर- ब. जाजऊ का युद्ध - 1710 ई.

13. निम्न में से किस वायसराय के समय 'इल्बर्ट विधेयक' को प्रस्तुत किया गया था?
अ. लॉर्ड रिपन
ब. लॉर्ड लिटन
स. लॉर्ड डफरिन
द. लॉर्ड मेयो
उत्तर- अ. लॉर्ड रिपन

14. लॉर्ड कर्जन ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय आयोग' की स्थापना की थी?
अ. एण्ड्रयू फ्रेजर
ब. टॉमस रेले
स. विलियम हण्टर
द. एंटनी मैक्डोनाल्ड
उत्तर- ब. टॉमस रेले

15. 'सुर्जी अर्जनगांव' की संधि किस वर्ष की गई थी?
अ. 1803 ब. 1802
स. 1782 द. 1779
उत्तर- अ. 1803

16. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
अ. 'शुद्धि आंदोलन' दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया।
ब. 'प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस' की रचना राजा राममोहन राय द्वारा की गई।
स. 'विधवा विवाह संघ' की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी।
द. 'रस्त गोफ्ता' नामक पत्रिका का संबंध रहनुमाई माजदायासन सभा से है।
उत्तर- स. 'विधवा विवाह संघ' की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी।

17. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
अ. अधिनियम की अनुसूची-V उन जीवों को सूचीबद्ध करती है जिनका शिकार किया जा सकता है।
ब. अधिनियम की अनुसूची-V सामान्य कौआ और चमगादड़ भी शामिल हैं।
स. यह अधिनियम केवल पशुओं से संबंधित है न कि पौधों से।
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- स. यह अधिनियम केवल पशुओं से संबंधित है न कि पौधों से।

18. 'पर्माकल्चर' शब्द से आप क्या समझते हैं?
अ. यह केंचुओं के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाने की एक विधि है।
ब. नियंत्रित वातावरण में पर्माफ्रॉस्ट पर कुछ फसलों की खेती करने की एक विधि है।
स. एक ऐसी विधि जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा किया जाता है।
द. यह क्रायोजेनिक परिस्थितियों में स्वदेशी बीजों के संरक्षण की एक विधि है।
उत्तर- स. एक ऐसी विधि जिसमें सभी कृषि आगतों का उत्पादन खेत द्वारा किया जाता है।

19. एक लम्बी अवधि में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के तरीके में क्रमिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है?
अ. जनसांख्यिकीय संक्रमण
ब. जनसांख्यिकीय गतिशीलता
स. जनसंख्या विस्फोटक
द. जनसांख्यिकीय परिवर्तन
उत्तर- द. जनसांख्यिकीय परिवर्तन

20. निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं हैं?
अ. कूका आंदोलन - भगत जवाहर मल
ब. मोपला आंदोलन - अली मुसलियर
स. अहोम विद्रोह - गोमधर कुंवर
द. भील विद्रोह - दुर्जन सिंह
उत्तर- द. भील विद्रोह - दुर्जन सिंह

21. 1931 में कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
अ. जवाहरलाल नेहरू
ब. सरदार वल्लभभाई पटेल
स. आर.डी. अमृतलाल
द. राजेन्द्र प्रसाद
उत्तर- ब. सरदार वल्लभभाई पटेल

22. केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
अ. आयरलैंड
ब. द. अफ्रीका
स. कनाडा
द. जर्मनी
उत्तर- स. कनाडा

23. 'गरूड़ युद्धाभ्यास 2023 निम्न में से भारत द्वारा किस देश के साथ सम्पन्न किया गया?
अ. रूस
ब. थाईलैंड
स. फ्रांस
द. जापान
उत्तर- स. फ्रांस

24. प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है?
अ. नीति आओग
ब. विश्व बैंक
स. सांख्यिकी, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय
द. शिक्षा मंत्रालय
उत्तर- द. शिक्षा मंत्रालय

25. 'गॉल्जीकाय' के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
अ. गॉल्जीकाय स्तनधारी की लाल रूधिर कणिका में नहीं पाया जाता है।
ब. यह लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है।
स. 'पॉलीसोम' नामक गुच्छे गॉल्जीकाय में पाए जाते हैं।
द. पादप कोशिका विभाजन में यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है।
उत्तर- स. 'पॉलीसोम' नामक गुच्छे गॉल्जीकाय में पाए जाते हैं।

26. निम्न में से कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है?
अ. माइक्रोट्यूब्यूल
ब. रसधानी
स. क्रोमेटिड्स
द. क्रोमेटिन जालिका
उत्तर- अ. माइक्रोट्यूब्यूल

27. 'इन्फ्लूएन्जा' जो कि श्वसन तंत्र का एक रोग है, यह किस वायरस द्वारा होता है?
अ. पैरामिक्सो
ब. ऑर्थोमिक्सो
स. अरबो
द. हर्पीज
उत्तर- ब. ऑर्थोमिक्सो

28. सिग्मोएड कोलन निम्न में से किस अंग का भाग है?
अ. छोटी आंत
ब. बड़ी आंत
स. पित्ताशय
द. मास्तिष्क
उत्तर- ब. बड़ी आंत

29. मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है?
अ. यकृत की
ब. अस्थि की
स. पेशी की
द. मास्तिष्क की
उत्तर- द. मास्तिष्क की

30. युस्टोकी नलिका जो कि मानव शरीर में कान में स्थित होती है, इसका मुख्य कार्य है?
अ. कान की सुनने की शक्ति बढ़ाती है।
ब. रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है।
स. कान में दाब को नियंत्रित करने के लिए।
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- स. कान में दाब को नियंत्रित करने के लिए।

31. जीका वायरस जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है, इसका वाहक कौन सा मच्छर है?
अ. क्यूलैक्स
ब. एडीस
स. एनाफिलिस
द. क्यूलिसिटा
उत्तर- ब. एडीस

32. 'लैप्टोस्पायरासिस' नामक रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है?
अ. कवक
ब. प्रोटोजोआ
स. विषाणु
द. जीवाणु
उत्तर- द. जीवाणु से

33. 'एल्डोस्टेरोन' नामक हार्मोन का स्रवण निम्न में से किस ग्रंथी द्वारा किया जाता है?
अ. पीयूष
ब. पीनियल
स. पैराथाइरॉइड
द. अधिवृक्क
उत्तर- द. अधिवृक्क ग्रंथि

34. 'चिरोपॉडी' जो कि विज्ञान की एक शाखा है, यह शरीर के किस भाग से संबंधित है?
अ. वृक्क
ब. फेफड़ा
स. पैर
द. यकृत
उत्तर- स. पैर

35. 'क्लैविकल' नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है?
अ. अग्रपाद
ब. पश्चपाद
स. वक्ष
द. कूल्हा
उत्तर- स. वक्ष

36. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं?
अ. राष्ट्रपति
ब. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
स. गृह मंत्री
द. मुख्य न्यायाधीश
उत्तर- अ. राष्ट्रपति

37. 'इवेंटबॉट' नामक शब्द से आप क्या समझते हैं?
अ. मैलवेयर
ब. प्रबंधन
स. रोबोट
द. सुपर कम्प्यूटर
उत्तर- अ. मैलवेयर

38. वैक्यूम ट्यूब निम्न में से किस पीढ़ी के कम्प्यूटर के घटक थे?
अ. पहली पीढ़ी
ब. दूसरी पीढ़ी
स. तीसरी पीढ़ी
द. चौथी पीढ़ी
उत्तर- अ. पहली पीढ़ी

39. F2 फंक्शन कुंजी (की) का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है?
अ. हेल्प
ब. रीनेम
स. रिपिट
द. सर्च
उत्तर- ब. रीनेम

40. अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।
अ. पहली
ब. दूसरी
स. तीसरी
द. पांचवी
उत्तर- ब. दूसरी पंचवर्षीय योजना

41. शेयर मार्केट में शेयर की कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि को क्या कहा जाता है?
अ. बुल मार्केट
ब. बियर मार्केट
स. बेयरिश मार्केट
द. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- ब. बियर मार्केट

- कृतिका जावरिया
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों पर लेखन करती हैं)

खेल चर्चा

एलिसा हीली

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनीं

सिडनी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने

अनुभवी खिलाड़ी एलिसा हीली को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है, वहीं ताहलिया मैक्ग्रा टीम की उपकप्तान होंगी। एलिसा हीली तीनों फॉर्मेट में मेग लेनिंग की जगह ऑस्ट्रेलियन टीम की कमान संभालेंगी। मेग लेनिंग क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं। हीली पहले भी मेग लेनिंग की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। हीली इस महीने भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी संभालेंगी। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट, तीन वन-डे और तीन ट्वेंटी-20 मैच खेले जाएंगे।

भारत-दक्षिण अफ्रीका ट्वेंटी-20 सीरीज

भारत ने 106 रनों से जीता तीसरा मैच

जोहानिसबर्ग, भारत ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। भारत ने तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हराकर तीन मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप (ट्वेंटी-20) में भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, वहीं दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से जीता था।

तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 29 रन के स्कोर पर दो विकेट गवांकर भारतीय टीम दबाव में आ गई। इसके बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला और तेजी से रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी ने 41 गेंदों में 60 रन बनाये, जबकि सूर्यकुमार ने 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। सूर्यकुमार ने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 8 छक्के लगाए। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाये।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही।

- सूर्यकुमार ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथा शतक बनाया।
- ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में सूर्यकुमार ने रोहित और मैक्सवेल की बराबरी की।
- रोहित और मैक्सवेल ने भी ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 4-4 शतक बनाये हैं।
- सूर्यकुमार यादव ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (123) लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने।
- कुलदीप यादव का ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

भारतीय गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 7 विकेट झटके। कुलदीप ने सिर्फ 17 रन देकर 5 बल्लेबाजों को आउट किया, वहीं जडेजा ने 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 13.5 ओवरों में 95 रन पर ऑलआउट हो गई।

अंडर-19 विश्वकप के लिए भारतीय टीम घोषित

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी अंडर-19 विश्वकप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। उदय सहारन को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में अर्शिन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रूद्र मयूर पटेल, सचिन दास, प्रियांशु मोलिया, मुशीर खान, अरवेल्ली अवनीश राव, सौम्य कुमार पांडे, मुरुगन अभिषेक, इन्नेश महाजन, धनुष गौड़ा, अराध्य शुक्ला, राज लिम्बानी और नमन तिवारी को भी जगह मिली है। इनके अलावा प्रेम शंकर देवकर, अंश गोसाई और मोहम्मद अमन स्टैंडबॉय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं।

नोआह लॉयल्स बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट

मोनाको, अमेरिका के स्टार फर्राटा धावक नोआह लॉयल्स को इस पुरुष वर्ग में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। लायल्स मौजूदा समय में विश्व के सबसे तेज फर्राटा धावक हैं। लॉयल्स ने वर्ष 2023 में आयोजित विश्व एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में 100 मीटर, 200 मीटर और चार गुणा 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग में केन्या की फैथ किपयेगोन को एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किपयेगोन ने विश्व एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

आईसीसी ने जारी किया अंडर-19 विश्वकप का कार्यक्रम

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अगले साल खेले जाने वाले आईसीसी अंडर-19 विश्वकप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस विश्वकप का आयोजन 20 जनवरी से 11 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। पहले इस विश्वकप का आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया और इस विश्वकप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। मेजबानी में बदलाव के कारण आईसीसी को विश्वकप का संशोधित कार्यक्रम जारी करना पड़ा है।

आईसीसी अंडर-19 विश्वकप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को 4-4 टीमों के 4 ग्रुप में बांटा गया है। गत विजेता भारत को ग्रुप-ए में बांग्लादेश, अमेरिका और आयरलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप-बी में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड को जगह मिली है। ग्रुप-

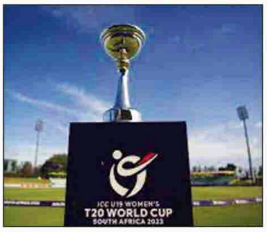

सी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और नामीबिया को रखा गया है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और न्यूजीलैंड को ग्रुप-डी में रखा गया है।

- **भारत ने सबसे ज्यादा पांच बार जीता है यह विश्वकप।**
- **ऑस्ट्रेलिया तीन, पाकिस्तान दो तथा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश 1-1 बार बने हैं चैम्पियन।**

पेरिस ओलिंपिक में हिस्सा ले सकेंगे रूसी एथलीट

जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) ने कहा है कि पेरिस में अगले साल आयोजित होने वाले ओलिंपिक खेलों में रूस के एथलीटों को तटस्थ दर्जे के अंतर्गत हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी। आईसीसी ने कहा कि दुनियाभर के 4600 खिलाड़ियों में से 8 रूसी और तीन बेलारूसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पेरिस ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इन खिलाड़ियों को तटस्थ दर्जे के साथ ओलिंपिक में खेलने के अनुमति दी जाएगी।

असद शफीक ने क्रिकेट से लिया संन्यास

कराची, पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर असद शफीक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शफीक ने राष्ट्रीय ट्वेंटी-20 चैम्पियनशिप में अपनी टीम कराची व्हाइट्स को खिताब जिताने के तुरंत बाद संन्यास ले लिया। असद शफीक ने पाकिस्तान के लिए 77 टेस्ट, 60 वन-डे और 10 ट्वेंटी-20 मैच खेले हैं।

टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए पेस और अमृतराज

न्यूपोर्ट, भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के खेल प्रशासक रिचर्ड इवांस को भी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। इससे पहले चीन की पूर्व महिला खिलाड़ी ली ना इस सूची में जगह बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी थीं।

पुरुष युगल वर्ग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी रह चुके पेस को खिलाड़ियों के वर्ग में जबकि अमृतराज और इवांस को टेनिस में सराहनीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। अब तक 27 देशों के 264 लोग अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके हैं, भारत इस सूची में शामिल होने वाला 28वां देश बन

गया है।

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की मानद अध्यक्ष किम क्लाइस्टर्स ने कहा कि मैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस को हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए रोमांचित महसूस कर रही हूं। इन तीनों दिग्गजों ने टेनिस में अपनी विशेष छाप छोड़ी है और विश्व स्तर पर इस खेल को आगे ले जाने में अहम योगदान दिया है।

- **लिएंडर पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं।**
- **पेस ने अपने टेनिस कॅरियर के दौरान 18 ग्रैंडस्लैम टाइटल जीते हैं।**

एफआईएच जूनियर महिला विश्वकप

नीदरलैंड्स ने पांचवीं बार जीता खिताब

सेंटियागो, नीदरलैंड्स की जूनियर महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्वकप का खिताब जीत लिया है। चिली में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया। नीदरलैंड्स ने पांचवीं बार यह टूर्नामेंट जीता है।

नीदरलैंड्स ने एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्वकप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई वहीं अर्जेंटीना ने बेल्जियम को हराया। नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच का पहला क्वार्टर गोलरहित रहने के बाद अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया। मैच के 20वें मिनट में जोए

- **नीदरलैंड्स ने पांच बार जीता है जूनियर महिला विश्वकप।**
- **इससे पहले नीदरलैंड्स वर्ष 1997, 2009, 2013 और 2022 में बना है विजेता।**
- **अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया ने 2-2 बार और जर्मनी ने एक बार जीता है यह खिताब।**
- **स्पेन के टेरेसा लिमा चुनी गई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट।**

डियाज और 29वें मिनट में कप्तान वेलेंटिना रेपोसो ने गोल कर अर्जेंटीना को 2-0 की बढ़त दिलाई।

मैच में पिछड़ने के बाद नीदरलैंड्स ने तीसरे क्वार्टर में पलटवार किया। नीदरलैंड्स के लिए मिक्की रॉबर्ट्स ने 35वें मिनट में पहला गोल किया। मैच के अंतिम समय (57वें मिनट) में मिक्की रॉबर्ट्स ने एक और गोल दाग कर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। निर्धारित समय तक स्कोर बराबर रहने के बाद पेनाल्टी शूटआउट से विजेता का फैसला हुआ। पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के लिए मैट विंटर, गस मोइस, इलीन जेन्सन और जिप डिके ने गोल किए, जबकि अर्जेंटीना के लिए सोल पेगला ही गोल कर सकीं। इस तरह नीदरलैंड्स ने 4-1 से विश्वकप का खिताब अपने नाम किया।

पोलैंड की ईगा स्वितेक बनीं डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर

पेरिस, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक को डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्वितेक ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। महिला टेनिस की सर्वोच्च संस्था डब्ल्यूटीए ने वर्ष 2023 के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषित किए।

ईगा स्वितेक के लिए वर्ष 2023 बेहद शानदार रहा है। ईगा ने इस वर्ष 79 मुकाबले खेले हैं, इनमें से 68 मुकाबलों में उन्होंने जीत दर्ज की है, जबकि 11 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान ईगा ने छह खिताब जीते हैं, इनमें फ्रेंच ओपन ग्रैंडस्लैम और डब्ल्यूटीए टूर फाइनल्स खिताब शामिल है। इसके अलावा ईगा डब्ल्यूटीए रैंकिंग में पहले स्थान पर भी काबिज हैं।

- **मोस्ट इम्प्रूव्ड खिलाड़ी का पुरस्कार चीन की झेंग किन्वेन को मिला है।**
- **मीरा एंड्रीवा को न्यूकमर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है।**

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

ब्रिटिश संसद में रवांडा प्रवासन विधेयक पास

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को रवांडा प्रवासन नीति पर बड़ी राहत मिली है। ब्रिटिश संसद में रवांडा प्रवासन विधेयक पास हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के सभी सांसदों ने सरकार के रवांडा प्रवासन विधेयक के पक्ष में मतदान किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी के 313 सदस्यों में से 269 ने विधेयक के पक्ष में वोट किया और यह 44 वोटों के बहुमत से पारित हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी के 38 सांसदों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, इसमें बर्खास्त गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और आव्रजन मंत्री रॉबर्ट जेनरिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए अभियान शुरू किया था, क्योंकि कई टोरी सांसदों ने विधेयक का विरोध करने की चेतावनी दी थी।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को दरकार

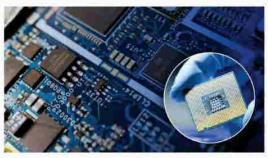

ओमनी डिजाइन के सह-संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ कुश गुलाटी ने कहा कि सेमीकंडक्टर पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर हाथ के मोबाइल, घड़ी तक हर जगह सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत को वैश्विक शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाने पर ध्यान देना होगा। सिलिकॉन वैली के सफल भारतीय-अमेरिकी उद्यमी कुश गुलाटी ने कहा कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत को ऐसी कंपनियों की जरूरत है, जो इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा की मालिक हों। सेमीकंडक्टर का उत्पादन अलग बात है, जबकि इसका डिजाइन तैयार करने की क्षमता और बौद्धिक संपदा पर नियंत्रण रखना पूरी तरह से अलग है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग आकार ले रहा है। लेकिन, ज्यादातर मामलों में बौद्धिक संपदा अधिकार भारत से बाहर की कंपनियों के हैं। गुलाटी ने कहा कि आज भारत में तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का बौद्धिक संपदा स्वामित्व भारत या भारतीय कंपनियों के पास नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में भी फैब्स भारत के बाहर हैं।

(स्रोत: संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

आत्मनिर्भर भारत

अमेरिकी बाजार में पहली बार लॉन्च हुई 'मेड इन इंडिया' साइकिल

भारत सरकार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ने अमेरिकी बाजार में धीरे-धीरे चीनी सामानों की जगह लेना शुरू कर दिया है।

इसी क्रम में, अमेरिका में वॉलमार्ट के एक स्टोर में पहली बार भारत में बनाई गई साइकिल लॉन्च की गई। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड अमेरिका में वॉलमार्ट के स्टोर में भारत के लुधियाना में स्थित हीरो साइकिल कंपनी द्वारा बनाई गई पहली बार मेड-इन इंडिया साइकिल के लॉन्च होने पर खुशी हो रही है।

इससे पहले, वॉलमार्ट ने घोषणा की थी कि भारत में बनी साइकिलें पहली बार अमेरिका के कुछ स्टोर पर पहुंचने वाली हैं। भारत की हीरो इकोटेक लिमिटेड ने वॉलमार्ट के लिए एक क्रूजर-स्टाइल बाइक तैयार की है।

कंपनी का यह लक्ष्य

हीरो इकोटेक लिमिटेड कई भारतीय निर्माताओं में से एक है जो वॉलमार्ट के साथ व्यापार संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इससे कंपनी को साल 2027 तक भारत से माल के निर्यात को सालाना 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार, वॉलमार्ट अमेरिकी स्टोर में बेचे जाने वाले क्रूजर भारत से प्राप्त 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे माल के साथ बनाए गए हैं।

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन

एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा विकसित कर साथ करना होगा काम - प्रधानमंत्री

जीपीएआई के बारे में

- **जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है।**
- **भारत 2024 में जीपीएआई का लीड चेयर है।**
- **भारत ने 12-14 दिसंबर, 2023 तक वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।**

प्रधानमंत्री ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एआई एक्सपो का भी अवलोकन किया। जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहु-हितधारक पहल है, जिसका लक्ष्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अनुसंधान और गतिविधियों का समर्थन करके सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को पाटना है। भारत 2024 में जीपीएआई का लीड चेयर है।

एआई के उपयोग पर भी प्रकाश डाला

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एआई प्रतिभा और एआई से संबंधित विचारों के क्षेत्र में अग्रणी है। भारतीय युवा एआई तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लॉन्च हुए एआई कृषि चैटबॉट के बारे में कहा कि यह किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर भी बताया।

मानवता की मूलभूत जड़ों को दिशा देगी

प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरते हुए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रत्येक राष्ट्र पर निहित जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए एआई के विभिन्न उद्योग के दिग्गजों के साथ बातचीत और जीपीएआई शिखर सम्मेलन के संबंध में चर्चा को याद किया। उन्होंने कहा कि एआई का हर देश पर प्रभाव पड़ा है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। साथ ही, उन्होंने सावधानी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

ग्रेजुएट रूट वीजा की समीक्षा कर सकती है सुनक सरकार

ब्रिटेन की सरकार जल्द ग्रेजुएट रूट वीजा की समीक्षा कर सकती है। इसमें इस बात का विश्लेषण किया जा सकता है कि क्या यह उच्च कौशल (हाई-स्किल्ड) वाली प्रतिभाओं को यहां रहने की अनुमति देकर ब्रिटेन के सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। प्रवासन पर एक नई स्वतंत्र रिपोर्ट में बुधवार को इस बात के संकेत दिए गए हैं। ग्रेजुएट रूट वीजा को जुलाई 2021 में तत्कालीन गृहमंत्री प्रीति पटेल के द्वारा लागू किया गया था। इसलिए, 1 लाख 76 हजार अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जारी किए गए ग्रेजुएट रूट वीजा में 42 फीसदी भारतीय नागरिक हैं। इसका मतलब है कि इस श्रेणी में किसी भी तरह के बदलाव का भारतीय छात्रों पर काफी असर पड़ेगा। **क्या है ग्रेजुएट रूट वीजा-** ग्रेजुएट रूट वीजा के तहत ब्रिटेन से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय छात्र दो साल तक ब्रिटेन में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-28)

दुनिया के कई गरीब देशों को संपन्न देशों से ज्यादा मदद करने सामने आया भारत

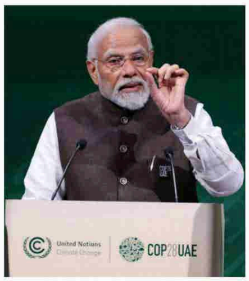

कॉप-28 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में दुनिया न तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर सहमत हो पाई है और न गरीब देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तय कर पाई। वहीं भारत दूसरे विकासशील देशों की खुलकर मदद कर रहा है। थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु कार्रवाई के लिए दूसरे देशों को मदद देने में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। 2022-23 में भारत ने 76.5 करोड़ डॉलर की मदद दी है। यूरोपीय संघ 2020 से 10,000 करोड़ डॉलर देने का वादा पूरा नहीं कर पाया है।

विकासशील देशों पर दबाव

विकसित देश योगदान की बजाय भारत, ब्राजील, चीन जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे औद्योगिक गतिविधियों में कमी लाएं व वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए ज्यादा वित्तीय योगदान दें। विकासशील देशों ने कॉप28 में कहा कि इसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे-धीरे खत्म करने का जिक्र नहीं है।

डब्ल्यूएचओ का आरोप मरीजों-स्वास्थ्यकर्मियों से पूछताछ में देरी

इजराइल पर सात अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले के बाद से युद्ध लगातार जारी है। दो महीने से अधिक समय से जारी हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजराइल पर आरोप लगाया कि लंबी जांच की वजह से गाजा में घायल एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेडरोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हमें अल-अहली अस्पताल के गाजा में डब्ल्यूएचओ के मिशन के बारे में जानकारी मिली। लंबे समय तक जांच और स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में रखा गया। इसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं।

इजराइल-हमास युद्ध जारी

यूक्रेन के साथ युद्ध में 87 प्रतिशत सैनिक बेड़ों को खो चुका है रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध को करीब दो साल होने जा रहे हैं। दोनों देशों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब इसी जंग को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक रूस अपने 87 फीसदी सक्रिय सैनिक बेड़ों को खो चुका है। इतना ही नहीं इसके बेड़े के दो तिहाई टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। यह जानकारी एक सांसद को गोपनीय अमेरिकी खुफिया आकलन की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से दी गई है। इतने बड़े नुकसान के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जब रूस ने युद्ध शुरू किया था तो उसके पास 3,60,000 सैनिक थे। अभी तक युद्ध के मैदान में देश ने अपने 3,15,000 जवानों को खो दिया है।

युद्धविराम के बाद फिर जंग शुरू

गौरतलब है कि करीब 80 दिनों के युद्धविराम के बाद रूस ने फिर से यूक्रेन पर जोरदार हमला कर दिया था। बीते 79 दिनों से दोनों देशों के बीच अनौपचारिक शांति थी, लेकिन नौ दिसंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री ने बताया था कि कीव पर करीब दो घंटे तक हवाई हमले हुए। हालांकि, कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक कई मिसाइलों को रास्ते में ही नेस्तानाबूत कर दिया, जिससे कीव में कम नुकसान हुआ।

इतने बड़े पैमाने पर नुकसान

हथियारों की बात करें तो मॉस्को के 3,500 में से 2,200 टैंक तबाह हो चुके हैं। इनके अलावा, 13,600 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और बख्तरबंद कर्मियों के वाहक में से 13,600 भी नष्ट हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर के अंत तक रूस जमीनी बलों के हथियारों के भंडार का एक चौथाई से अधिक खो चुका है। इतने बड़े नुकसान से कहीं न कहीं रूस की आक्रमकता में कमी आई है, लेकिन मॉस्को हार मानने को तैयार नहीं है।

सर्दियों के बाद जीत की उम्मीद

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता के अनुसार, रूस का मानना है कि सर्दियों में सैन्य कार्रवाई के बाद यूक्रेन को मिलने वाला पश्चिमी समर्थन खत्म हो जाएगा। इसके बाद रूस की जंग को एक नई दिशा मिलेगी। आक्रमण से पहले रूस के पास करीब नौ लाख कुल स्थायी सेना थी, जिसमें जमीनी सैनिक, हवाई सैनिक, विशेष अभियान और अन्य वर्दीधारी कर्मी शामिल थे।

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- मनीष सिंह, मुद्रक- मनीष सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- रंजना चितले।